बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 255

खुदरा निवेशकों के लिए मददगार

भारतीय शेयर बाजार न केवल बाजार पूंजीकरण के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक हैं बल्कि इन्हें सबसे अधिक सक्षम बाजारों में भी गिना जाता है। बाजार को और सक्षम बनाने के लिए शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस वर्ष के आरंभ में टी प्लस जीरो (उसी दिन) निपटान का बीटा संस्करण लॉन्च किया था जो शेयर नकदी बाजार में 25 शेयरों के लिए वैकल्पिक आधार पर था। बीते कुछ महीनों के फीडबैक और अनुभव के आधार पर बाजार नियामक ने इस सुविधा को शीर्ष 500 शेयरों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यह दिखाता है कि नियामक की दृष्टि में बाजार अधोसंरचना और शामिल संस्थान बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए तैयार हैं। हालांकि रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि टी प्लस जीरो को अपनाने की गति धीमी रही है लेकिन इससे नियामक को बाजार सुधार संबंधी कदम उठाने में धीमापन नहीं बरतना चाहिए। अपनाने का क्रम धीमा होने की एक वजह नए निपटान चक्र में शेयरों की सीमित संख्या भी हो सकती है।

सेबी के सर्कुलर के मुताबिक टी प्लस जीरो चक्र 31 जनवरी, 2025 से बाजार पूंजीकरण के मुताबिक शीर्ष 500 कंपनियों के लिए उपलब्ध रहेगा। शेयरों को 100 के खंड में नए चक्र में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत समूह के निचले स्तर से की जाएगी। यह बात समझ में आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप से कम आकार वाली कंपनियां पहले आगे आएंगी। इससे व्यवस्था की मजबूती आंकने में मदद मिलेगी। आगे चलकर बड़ी कंपनियां नए निपटान चक्र में शामिल होंगी। अब सभी शेयर ब्रोकरों को भागीदारी की इजाजत होगी। उन्हें टी प्लस जीरो और टी प्लस वन निपटान के लिए अलग-अलग ब्रोकरेज वसूलने की भी इजाजत होगी, बशर्ते कि वह नियामकीय दायरे में हो। क्वालिफाइड शेयर ब्रोकर जो चुनिंदा शर्तों का पालन करते हों उनसे उम्मीद की जाएगी कि वे जरूरी व्यवस्था कायम करें ताकि नए निपटान चक्र में अबाध भागीदारी तय समय में हो सके।

इस बीच स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस और डिपॉजिटरीज जिन्हें एक साथ बाजार अधोसंरचना संस्थान या एमआईआई कहा जाता है, उनसे भी उम्मीद की जाएगी कि वे अबाध शुरुआत के लिए जरूरी व्यवस्था कायम करें। इसके अलावा सहज क्रियान्वयन के लिए एमआईआई से उम्मीद है कि वे परिचालन दिशानिर्देश और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ सामने आएं। इससे सभी अंशधारकों खासतौर पर व्यक्तिगत निवेशकों को नए चक्र में शामिल होने में मदद मिलेगी। टी प्लस जीरो के बड़े कारोबार को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंजों से उम्मीद की जा रही है कि वे एक व्यवस्था कायम करेंगे। टी प्लस जीरो प्रणाली का आकार बढ़ाने के कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। खासतौर पर छोटे निवेशकों के नजरिये से। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, नियामक के आकलन में पाया गया कि 90 फीसदी से अधिक इक्विटी डिलिवरी कारोबार जहां कारोबार का आकार एक लाख रुपये से कम रहा उसे नकदी और प्रतिभूतियों के अग्रिम जमा में अंजाम दिया गया। ऐसे में बहुसंख्य छोटे कारोबारी और निवेशक इस कदम से लाभान्वित होंगे क्योंकि नकदी की स्थिति में सुधार होगा।

नकदी में सुधार और कारोबारी सौदों का तेज निपटान जोखिम कम करने में मदद करेगा। तेज निपटान चक्र जहां निवेशकों की मदद करेगी, वहां यह एमआईआई पर दबाव भी डाल सकता है। खासतौर पर निपटान की दो समांतर व्यवस्थाओं के चलते। बहरहाल, चूंकि भारतीय बाजार अधोसंरचना ने समय के साथ अल्प निपटान चक्र को सक्षम बनाया है इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि व्यवस्था अबाध ढंग से टी प्लस जीरो चक्र में चली जाएगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और अंशधारकों की अपनाने की क्षमता को देखते हुए बाजार नियामक अगर प्राथमिक बाजार में चक्र को छोटा करने पर ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जारी होने और सूचीबद्ध होने के बीच के समय को कम करने की काफी गुंजाइश है।

अजय मोहंती

नई बात नहीं है रिजर्व बैंक में अफसरशाहों की नियुक्ति

रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद पर अफसरशाहों की नियुक्ति नई बात नहीं है। इसके उदाहरण बहुत पहले से नजर आते रहे हैं। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की बुनियाद 1935 में रखी गई और तब से बीते 90 साल में 25 गवर्नरों ने उसकी कमान संभालकर भारत के बैंकिंग नियमन तथा मौद्रिक नीति निर्माण का काम देखा है। इनमें से 14 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, सात पेशेवर अर्थशास्त्री थे और तीन वित्तीय क्षेत्र से थे। आरबीआई कैडर का केवल एक अधिकारी गवर्नर बन सका है। आप प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों यानी अफसरशाहों के नाम लेकर कह सकते हैं कि वे प्रशिक्षित अर्थशास्त्री भी थे। परंतु हालिया बहसों में इस तथ्य को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है कि रिजर्व बैंक गवर्नर के पद पर सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रमुखता रही है और पिछले कुछ समय में सरकारों ने इस पद के लिए अफसरशाहों को ही उपयुक्त माना है।

जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 17 साल के कार्यकाल में चार आरबीआई गवर्नर नियुक्त किए और वे सभी अफसरशाह थे। यह दलील बचकानी होगी कि नेहरू ने अफसरशाहों को इसलिए चुना क्योंकि उस समय प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे ही नहीं। इंदिरा गांधी की सरकार में भी अफसरशाहों को प्राथमिकता दी गई और ऐसे तीन अधिकारियों को केंद्रीय बैंक का प्रमुख बनाया गया। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने भी 1935 से 1947 तक 12 साल में जो तीन गवर्नर बनाए, उनमें दो अफसरशाह ही थे। जिन सरकारों ने अफसरशाहों को आरबीआई गवर्नर नहीं बनाया वे थीं मोरारजी देसाई की सरकार, इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल और पी वी नरसिंह राव की सरकार।

इसी सोमवार को रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा की नियुक्ति पर सरकार ने मोहर लगा दी। वह इसके 26वें प्रमुख होंगे और इस पद पर बैठने वाले 15वें अफसरशाह भी होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आरबीआई गवर्नरों की नियुक्ति की बाद करें तो अब पलड़ा अफसरशाहों के पक्ष में झुक गया है। 2014 से अब तक उसने दो अफसरशाहों और एक अर्थशास्त्री को इस पद पर नियुक्त किया।

चूंकि मोदी सरकार का दो अर्थशास्त्री गवर्नरों के साथ शायद वैचारिक मतभेद रहा (उनमें से एक को मनमोहन सिंह सरकार ने नियुक्त किया था) इसलिए माना जाता है कि राजनीतिक नेतृत्व आरबीआई गवर्नर के पद पर अफसरशाहों को तवज्जो दे रहा है। उन दो अर्थशास्त्री गवर्नरों में से एक ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने सहकर्मियों को ईमेल भेजकर बताया कि वह रिजर्व बैंक छोड़ रहे हैं। यह खुलासा उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 10 सप्ताह पहले किया। दूसरे अर्थशास्त्री गवर्नर के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ गहरे मतभेद रहे। उन्होंने केवल एक दिन का नोटिस देकर पद छोड़ने का फैसला किया, जबकि उनका कार्यकाल पूरा होने में आठ महीने बाकी थे।

ध्यान रहे कि वे मतभेद बहुत गंभीर किस्म के थे। किसी भी एक मुद्दे पर सरकार और गवर्नरों के बिल्कुल अलग-अलग नजरिये थे। शायद इसी अनुभव के कारण मोदी सरकार ने 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर पद के लिए आईएएस अधिकारी तलाशा। शायद उसे लगता था कि ऐसा करने पर वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच रिश्ते संभालना आसान होगा। पिछले छह साल में यह भरोसा सही साबित हुआ है। मतभेद थे लेकिन वे कभी सार्वजनिक तौर पर तमाशा नहीं बने, जो उनसे पहले के दो गवर्नरों के समय में हुआ था।

बीते छह साल में जो कुछ हुआ वह मोदी सरकार के लिए आश्वस्त करने वाला था। मगर यह मानना गलत होगा कि सरकारों और अफसरशाह गवर्नरों के रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं। हालांकि अब तक सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहे आरबीआई गवर्नर एक अफसरशाह थे लेकिन जब उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा रिजर्व बैंक पर किए जा रहे सार्वजनिक हमलों के खिलाफ अपनी स्वायत्तता के इस्तेमाल का फैसला किया तो उन्हें नेहरू सरकार के साथ मतभेदों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू ने उनका इस्तीफा यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आरबीआई को पता होना चाहिए कि 'उसे सरकार को सलाह तो देनी है मगर सरकार के हिसाब से ही चलना भी है।'

हाल के वर्षों में एक और अफसरशाह गवर्नर को वित्त मंत्री की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह वित्त मंत्री आर्थिक वृद्धि बरकरार रखने के पक्ष में थे और उन्होंने कहा था कि अगर रिजर्व बैंक ने दरें घटाकर इसमें मदद नहीं की तो वे अपने दम पर ही आगे बढ़ जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि अफसरशाहों द्वारा रिजर्व बैंक संभाला जाना कोई नई बात नहीं है और न ही गवर्नर बनाए जाने पर अफसरशाहों के सरकार के साथ मतभेद समाप्त हो जाते हैं।

यही वजह है कि मोदी सरकार ने नए आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति में इतना समय लिया। नए गवर्नर के नाम की घोषणा में की गई देर ने यकीनन देश के वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितताओं और अटकलों को जन्म दिया, जिनसे बचा जा सकता था। क्या सरकार यह घोषणा निवर्तमान गवर्नर का कार्यकाल खत्म होने से महज एक दिन पहले करने से बच सकती थी?

सच तो यह है कि नए आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति का निर्णय निवर्तमान गवर्नर का कार्यकाल समाप्त होने से बहुत पहले ले लिया जाता रहा है। वाई वेणुगोपाल रेड्डी का पांच साल का कार्यकाल पांच सितंबर 2008 को समाप्त होना था और मनमोहन सिंह सरकार ने 1 सितंबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रघुराम राजन की नियुक्ति उनके पद संभालने से एक महीना पहले हुई और ऊर्जित पटेल की नियुक्ति की घोषणा एक पखवाड़ा पहले की गई थी।

गवर्नर की पुनर्नियुक्ति यानी कार्यकाल बढ़ाने के लिए अपेक्षाएं एकदम अलग हैं। बिमल जालान, दुवुरी सुब्बाराव और शक्तिकांत दास के कार्यकाल में इजाफे का निर्णय उनका पहला कार्यकाल समाप्त होने के तीन-चार महीने पहले ले लिया गया था। इस हिसाब से देखें तो दास को दूसरा कार्यकाल देना होता तो इसका निर्णय और घोषणा बहुत पहले हो जाने थे।

ऐसे में संभव है कि सरकार दास को एक और कार्यकाल देने पर विचार कर रही हो और साथ ही नया गवर्नर नियुक्त करने का विकल्प भी उसने खुला रखा हो। इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि क्या विचार किया गया था। परंतु वित्तीय क्षेत्र और उस पर नजर रखने वाले इस बात को नहीं समझ पाए। दास का दूसरा कार्यकाल खत्म होने से एक हफ्ते पहले भी अटकलें लग रही थीं कि उन्हें तीसरी बार गवर्नर बनाया जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र नए गवर्नर के रूप में मल्होत्रा की नियुक्ति की संभावना का अनुमान भी नहीं लगा पाया।

वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में अपने छोटे से कार्यकाल की बदौलत मल्होत्रा के लिए बैंकिंग व्यवस्था और बाहरी क्षेत्र का प्रबंधन कोई अजीब काम नहीं होगा। मौद्रिक और मुद्रा संबंधी नीतियों पर भी यही बात लागू होती है। सरकार 2025-26 के लिए बजट पेश करे और मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो, उससे पहले दो और नियुक्तियां करनी होंगी। वे नियुक्तियां हैं आरबीआई में मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर और वित्त मंत्रालय में नए सचिव की नियुक्ति। अर्थशास्त्री अब भी डिप्टी गवर्नर के पद पर आ सकते हैं लेकिन यह नियुक्ति इस बात पर भी निर्भर करेगी कि नए आरबीआई गवर्नर अपनी मौद्रिक नीति समिति को क्या स्वरूप देना चाहते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव

डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी पारी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या मायने रखती है? ट्रंप दुनिया को अब तक सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस देने वाले और हर साल उनके उत्सर्जन में दूसरा सबसे ज्यादा इजाफा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सर्वविदित है कि वह जलवायु परिवर्तन को संशय से देखते हैं और जलवायु संकट के इस दौर में भी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल की पुरजोर वकालत करते हैं। वह कह चुके हैं कि पद संभालने के बाद वह ऊर्जा की कीमतें कम कराएंगे और हरित ऊर्जा योजनाएं बंद कर देंगे। वास्तव में वह चाहते हैं कि अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाए और वहां के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उद्योग से नियामकीय नियंत्रण ढीला पड़े।

लेकिन यह कहते समय याद रहे कि जो बाइडन के राष्ट्रपति रहते हुए भी अमेरिका जीवाश्म ईंधन में सबसे आगे रहा है और उसने इतना तेल उत्पादन किया, जितना किसी अन्य देश ने पहले नहीं किया है। वह विश्व का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है, जो रूस से 40 प्रतिशत अधिक उत्पादन करता है। इसलिए जब ट्रंप कहते हैं कि वह जीवाश्म ईंधन की तरफ लौटेंगे तो हमें समझना होगा कि हालात कितने खराब हो जाएंगे!

ट्रंप तो बाइडन प्रशासन की नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं के भी पीछे पड़ गए हैं। उन्हें वह उद्योग और नौकरियां खत्म करने वाली, चीन समर्थक तथा अमेरिका विरोधी बताते हैं। कुल मिलाकर वह दुनिया को आसन्न आपदा के कगार पर खड़ा देखकर हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाए जाने के विचार को पूरी तरह खारिज कर अतीत में लौटना चाहते हैं।

फिर सवाल उठता है कि जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका में चल रहे काम का क्या होगा? पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक मंच पर लाने वाली अंतरराष्ट्रीय संधियों का भविष्य क्या होगा? यह सवाल जरूरी है क्योंकि ट्रंप की इस बार की जीत कोई तुक्का या इत्तफाक नहीं है। 2016 में जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो दुनिया को पता ही नहीं था कि वह किसके साथ रहेंगे और किसके खिलाफ। हममें से ज्यादातर उनकी बातों को गीदड़ भभकी मानते थे। मगर इस बार वह इस यकीन के साथ सत्ता में आए हैं कि अमेरिका की जनता ने जलवायु परिवर्तन को सीधे तौर पर नकारने जैसे उनके विचारों के कारण ही उन्हें चुना है। इसलिए हमें उनके कार्यों से हैरत नहीं होनी चाहिए बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि वजूद पर संकट खड़ा करने वाली इस समस्या से निपटने के लिए दुनिया को क्या करना चाहिए।

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

यह सच है कि खुद तेल और गैस का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले अमेरिका के दोगलेपन के बाद भी जलवायु कार्रवाई के खिलाफ काम का संकल्प लेने के मामले में बाइडन पिछले राष्ट्रपतियों से अलग नजर आते हैं। उन्होंने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों को 2005 के स्तर से 50-52 प्रतिशत नीचे लाने और 2035 तक समूची बिजली को कार्बन के प्रदूषण से एकदम मुक्त बनाने का साहसिक लक्ष्य तय किया है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश लाने के लिए लाया गया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (आईआरए) बेहद शानदार उपाय था। इस मामले में अमेरिका ने झंडा उठाया था इसलिए दूसरे देश इससे बच नहीं सकते थे। उन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने ही पड़े। हालांकि यह काफी नहीं था, बल्कि लक्ष्य के आसपास भी नहीं था। मगर तस्वीर बदल गई थी।

सवाल यह भी उठता है कि क्या ट्रंप अपने देश को जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि जैसी वैश्विक संधियों से बाहर कर लेंगे? ज्यादातर लोगों को लगता है कि वह ऐसा ही करेंगे। इससे कार्बन कम करने का दुनिया का इरादा कमजोर पड़ेगा और उस सहकारी समझौते को भी झटका लगेगा, जिसके हिसाब से विकासशील देशों को कार्बन कम करने तथा स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय मदद मिलनी है।

तब हमें इसी हकीकत के साथ चलना होगा। लेकिन यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह सब तब हो रहा है, जब जलवायु परिवर्तन के असर बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा देशों को बरबाद कर देंगे। लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे और दुनिया में असुरक्षा बढ़ जाएगी। आज की दुनिया में आव्रजन वह मुद्दा है, जिसके कारण ऐसे मजबूत नेताओं का समर्थन बढ़ रहा है, जो अवैध घुसपैठियों को टिकने नहीं देंगे। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बिगड़ने के साथ हालात और खराब होते जाएंगे। इससे निपटने के लिए हम सब को हरकत में आना होगा। हमें वैश्विक नेतृत्व की जरूरत होगी मगर ऐसे मुखर स्वर भी चाहिए, जो सामने खड़ी आपदा की बात ही न करें बल्कि अलग तरीके से काम करने की संभावनाओं पर भी बोलें। आज हमें उम्मीद भरे ऐसे ही संदेश की जरूरत है।

दुनिया कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने के सफर में आगे बढ़ चुका है और आसानी से पीछे नहीं लौट सकता। बैटरी एवं नवीकरणीय ऊर्जा समेत हरित प्रौद्योगिकियों पर बहुत भारी निवेश किया गया है और इस नई अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी में भारी-भरकम निवेश करने वाले चीन के लिए यह बहुत अहम है। मगर हमें पर्यावरण के क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाए गए तरीकों को नया रूप देना होगा। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में होने वाले खर्च को समझना होगा। हमें विकासशील देशों में ही नहीं औद्योगीकरण की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके विकसित देशों में भी हरित ऊर्जा अपनाने के समावेशी और किफायती तरीके तलाशने होंगे। ट्रंप के चुनाव से हमें यही समझने की जरूरत है - संदेश एकदम साफ है और इसे नकारने का जोखिम भी हमारा ही है।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरन्मेंट से जुड़ी हैं)

आपका पक्ष

युवा राष्ट्र भविष्य की प्राथमिकता

लेख 'प्रजनन दर बढ़ाए बिना कैसे हल हो आबादी का सवाल?' घटते प्रजनन पर सार्थक चर्चा करते हैं। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं की घटती जनसंख्या वृद्धि दर जहां जनसंख्या परिवर्तन के कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और साथ ही जापान, यूरोप और चीन के लिए घटती युवा शक्ति और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या आर्थिक वृद्धि दर में लगातार कमी की ओर ले जा रही है। भारत में घटते प्रजनन के सामाजिक एवं आर्थिक कारण हैं जिनका समाधान समाज के भीतर ही निहित है। आर्थिक समृद्धि की मैराथन दौड़ में पुरुष और महिलाएं अपने ही परिवारों से दूर हो रहे हैं परंतु यह भूल रहे हैं कि संतान-हीनता से बढ़ती आयु में अपने जीवन को ही दीन-हीन, बेबस और निरानंद बना रहे हैं। वह अस्पतालों, डॉक्टरों, वृद्धाश्रमों और अपने रिश्तेदारों के लिए कमाई कर रहे हैं। टूटते संबंधों, न्यूक्लियर परिवार में सीमित होना, परिजनों से दूर रहना, सात दिन 18 घंटे की कार्यप्रणाली, वर्क फ्रॉम होम में कंप्यूटर से चिपके रहना, स्त्री-पुरुष में कुछ नहीं छोड़ता और वह भूल जाते हैं कि अपने परिवार को बढ़ाने और देश-समाज की समृद्धि के लिए अपनी संतानों को जन्म देना एक पावन और नैसर्गिक कर्तव्य है। दूसरा पक्ष यह है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने प्रजनन को एक प्रोजेक्ट बनाकर बहुत महंगा कर दिया है। छोटे बच्चों की स्कूल की लाखों रुपये की फीस, डोनेशन और खर्च ने माता-पिता की हिम्मत तोड़ दी है कि एक संतान के आगे कुछ सोच भी सकें। दो बच्चों से अधिक संतानों के माता-पिता को किसी भी तरह की मुफ्त प्रजनन चिकित्सा का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बल्कि ऐसे माता-पिता को किसी प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन, मुफ्त सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए और इसके स्थान पर बच्चों की मृत्यु दर कम करने और उनके शिक्षा और जीवन सुधार पर खर्च करना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

सरकार को देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण और प्रजनन दर के बीच सामंजस्य के लिए कदम उठाने चाहिए

ऋण और संचयः भविष्य के वित्तीय संकट के संकेत

भारतीय रिज़र्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में बीते दशक के दौरान बैंकों की जमा राशि में ढाई गुना और ऋण में 4.5 गुना की वृद्धि का विवरण हमारे आर्थिक तंत्र में गहराते असंतुलन को उजागर करता है। संचयशीलता, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक रही है, उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव और ऋण पर निर्भरता के कारण क्षीण हो रही है। ऋण की इस अप्रत्याशित वृद्धि के पीछे तात्कालिक सुख-सुविधाओं की बढ़ती प्रवृत्ति और दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन की कमी का बड़ा योगदान है। यदि यही प्रवृत्ति जारी रही, तो 'संचय' केवल शब्दकोश का एक आदर्शमात्र रह जाएगा, और 'ऋण' हमारी आर्थिक पहचान बन जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में, वित्तीय संस्थानों को ऋण वितरण में विवेकशीलता अपनानी चाहिए और संचय को पुनर्जीवित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर, हमें अपने उपभोग और खर्च की आदतों में अनुशासन लाकर बचत को प्रोत्साहित करना होगा।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख (दाएं) ने सीरिया से बेरूत आए 75 भारतीयों को बुधवार को स्वदेश के लिए रवाना किया। इनमें जम्मू-कश्मीर के 44 जायरीन (दर्शनार्थी) भी हैं।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 12 दिसंबर, 2024

कल्पमेधा

किसी देश की महानता उसकी सीमाओं के विस्तार पर नहीं, बल्कि उसके अंदर बसने वालों के चरित्र पर निर्भर है।

– कोलबेयर

सहमति के बजाय

जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, सर्वदलीय बैठक बुला कर आपसी सहमति और सहयोग से कार्यवाही चलाने का संकल्प लिया जाता है। मगर, पिछले कुछ समय से संसद का कामकाज हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है। किसी मसले पर विपक्ष बहस की मांग करता है और सभापति की मंजूरी न मिल पाने के बाद हंगामे का सिलसिला चल पड़ता है। पूरा का पूरा सत्र बिना किसी सार्थक बहस और विधेयकों पर जरूरी चर्चा के बगैर समाप्त हो जाता है। चालू सत्र में भी पहले ही दिन से हंगामा चल रहा है। विपक्ष अडाणी मामले पर बहस कराना चाहता है, मगर दोनों सदनों में इसकी इजाजत नहीं मिल पा रही। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रख दिया है। उसका कहना है कि सभापति विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, वे अपनी मर्जी से बहसों को रेकार्ड में लेते या नहीं लेते हैं। सत्तापक्ष के लोगों को बोलने का अधिक अवसर देते हैं, आदि। यह बहत्तर वर्षों के संसदीय इतिहास में पहला मौका है, जब इस तरह राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उन्हें हटाने की मांग उठी है।

ऐसा नहीं कि पहले विपक्ष के नेता किसी सदन के सभापति से असंतुष्ट नहीं होते थे। उन पर पक्षपात के आरोप नहीं लगाते थे। पहले भी ऐसा होता रहा है, मगर तब कटाक्ष, तल्ख बयान और बहसों के बाद मामले सुलझा लिए जाते थे। सदन की मर्यादा का निर्वाह किया जाता था। मगर पिछले कुछ समय से शायद इस तकाजे को कोई समझना नहीं चाहता। मानसून सत्र में विपक्षी दल के कई नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय मर्यादा और उनके पद की गरिमा का पाठ पढ़ाया। खूब कटाक्ष किए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद हंगामा खड़ा करके सदन के कामकाज में बाधा डाल रही है। वह चाहती ही नहीं कि संसद में किसी मुद्दे पर बहस हो। दरअसल, संसदीय कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है। अगर किन्हीं स्थितियों में विपक्ष का रुख अधिक आक्रामक हो जाता है और सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ती है, तो संसदीय कार्यमंत्री सुलह-समझौते से गतिरोध दूर करने का प्रयास करते हैं। मगर लंबे समय से दोनों सदनों के कामकाज बाधित हैं और सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नजर नहीं आता।

अपेक्षा की जाती है कि जरूरी मसलों पर संसद के भीतर बहस हो और सर्वसम्मति से कोई फैसला किया जा सके। मगर पिछले कुछ समय से संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मूंछ की लड़ाई अधिक दिखाई देती है, बहसें विपक्ष संसद से बाहर करता है। पिछली सरकार के समय तो दोनों सदनों के डेढ़ सौ से ऊपर विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह कई मसलों पर आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थितियों में सदन के सभापति की भूमिका निर्णायक हो जाती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि बिना किसी दलगत आग्रह के, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा कराएं और सरकार उस आधार पर उचित कदम उठाए। मगर न तो लोकसभा में और न राज्यसभा में ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा दिखाई दे रही है। आखिर इस गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा और कैसे भरोसा किया जाए कि संसद में कामकाज ठीक से चल सकेगा।

बड़ी उपलब्धि

मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल हिस्सा मस्तिष्क है। यह शरीर के बाकी हिस्सों पर कैसे नियंत्रण रखता है, यह कौतूहल ही नहीं, शोध का विषय भी रहा है। मानव मस्तिष्क के विकास को समझने के लिए वर्षों से अध्ययन होते रहे हैं। मगर दिमाग की गहरी परतों में उतर कर गुत्थियां सुलझाना इतना आसान नहीं रहा। भारत के लिए गर्व की बात है कि वह दिमाग की सामान्य संरचना से आगे बढ़ कर भ्रूण के मस्तिष्क के बारीक खंडों को देखने में समर्थ हो गया है। यों मस्तिष्क संबंधी जटिलताओं के लिए हमारे पास एमआरआइ जैसी तकनीक पहले से है। वहीं मस्तिष्क की गतिविधियों को जानने के लिए 'ब्रेन मैपिंग' तकनीक भी है। मगर अब हम इस दिशा में कई कदम आगे बढ़ गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने आधुनिक ब्रेन मैपिंग तकनीक से भ्रूण के मस्तिष्क की विस्तृत थ्री डी तस्वीर जारी कर सभी को चौंका दिया है। यह दुनिया में पहली बार है, जब अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से 5,132 मस्तिष्क खंडों को डिजिटल तस्वीरों में उतारा गया है। प्रौद्योगिकी सीमाओं से परे जाकर हमारे वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं ने चिकित्सा विज्ञान में इतिहास रच दिया है। आइआइटी, मद्रास अब एलन मस्तिष्क संस्थान की कतार में आ गया है।

यह इस मायने में भी बड़ी उपलब्धि है कि अब भ्रूण के विकास के पहले चरण में ही बीमारियों का जल्द पता लग जाएगा। वहीं मस्तिष्क संबंधी तमाम विकारों पर नियंत्रण आसान होगा। मस्तिष्क खंड की छोटी से छोटी डिजिटल तस्वीरें तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों की सहायता करेंगीं। इससे वे सटीक उपचार कर सकेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि मस्तिष्क कैंसर, ट्यूमर और मिर्गी के साथ तमाम बीमारियों और मनोविकारों की तह में जाने में अब मुश्किल नहीं होगी। तकनीक के इस नए विस्तार के बाद मरीजों को बेहतर और शीघ्र इलाज मिलने की उम्मीद है। वहीं ब्रेन मैपिंग होने से किसी गंभीर अपराध में पकड़े गए आरोपियों की दिमागी हलचल को बारीकी से समझा जा सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अब मस्तिष्क मानचित्रण में अमेरिका के समकक्ष है। निश्चित रूप से भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने चिकित्सा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है।

डिब्बाबंद भोजन से सेहत को खतरा

हाल के वर्षों में डिब्बाबंद या पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ा है। शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और सुविधाजनक विकल्पों की तलाश ने इन उत्पादों को घर-घर पहुंचा दिया है। हालांकि यह प्रवृत्ति जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से इस पर सवाल भी उठने लगे हैं।

रंजना मिश्रा

हाल में 'एक्सेस टू न्यूट्रीशन इनिशिएटिव' (एटीएनआइ) की नई रपट में यह तथ्य सामने आया है कि कुछ प्रमुख वैश्विक कंपनियां भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में, उच्च आय वाले देशों की तुलना में कम पौष्टिक खाद्य उत्पाद बेच रही हैं। इस अध्ययन में स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसमें उत्पादों को एक मानक के अनुसार एक से पांच के बीच बताया जाता है। इसमें 3.5 या उससे अधिक रेटिंग वाले उत्पादों को स्वस्थ माना जाता है। इस रपट के मुताबिक निम्न-आय वाले देशों में इन उत्पादों की औसत रेटिंग 1.8 पाई गई, जबकि उच्च-आय वाले देशों में यह 2.3 थी। इससे साबित होता है कि गरीब देशों में कम गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं, जो वहां के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दरअसल, इन देशों में पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों में चीनी, नमक और 'सैचुरेटेड फैट' की मात्रा अधिक पाई गई है।

इस रपट के मुताबिक भारत में 'पेप्सिको' के केवल 28 फीसद, 'यूनिलीवर' के 16 फीसद और 'मोंडेलेज' के मात्र दस फीसद उत्पाद स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों पर खरे उतरते हैं। इन कंपनियों के उत्पादों में पोषण की कमी है और इन्हें लंबे समय तक खाने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भारत में, जहां पहले से ही स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं और आम जनता के पास स्वास्थ्य देखभाल के सीमित साधन हैं, वहां इस प्रकार के उत्पादों का प्रसार स्थिति को और गंभीर बना देता है।

हाल के वर्षों में डिब्बाबंद या पैकेट वाले खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ा है। शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और सुविधाजनक विकल्पों की तलाश ने इन उत्पादों को घर-घर पहुंचा दिया है। हालांकि यह प्रवृत्ति जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। एटीएनआइ की रपट ने पैकेट वाले खाद्य पदार्थ के उन पहलुओं को उजागर किया है, जो न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि इससे जुड़े उद्योग की नैतिकता और दोहरे मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह समस्या केवल खाद्य उत्पादों तक सीमित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता अधिकार और वैश्विक न्याय जैसे बड़े मुद्दों से भी जुड़ी है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की मांग और उसकी बढ़ती लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सुविधा और विविधता तो है ही, ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। ये उत्पाद न केवल झटपट तैयार हो जाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को स्वाद भी देते हैं। यात्रा के दौरान ले जाने में सुविधाजनक होते हैं। इन खाद्य पदार्थों ने एक विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन इस सुविधा की कीमत उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य से चुकानी पड़ रही है।

भारत में पैकेट फूड बनाने वाले उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बढ़ती आय, शहरीकरण और ई-कामर्स के प्रसार ने इस उद्योग को एक बड़ा बाजार दिया है। देश के हर कोने में इन उत्पादों की पहुंच है,

लेकिन इस उद्योग के बढ़ते प्रभाव के साथ, इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न कचरा पर्यावरणीय संकट बढ़ा रहा है। इसके अलावा, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ पारंपरिक खानपान और स्थानीय खाद्य संस्कृति को भी प्रभावित

> **भारत में डिब्बाबंद खाद्य बनाने वाले उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। देश के हर कोने में इन उत्पादों की पहुंच है, लेकिन इस उद्योग के बढ़ते प्रभाव के साथ, इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न कचरा पर्यावरणीय संकट भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ पारंपरिक खानपान और स्थानीय खाद्य संस्कृति को भी प्रभावित कर रहे हैं। विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के सख्त मानकों के कारण वहां के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये कंपनियां गुणवत्ता से समझौता कर रही हैं।**

कर रहे हैं। विकसित देशों में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के सख्त मानकों के कारण वहां के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये कंपनियां गुणवत्ता से समझौता कर रही हैं। यह नीति न केवल अनैतिक है, बल्कि असमानता और अन्याय को भी बढ़ावा देती है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उच्च आय वाले देशों में इन कंपनियों के उत्पादों की पोषण रेटिंग बेहतर होती है, जबकि भारत जैसे देशों में यही कंपनियां निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचती हैं।

डिब्बाबंद स्वास्थ्य संबंधी नुकसान स्पष्ट हैं। इनमें नमक, चीनी और 'ट्रांस फैट' की अत्यधिक मात्रा होती है, जो न केवल मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बनती, बल्कि हृदय रोग और कैंसर का खतरा भी बढ़ाती है। इन उत्पादों में आवश्यक पोषक तत्त्वों की कमी होती है, जिसके कारण बच्चों और किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, इन उत्पादों की आकर्षक पैकेजिंग बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे इन्हें खाने के आदी हो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों से बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है। अत्यधिक चीनी और वसा वाले ये उत्पाद मधुमेह जैसे रोग का खतरा बढ़ाते हैं। साथ ही, इनसे बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इससे वे जल्दी बीमार पड़ते हैं। विज्ञापनों से प्रभावित होकर बच्चे घर का खाना छोड़ कर जंक फूड पर निर्भर हो जाते हैं। नतीजा, उनकी आदत बिगड़ जाती है।

इन उत्पादों में कई बार कृत्रिम रंग और परिरक्षक होते हैं, जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इनसे एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन बच्चों में ऊर्जा की कमी और थकान का कारण भी बन सकता है। कंपनियां अक्सर लागत में कमी और लाभ बढ़ाने के लिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद इन बाजारों में बेचती हैं। भारत जैसे देशों में, जहां बड़ी आबादी कम कीमत के उत्पादों पर निर्भर करती है, यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। निम्न-आय वाले देशों में उपभोक्ताओं को पोषण के महत्त्व और इन खाद्य उत्पादों में छिपे हानिकारक प्रभावों की सीमित जानकारी होती है। इसके अलावा बड़े ब्रांड की लोकप्रियता और कम कीमत, उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है। सरकार ने पैकेट फूड उद्योग को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) का गठन किया गया, जो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। एफएसएसएआइ ने पोषण के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाया है। सरकार ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं, लेकिन इन प्रयासों को और मजबूत करने की जरूरत है।

यह समझना आवश्यक है कि मुनाफा स्वास्थ्य से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो सकता। कंपनियों को उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। पोषक तत्त्वों से भरपूर उत्पाद विकसित करने के लिए उन्हें अनुसंधान और नवाचार में निवेश करना चाहिए। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है, जब उपभोक्ता जागरूक हों, सरकार जिम्मेदार हो और उद्योग नैतिकता का पालन करें। यह न केवल उपभोक्ताओं, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य और मुनाफे के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। स्वस्थ जीवनशैली और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है।

बदलते रंगों का मौसम

कृष्ण कुमार रत्तू

बदलाव प्रकृति का नियम है और इस बदलाव की प्रक्रिया में ऋतुओं का चक्र हर नए मौसम की नई उमंगों और नई तरंगों के साथ मानवीय मन-मस्तिष्क और हृदय में नई ऊर्जा का संचार करता है। प्राकृतिक रंगों और बदलते मौसम का यह खूबसूरत दृश्य संपूर्ण धरती और सौरमंडल को रंगों के इस उत्सव में भिगो देता है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से रंगों की प्रक्रिया, बदलते मौसम और ऋतुओं के इस चक्र से पूरा जहान रंगों के आनंद में बह जाता है। बदलते मौसम की यह प्रक्रिया और रंगों की रूमानी चादर इस तरह से बदलती है कि धरती का हर लम्हा हर मौसम में नया लगता है। इसका मर्म यह है कि धरती पर रहने वाले सब पशु-पक्षी और इंसान अपनी जिंदगी के लिए रंगों के आवरण में रंग कर मौसम का लुत्फ लेकर अपने आप को हर मौसम के लिए जिंदा रख सकें। जिंदा रहने और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मनुष्य को नई सांसों की पूंजी से भर देता है।

खूबसूरती यह है कि जिंदगी और रंगों की इस अद्भुत दौड़ में यह सब कुछ ऐसे होता जाता है और इस तरह जीवन में और मौसम के साथ आता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस वक्त कौन-सा मौसम और ऋतुओं का चक्र और कौन-सा मौसमी रंग बदल गया है। गर्मी, सर्दी, बारिश और बसंत का मौसम आंख झपकते ही हमें नए जोश और उत्साह से भर देता है। यों दुनिया भर के साहित्य में मौसमों को प्रकृति और इंसान के बीच बदलाव की प्रक्रिया को खूबसूरत शब्दों में बयान किया गया है।

कहते हैं कि हर सुबह बदलते मौसम की सूचक है। सूर्य की पहली किरणें हर नए रंग से हमें इस धरती पर रहने वाले जीव-जंतु, पौधे, वनस्पति को रोमांस से भर देती हैं। यही धूप का साया है और यही रंगों की आमद है, जो जिंदगी की निशानी है। पर इन बदलते मौसम में रंगों का मौसम कैसे धीरे-से हमारे जीवन में बिना आहट के आ जाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। अक्तूबर में हल्की गर्मी की ढलान से थकी हुई धूप के बाद नवंबर में गुलाबी ठंड की दस्तक भी अब दिसंबर के सफर पर चल पड़ी है। यही शरद ऋतु का नजारा और रंग ऋतुओं के रंगों की महकती हुई हवा नई जिंदगी और नए समय की प्रभात का एक नया रंग है। रंगों का यह मौसम है जो जिंदगी को अपने रंग से ढक देता है।

बदलते मौसम में सही से प्रकृति के जादू का मौसम शुरू हो रहा है। विज्ञान की दुनिया में धरती के जिन मुद्दों को लेकर इन दिनों बहस है कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए रंगों में से जिस तरह से हमने पर्यावरणीय तत्त्वों को लेकर पूरी धरती को जहरीली गैसों से भर दिया है, उससे हमारे जीवन पर इन प्राकृतिक रंगों के ऐसे धब्बे पड़ गए हैं, जिनसे हमारा जीवन और जीने के लिए साफ हवा-पानी प्रायः खत्म होता जा रहा है।

हमने प्रकृति के दिए हुए सारे रंगों को नष्ट कर दिया है। बदलते मौसम और प्रकृति के इन रंगों के पर्यावरण मुद्दों ने रंगों की प्रक्रिया को इतना बिगाड़ दिया है कि अब हमारे जीने पर ही प्रश्नचिह्न लग गया है। इस समय सच यह है कि हमने पूरी दुनिया के जल, जंगल, जीवन और समंदर को भी जिस तरह से दूषित कर दिया है, वह दूसरे ही रंग की कहानी कहता है।

रंगों का यह मौसम एक नई शुरुआत का मौसम है और यह धीरे से हमारे जीवन में हल्की गुलाबी सर्दी के आकाश में नए रंगों की आमद और उसकी आभा के रंग है और और शरद ऋतु के आते-जाते चारों तरफ धरती पर लाल, नारंगी, पीले और गहरे हरे रंग में नजर आती धरती पर छाई हुई चादर पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में पूरी दुनिया में एक-सी धवल दृश्य को दिखाती है।

रंगों के प्राकृतिक बदलाव की सत्ता को भी देखा जा सकता है और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह कौन चित्रकार है, कौन इसको रखता है और किस तरह से इस धरती को रंगों के शृंगार से हल्की ठंड और गुलाबी सम्मोहन की धूप से पेड़ पौधों में और वनस्पति में आदमी को नए क्षितिजों की ओर देखने के लिए एक नए उत्साह और उमंग से भर देता है। कश्मीर और पूर्वोत्तर में जिस तरह की वनस्पतियां होती हैं, वे अद्भुत हैं। वह स्विट्जरलैंड के बर्फ से लदे पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हमारे कश्मीर में इस मौसम को हरुद कहा गया है और सूफियों से लेकर नए कवियों तक लिखने वालों ने इस मौसम की खूबसूरती को बयां किया है। कश्मीर के लोग जानते हैं कि इन दिनों वहां पर बहुतायत में पाए जाने वाले मेपल के पेड़ों के पत्ते किस तरह रंग बदलते हैं और भूरे रंग से वहां की पहाड़ियां और धरती ढक जाती हैं।

वहां के आदि सूफियों की कविता में इसे जादुई मौसम का नाम दिया गया है और यह मौसम का जादू ही होता है जो आदमी को नए मरहलों की तरफ और नई ऊंचाइयों की तरफ देखने का उत्साह देता है। दुनिया भर के साहित्य में मौसमों के बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। सवाल है कि हम इन रंगों से क्या कर रहे हैं। अगर हमने जल, जंगल, जीवन, आकाश, पहाड़ और इस धरती को नहीं बचाया, तो यही रंग बदरंग होकर हमारी जीवन-लीला को समाप्त कर देंगे। अभी भी समय है कि हम हवा, पानी और पहाड़ को बचाकर इस जमीन पर जिंदा रहने के अवसर को बचा लें। धरती के रंगों से विमुख होना शायद हमें इतना महंगा पड़ जाएगा... हम अपनी और हवा से महरूम हो जाएंगे।

दुनिया मेरे आगे

> **सूर्य की पहली किरणें हर नए रंग से इस धरती पर रहने वाले जीव-जंतु, पौधे, वनस्पति को रोमांस से भर देती हैं। यही धूप का साया है और यही रंगों की आमद है, जो जिंदगी की निशानी है। पर इन बदलते मौसम में रंगों का मौसम कैसे धीरे-से हमारे जीवन में बिना आहट के आ जाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते।**

भविष्य की चिंता

ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में बुजुर्ग आबादी अधिक होगी। जबकि देश को गति प्रदान करने के लिए युवा पीढ़ी आवश्यक है। आज की पीढ़ी नौकरी-पेशा हो गई है। ज्यादातर युवा दंपति अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसी को वे बहुत मानते हैं। ज्यादातर तो संतान पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। उन्हें अपने भविष्य और सौंदर्य की चिंता रहती है। इसका दूसरा पहलू भी है। बच्चों की शिक्षा एवं चिकित्सा पर बहुत अधिक खर्च होता है। इसलिए भी दंपति एक से अधिक बच्चे नहीं चाहते। शासन को स्कूली शिक्षा और बच्चों की चिकित्सा निशुल्क कर देनी चाहिए। उच्च शिक्षित युवा माता-पिता भी बनना नहीं चाहते। जबकि बच्चों से ही परिवार बनता है। बच्चे हैं, तो अगली पीढ़ी है, हमारा भविष्य है। हमारे जन्मदाता कई अभावों के बाद भी तीन-चार बच्चे पालते थे। आज हम उन्हीं के अंश हैं। अब युवा दंपति बच्चों से कतरा रहे हैं, मगर एक समय के बाद उन्हें बच्चों की कमी याद आती है। तब उम्र ढलान पर आ जाती है। आज दंपति मिल कर कमाएं, किंतु अपना परिवार भी बनाएं। घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

– अरविंद जैन, उज्जैन

अमेरिकी साजिश

अमेरिका अपनी चौधराहट बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो वह दोस्त होने का दिखावा करता है, दूसरी तरफ भारत को कमजोर करने के लिए नित नई चालें चलता रहता है। वह किस देश को कब और कैसे अस्थिर करना है, इसकी साजिश करता है। सीरिया का संकट उसी षड्यंत्र की एक कड़ी है। अमेरिका के एक पूर्व जनरल वेस्ले क्लार्क ने अपनी एक पुस्तक में रहस्योद्घाटन किया है कि एक बार उन्होंने पेंटागन जाकर देखा कि कुछ जनरल एक नक्शा लेकर बड़ी गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। क्लार्क ने पूछा, क्या कर रहे हैं। इस पर एक जनरल ने कहा, सर हमें रक्षामंत्री का संदेश मिला है, जिन्होंने हमसे अगले पांच वर्षों में सात देशों की सरकारों को अस्थिर करने की योजना बनाने के लिए कहा है। अमेरिका दूसरे देशों में विद्रोही तैयार करता है और उनके माध्यम से सरकार गिराता है, जैसे सीरिया में हुआ।

– चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

किसकी गलती

देश को आजादी मिलने के बाद से हम भारतीयों के केवल दो प्रमुख शौक रहे हैं, एक क्रिकेट दूसरा सिनेमा। हालांकि पिछले कुछ सालों से हिंदी सिनेमा के प्रति दर्शकों की दीवानगी कुछ कम हुई है और दक्षिण भारतीय फिल्मों का आकर्षण पूरे भारत में बढ़ा है। शायद इसी दीवानगी के कारण पिछले सप्ताह प्रदर्शित हुई फिल्म 'पुष्पा-2' के प्रीमियर पर हादसा हो गया। अभिनेता अल्लू अर्जुन और अन्य कलाकारों की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ी। यह इतनी बेकाबू हो गई जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इसी भारी भीड़ के कारण दम घुटने से वहीं एक महिला की मौत हो गई। उसके बच्चे को भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सिनेमा हाल के प्रबंधकों को भी शायद इतनी भारी भीड़ का अंदाजा नहीं था और न ही प्रबंधन ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष प्रबंध किया था। आखिर किसी की तो गलती रही होगी। क्या सिनेमा प्रबंधन ऐसी व्यवस्था करेगा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

– वेद प्रकाश, गुरुग्राम

कीटनाशकों का जोखिम

कृषि में यूरिया, कीटनाशक और रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके उपयोग से किसानों को कम समय में अधिक उपज और मुनाफा हो रहा है। धान और गेहूं जैसे मुख्य अनाज की खेती में यूरिया और अन्य कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कीटनाशकों और यूरिया के प्रयोग से लोग हाइपरटेंशन, मधुमेह, कैंसर, पेट की बीमारी और हृदय रोग के शिकार हो रहे है। अनेक रसायन जो विदेशों में प्रतिबंधित है, उसे भारत में खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के दौरान देश में करीब 57 हजार मीट्रिक टन कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया था, जो आज बढ़ कर 65 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। भारतीयों के दैनिक भोजन में लगभग 0.27 मिलीग्राम डीडीटी पाई जाती है। सरकार को रसायनों पर प्रतिबंध लगाना अर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

– हिमांशु शेखर, गया

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

Machine Translated by Google

एक चौड़ा गलियारा

संसद को सभी प्रतिनिधियों के विचारों को व्यक्त करने का मंच बने रहना चाहिए

यह भारत में एक अभूतपूर्व कदम है। संसदीय इतिहास 60 सदस्य

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, पर विश्वास खो चुके हैं। विपक्ष के इन सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना नहीं है और अगर मतदान होता है तो यह गिर जाएगा। लेकिन यह बात अलग है। लोकतंत्र के लिए असली और नुकसानदेह बात यह है कि सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच विश्वास का अभाव है। श्री धनखड़ के फैसलों और उनके सार्वजनिक बयानों को विपक्ष ने उनके पक्षपातपूर्ण रवैये के सबूत के तौर पर पेश किया है।

श्री धनखड़ द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों को स्थगन प्रस्ताव के विषय पर बोलने की अनुमति देने का निर्णय, जिसे उन्होंने स्वयं 9 दिसंबर को खारिज कर दिया था, विपक्ष द्वारा उठाए गए इस अतिवादी कदम का अंतिम कारण था। इन सदस्यों ने अन्य बातों के अलावा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति न दिए जाने और श्री धनखड़ द्वारा सरकार के विचारों को सार्वजनिक रूप से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने तथा विपक्ष के विचारों की आलोचना किए जाने के पैटर्न को भी देखा। अक्सर, यह कैरियर राजनेता होते हैं जो पक्षपातपूर्ण प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष जैसे कथित रूप से गैर-राजनीतिक पदों पर चुने जाते हैं। एक बार सत्ता में आने के बाद, वे काफी हद तक विवाद से दूर रहते हैं। इसलिए, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ है।

यह कोई संयोग नहीं है कि यह सब भाजपा द्वारा विपक्ष की जगह कम करने के निरंतर अभियान की पृष्ठभूमि में हो रहा है। सरकार की आलोचना को राष्ट्र-विरोधी कृत्य के रूप में चित्रित किया जाता है, और संस्थाओं और व्यक्तियों को अक्सर आक्षेपों के माध्यम से निशाना बनाया जाता है। भाजपा और विपक्ष के बीच बहुत कम बातचीत होती है। यदि संसद केवल राजनीतिक आक्षेपों का एक और मंच बन जाती है, तो यह लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे नष्ट कर देगी। संसद की कार्यवाही से नागरिकों को यह संदेश मिलना चाहिए कि सरकार उनकी आवाज़ों के प्रति संवेदनशील है। श्री धनखड़ के बचाव में सरकार ने उनकी जाति का संदर्भ दिया और मुख्य विपक्षी दल की निंदा की, इस आक्षेप के साथ कि वह भारत विरोधी है। जबकि सरकार अपने बहुमत के आधार पर अपनी बात कहती है, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। जब संसद सरकार और विपक्ष के बीच दुश्मनी की गिरफ्त में होती है, तो अध्यक्ष से मध्यस्थता करने और आगे का रास्ता निकालने की उम्मीद की जाती है। अध्यक्ष की यह भूमिका तभी संभव है जब उस पर बैठने वाला व्यक्ति तटस्थ हो और उसे ऐसा ही माना जाए। शिकायतों की गंभीरता चाहे जो भी हो, अध्यक्ष अपने आलोचकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपना सकते हैं कि संस्थागत अखंडता के लिए वे राजनीतिक विवाद से ऊपर हैं।

बेंच और कट्टरता

अल्पसंख्यकों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया की आवश्यकता

पी राजनीतिक संबंधों पर शायद ही कभी विचार किया जाता है न्यायिक पद पर बने रहने के लिए अयोग्यता एक अयोग्यता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि खुली कट्टरता एक अयोग्यता होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की विवादास्पद टिप्पणी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अस्वीकार्य गाली भी शामिल थी, ने न्यायाधीश के रूप में उनकी निष्पक्षता पर संदेह जताया, भले ही पद पर बने रहने की उनकी उपयुक्तता पर संदेह क्यों न हो। न्यायमूर्ति यादव ने अशुभ रूप से टिप्पणी की कि "यह भारत है और इसे इसके बहुमत की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा"। जिस हिंदू-मुस्लिम द्वंद्व के संदर्भ में वे बात कर रहे थे, उससे यह स्पष्ट था कि वे लोकतंत्र में शासक बहुमत का उल्लेख नहीं कर रहे थे, बल्कि उस तरह की संख्यात्मक श्रेष्ठता का उल्लेख कर रहे थे जो बड़े समूह को यह तय करने का अंतिम अधिकार देती है कि देश कैसे चलाया जाए। न्यायाधीश ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों की तुलना करने की भी कोशिश की और इस पर टिप्पणी की कि हिंदू कैसे दया और सहिष्णुता सीखते हैं, जबकि मुसलमान कथित तौर पर ऐसा नहीं करते क्योंकि वे जानवरों का वध होते देखते हैं। उन्हें पहले यह देखने के लिए जाना जाता है कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता और छोड़ता है और धर्मांतरण के खिलाफ टिप्पणी की। यह एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों को उजागर करने वाली रिपोर्टों पर ध्यान दिया है और उच्च न्यायालय से विवरण मांगा है। यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि क्या कोई आंतरिक जांच होगी, या उन्हें हटाने के आह्वान पर कोई प्रतिक्रिया होगी, लेकिन यह निश्चित है कि न्यायाधीश का आचरण और कामकाज न्यायोचित जांच के दायरे में आएगा।

भले ही यह आयोजन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए था, लेकिन यह सार्थक बहस के लिए आदर्श मंच नहीं था। वीएचपी हिंदू बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण का एक आक्रामक समर्थक है, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर राम मंदिर बनाने के लिए एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है, और एक ऐसा संगठन है जिसे दंगों, कलह और बहुत खून-खराबे को बढ़ावा देने के लिए अतीत में प्रतिबंधित किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि मंच नागरिक मामलों के लिए एक समान कानून के गुणों की प्रशंसा करने की तुलना में अल्पसंख्यकों पर हमला करने के लिए अधिक इच्छुक होगा। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों से ऐसे समूहों द्वारा प्रदान किए गए मंच की शोभा बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जाती है। यह खेदजनक है कि न्यायाधीश नैतिक सिद्धांतों को भूल गए जो उच्च न्यायपालिका को बांधते हैं।

1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने 'न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना' को अपनाया था, जिसके तहत उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से लोगों का संस्थान की निष्पक्षता में विश्वास फिर से मजबूत होना चाहिए और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जो इस धारणा को खत्म करती हो। हालांकि ऐसे सिद्धांतों से चूक होना कोई दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन जस्टिस यादव इसका एक ज्वलंत उदाहरण पेश करते हैं।

सहायता प्राप्त मृत्यु का लंबा और जटिल रास्ता

सुहृथ पार्थसारथी

मद्रास उच्च न्यायालय में अभ्यास करने वाला एक वकील

29 नवंबर 2024 को, जबकि असाध्य रूप से बीमार वयस्कों का परिचय (जीवन का अंत) विधेयक 2024-25 (सहायता प्राप्त) ब्रिटिश हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स (Dying Law) में कॉमन्स में संसद सदस्य किम लीडबीटर ने एक "पीड़ादायक मौत" की व्यथित करने वाली कहानी सुनाई।

सुश्री लीडबीटर ने बताया कि 47 वर्षीय संगीत शिक्षक, जिनका एक छोटा बेटा भी था, पित्त नली के कैंसर से पीड़ित थे, जिसके कारण उनकी आंतें अवरुद्ध हो गई थीं। अपने अंतिम दिन, उन्हें लगातार पाँच घंटों तक मल की उल्टी होती रही, जिसके बाद उनका दम घुट गया और उनकी मृत्यु हो गई।

उल्टी इतनी तेज थी कि उसे बेहोश नहीं किया जा सका और सबसे बुरी बात यह है कि वह इस दर्दनाक घटना के दौरान होश में रहा। इस दौरान उसकी पत्नी डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाती रही। लेकिन उसका इलाज कर रहे डॉक्टर असहाय थे। उसके परिवार का कहना है कि उसकी मौत के समय उसके चेहरे पर जो खौफ था, वह कभी नहीं मिटेगा।

सुश्री लीडबीटर ने शिक्षक के मामले को इस तरह से बताया कि कई अन्य लोग घातक बीमारियों से पीड़ित हैं, और उनके पास अपने दर्द को खत्म करने के लिए सहायता लेने का कोई विकल्प नहीं है। मसौदा कानून - जो छह महीने से कम समय तक जीने वाले (इंग्लैंड और वेल्स में) गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को मरने का अधिकार देता है, बशर्ते कि उनके पास दो डॉक्टरों और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध हो - पर गहन बहस हुई। आखिरकार, विधेयक को 55 मतों के बहुमत से पारित कर दिया गया, जिसमें 330 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 275 ने इसके खिलाफ मतदान किया।

कुछ असामान्य परिस्थितियों में, संसद सदस्यों को उनकी पार्टी के सचेतकों द्वारा उन पर लगाए गए बंधनों से मुक्त कर दिया गया था। उन्हें अपनी अंतरात्मा की इच्छा के अनुसार निर्णय लेने के लिए कहा गया था। परिणामस्वरूप, सभी तरह के दिलचस्प मतदान पैटर्न सामने आए। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और उनके कंजर्वेटिव पूर्ववर्ती ऋषि सुनक ने इसके पक्ष में मतदान किया। उप प्रधानमंत्री एंजेला रेनर और स्वास्थ्य सचिव वेस स्ट्रीटिंग ने मसौदे को अस्वीकार कर दिया।

मुद्दे की जटिलता कॉमन्स में पारित होने के बाद, प्रस्ताव अब एक सार्वजनिक विधेयक समिति द्वारा समीक्षा के लिए रखा गया है, जो अंतिम मंजूरी के लिए संसद को मसौदा वापस भेजने से पहले इसकी जांच करेगी, इसे समायोजित करेगी और इसके विभिन्न खंडों में संशोधन का सुझाव देगी। इसलिए, अभी भी कुछ रास्ता तय करना बाकी है।

लेकिन सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए कानून बनाने के पिछले प्रयासों की असफलता को देखते हुए, विधेयक का पारित होना एक मील का पत्थर है, यह उन लोगों के लिए जीत है जो असहनीय बीमारी का सामना करने पर मरने के अधिकार को मानव स्वतंत्रता का अभिन्न अंग मानते हैं।

साथ ही, तीव्र रूप से भिन्न विचार ब्रिटेन में सांसदों के बीच व्यक्त की गई बातें हमें यह भी दिखाती हैं कि यह कितना जटिल मुद्दा है। इस बहस में ऐसे सबक हैं, जिन्हें दुनिया के बाकी देश भी अपना सकते हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है।

> इसमें शामिल पेचीदगियाँ - जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहस चल रही है
>
> राज्य दिखाता है - इस तथ्य से ध्यान नहीं हटाना चाहिए कि यह सम्मान और पीड़ा निवारण से जुड़ा मुद्दा भी है

लोगों को सम्मान और करुणा के साथ अपना जीवन जीने और समाप्त करने के लिए प्रेरित करना।

कानून का विरोध मुख्य रूप से दो मुद्दों पर टिका है। सबसे पहले, विरोधियों का तर्क है कि यह कानून एक "फिसलन भरी ढलान" पर आधारित है - कि सहायता प्राप्त मृत्यु के अधिकार को सीमित करने वाली सीमाएँ खींचना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा, और यह कि वृद्ध और विकलांग लोगों पर इस डर के बीच अपना जीवन समाप्त करने का दबाव डाला जा सकता है कि वे अपने प्रियजनों पर बोझ बन सकते हैं।

आलोचकों का यह भी दावा है कि इसी प्रकार का कानून कनाडा में इसके परिणाम चिंताजनक रहे हैं। मूलतः, देश के सर्वोच्च न्यायालय के 2015 के एक फैसले के बाद, सरकार ने उन लोगों के लिए सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए रास्ते खोले थे जिनकी मृत्यु "उचित रूप से पूर्वानुमानित" थी।

लेकिन तब से इस कानून को न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विस्तारित किया गया है ताकि इसे उन लोगों पर भी लागू किया जा सके जो "गंभीर और असाध्य चिकित्सा स्थिति" का सामना कर रहे हैं। ऐसा करने से, बिल के आलोचकों का कहना है कि नियम की उज्ज्वल रेखाएँ धुंधली हो गई हैं।

'वैध मामले हैं' कानून के समर्थक इस आलोचना का जवाब देते हुए बताते हैं कि कैसे फिसलन भरी ढलान का आह्वान यह दर्शाता है कि तर्क देने वाले लोग रियायत दे रहे हैं: कि ऐसे वैध मामले हैं जहाँ किसी को मरने में मदद करना न्यायोचित हो सकता है। इसके अलावा, वे कहते हैं कि कानून, जैसा कि मसौदा तैयार किया गया है, सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है: इसमें केवल वयस्क ही शामिल हैं जो निर्णय लेने में सक्षम हैं, जो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं और जिनके पास जीने के लिए छह महीने से भी कम समय है, वे अपने जीवन को समाप्त करने में सहायता मांग सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, दावा करने वाले व्यक्ति का दो डॉक्टरों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 14 दिन का परीक्षण समय दिया जाएगा, तथा उच्च न्यायालय की स्वीकृति के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यू.के. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष लॉर्ड डेविड न्यूबर्गर का तर्क है कि विधेयक के खंड इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से कड़े हैं कि कानून लोगों के व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करता है, तथा वास्तव में न्यायिक चुनौती के माध्यम से इसके दायरे को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

विरोध का दूसरा कारण अधिक परंपरागत, दार्शनिक आधारों से उपजा है, जो कभी-कभी धर्म और आस्था के विचारों पर आधारित होता है। इन आलोचकों का दावा है कि प्रस्तावित कानून, करुणा के रूप में प्रच्छन्न छल है, और जीवन के अधिकार की अनुल्लंघनीयता को समाप्त करता है। जवाब में, विधेयक के समर्थक मानते हैं कि अधिकांश मामलों में, किसी के जीवन को लेने और लोगों को मरने से बचने के लिए गंभीर आपत्तियाँ होनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार पर आधारित आपत्तियाँ प्रबल होंगी। लेकिन यहाँ संघर्ष, जैसा कि वे प्रदर्शित करते हैं, विशेष रूप से नहीं है

असंगत। क्योंकि, जैसा कि सुश्री लीडबीटर और अन्य लोगों ने दिखाया है, जिस नैतिक पृष्ठभूमि में बहस चल रही है, वह चिकित्सक-सहायता प्राप्त मौतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दे सकती। आखिरकार, हम आम तौर पर मानते हैं कि हर वयस्क को अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता, हमारे शरीर की संप्रभुता पर आधारित है, धार्मिक विश्वास या केवल विवेक से उत्पन्न हो सकती है, लेकिन, चाहे जो भी हो, यह कुछ ऐसा है जो हममें से प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित है।

निस्संदेह, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हम रोनाल्ड ड्वॉर्किन द्वारा वर्णित "आत्म-विनाश के अपरिवर्तनीय कृत्यों" में लिप्त न हों। लेकिन, साथ ही, इस कर्तव्य का पालन किसी भी परिस्थिति में "एक सक्षम मरते हुए मरीज को कुछ सप्ताह और पीड़ा में जीने के लिए मजबूर करने को उचित नहीं ठहरा सकता"। ऐसा करना सीधे तौर पर उस स्वतंत्रता पर आघात होगा जो हममें से प्रत्येक को अपने जीवन और शरीर पर प्राप्त है।

चुनाव और गरिमा पर कई मायनों में, ब्रिटेन में बहस सार्वभौमिक महत्व रखती है। भारत में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले मरने की सीमित स्वतंत्रता, निष्क्रिय इच्छामृत्यु और "अग्रिम चिकित्सा निर्देश" बनाने के अधिकार को मान्यता दी है - जो कि भविष्य में अक्षम होने पर चिकित्सा उपचार के लिए अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करने या उसे वापस लेने की स्वतंत्रता है। कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) में अपने फैसले में, कोर्ट ने इस अधिकार को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना, "व्यक्ति की गोपनीयता का एक तत्व"।

यहाँ से सहायता प्राप्त मृत्यु तक का रास्ता स्पष्ट रूप से एक लंबा रास्ता है। लेकिन जो कारण किसी को व्यक्तिगत गरिमा के पक्ष में रहने के लिए मजबूर करते हैं, वे निश्चित रूप से इस बात पर भी लागू होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में किसी घातक बीमारी से कैसे निपटना चाहता है। दूसरा विकल्प किसी व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर और जीवन के बारे में लिए गए किसी अन्य निर्णय के लिए।

ब्रिटेन की संसद में हुए विचार-विमर्श हमें दिखाया है कि सहायता प्राप्त मृत्यु को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना एक जटिल काम है। लेकिन फिसलन भरी ढलान या दुरुपयोग की संभावना की मात्र संभावना, इस तथ्य को कम नहीं कर सकती कि यहाँ दांव पर मानव गरिमा के लिए कुछ केंद्रीय है - यानी, लोगों को दर्द और पीड़ा के सबसे विनाशकारी रूपों को कम करने के लिए सचेत विकल्प बनाने की अनुमति देने की क्षमता।

कोई भी व्यक्ति इस बात पर बहस कर सकता है कि कोई कानून क्या है जो सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देता है, उसमें कुछ बातें शामिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस बुनियादी सिद्धांत पर ऐसा कानून अनिवार्य रूप से आधारित होगा, वह उन विचारों पर आधारित है जो हमारे अस्तित्व, सार्थक जीवन जीने की हमारी स्वतंत्रता और गोपनीयता, सम्मान और स्वायत्तता के अधिकारों के लिए केंद्रीय हैं।

वैकोम - दो राज्य, दो नेता और सुधार की कहानी

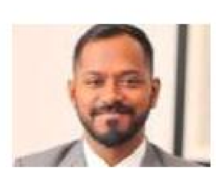

मनुराज शुनमुगा- सुन्दरम

न्यायालय के समक्ष अभ्यास करने वाला एक अधिवक्ता मद्रास उच्च न्यायालय और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रवक्ता

कझगम (डीएमके)

ए लगभग 100 साल पहले एक ऐतिहासिक घटना घटी थी सामाजिक-राजनीतिक क्षण जैसा कोई दूसरा नहीं था। वैकोम संघर्ष, जिसकी परिणति तत्कालीन त्रावणकोर रियासत में पिछड़ी जाति के हिंदुओं के स्थानीय मंदिर में प्रवेश पर लगी बाधाओं को हटाना, धार्मिक सुधार की ओर राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने वाले कई जन आंदोलनों में से पहला होगा। तब से, पेरियार ईवी द्वारा स्थापित द्रविड़ आंदोलन

रामासामी और उसके आत्म-सम्मान सिद्धांतों ने हिंदू धर्म के भीतर व्यापक सुधारों को सक्षम किया है और अधिक समतावादी समाज का मार्ग प्रशस्त किया है।

जो बात कम समझी गई है वह यह है कि यह केवल डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान में एक महत्वपूर्ण खंड जोड़ने के कारण ही संभव हो सका।

वैकोम की शताब्दी मनाना सिर्फ पेरियार की दृढ़ता और बी.आर.

यह न केवल अंबेडकर की कुशाग्र बुद्धि का परिणाम है, बल्कि दक्षिण भारत में आधुनिक राजनीति में व्याप्त मजबूत सुधारवादी प्रवृत्तियों की पुनः पुष्टि भी है।

जन आंदोलन का विकास वैकोम संघर्ष वैकोम महादेव मंदिर के समीप की सड़कों पर पिछड़ी जाति के हिंदुओं के चलने पर रोक के खिलाफ लड़ा गया था। जब केरल राज्य कांग्रेस कमेटी के नेताओं और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता नेताओं ने अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया, तो उन्हें प्रशासन द्वारा दमन का सामना करना पड़ा। 1924 में पेरियार के प्रवेश के साथ, यह धीरे-धीरे एक जन आंदोलन बन गया, जिसने सभी वर्गों के लोगों को अपने दायरे में ले लिया। नवंबर 1925 में, जब सड़कों पर चलने पर प्रतिबंध हटा दिए गए, तो राजनीतिक आंदोलन का लंबा दायरा सामाजिक न्याय की ओर झुकना शुरू हो गया। उसके बाद के दशक में, देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें बीआर अंबेडकर ने अंबादेवी मंदिर और कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहाँ दलितों को प्रवेश से वंचित रखा गया था।

हालाँकि, दक्षिण भारत में सुधार की गति धीमी है।

> वैकोम संघर्ष एक ऐतिहासिक सामाजिक-राजनीतिक क्षण था जैसा पहले कभी नहीं हुआ

भारत तेज गति से प्रगति कर रहा था, 1932 में विधान सभा द्वारा मंदिर प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पेश किया गया, इसके बाद 1936 में त्रावणकोर मंदिर प्रवेश उद्घोषणा, 1938 में मालाबार मंदिर प्रवेश विधेयक पेश किया गया। 1939 में मदुरै मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर में पिछड़ी जातियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1947 ने सभी जातियों के हिंदुओं को तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के भीतर सभी मंदिरों में प्रवेश करने और पूजा करने में सक्षम बनाया।

हालाँकि इनमें से कई सुधार भारत के संविधान को अपनाने से पहले हुए थे, लेकिन संविधान सभा ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित करने में बहुत सावधानी बरती। 7 दिसंबर, 1948 को चर्चा के दौरान, बीआर अंबेडकर ने मौलिक अधिकार की सीमा को सीमित करने के लिए 'सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन' उपवाक्य को शामिल किया और इस तरह आवश्यक होने पर राज्य के हस्तक्षेप को सक्षम किया।

इन सात शब्दों ने धर्म के दायरे में सुधारों के लिए कानूनी और वैध आधार तैयार किया, जिससे संवैधानिक न्यायालयों को मौलिक अधिकारों, अर्थात् समानता और धर्म के बीच विवाद होने पर हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाया गया।

राज्य और विनियमन का मुद्दा हमेशा से ही यह रहा है कि क्या मंदिरों और धर्म को राज्य द्वारा विनियमित किया जा सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो सरकार अपना धर्मनिरपेक्ष चरित्र खो देगी। सच्चाई या तर्क से इससे ज़्यादा दूर कुछ नहीं हो सकता।

मंदिरों को विनियमित करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप, जो सार्वजनिक स्थान हैं, समानता और पहुँच सुनिश्चित करने के लिए है। मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1927 से लेकर वर्तमान तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 तक का एक लंबा इतिहास, धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए विधायी इरादे को स्पष्ट करता है।

सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अनुरूप। इस स्थिति की पुष्टि हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीर 1954 (शिरूर मठ मामला) से शुरू होने वाले विभिन्न निर्णयों के माध्यम से की गई है, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को बरकरार रखा कि राज्य मंदिर के धर्मनिरपेक्ष वायु का प्रबंधन कर सकता है और आवश्यक धार्मिक अभ्यास की कसौटी को प्रतिपादित किया।

तब से, 1970 से शुरू होकर, तमिलनाडु में आने वाली विभिन्न सरकारों ने पिछड़ी जाति के हिंदुओं को अर्चक (पुजारी) के रूप में नियुक्त करने के लिए कानून बनाए हैं, जिसे कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप का विवादास्पद कार्य माना है।

ऐसे मामलों में, न्यायालय ने मंदिरों में धर्मनिरपेक्ष मामलों के प्रबंधन के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा है, तथा 'आगामी मंदिरों' की एक विशेष श्रेणी बनाई है।

परिवर्तन और प्रतिरोध पिछले कुछ वर्षों में, केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने गैर-ब्राह्मण जातियों से सैकड़ों प्रशिक्षित अर्चक, ओधुवार और भट्टाचार्य नियुक्त किए हैं। इनका न्यायालयों के भीतर और बाहर प्रतिरोध किया गया है। ये सुधार रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं और जड़ जमाए हुए सामाजिक हुक्मों को चुनौती देते हैं।

फिर भी, सुधारों के लिए जोर पहले से कहीं ज़्यादा है। वैकोम के सौ साल बाद और इस मुद्दे पर संविधान सभा की बहस के 75 साल से ज़्यादा बाद, एक सम्मोहक नैतिक आम सहमति उभर रही है। जबकि तमिलनाडु और केरल की सरकारें 12 दिसंबर, 2024 को वैकोम संघर्ष की शताब्दी मनाने के लिए सहयोग कर रही हैं, वे एक ऐतिहासिक घटना का भी जश्न मना रहे हैं जिसने दो राज्यों को एक साथ लाया। वे एक सामाजिक सुधार प्रक्षेपवक्र की शुरुआत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो दो महान नेताओं के एक साथ आने के कारण संभव हुआ।

संपादक के नाम चिठी

भारत ब्लॉक नेतृत्व

'समस्याओं का समाधान' 'भारत ब्लॉक' वह नहीं है मुख्य मुद्दा अब नेतृत्व के बारे में प्रतीत होता है। कुछ नेताओं के 'कप्तान को बदलने' के पक्ष में होने के कारण, इसे अनदेखा करने लायक नहीं माना जा सकता। विपक्ष के नेता द्वारा अपने पार्टी सांसदों को इस विषय पर 'सहयोगियों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया न करने' की सलाह देना केवल उनकी बुद्धिमता या कूटनीति की कमी को दर्शाता है।

अब स्थिति यह है कि आश्चर्य तब होता है जब विचारधारा से अलग या बिना विचारधारा वाली पार्टियाँ यूनियन बनाती हैं। इस बीच, कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव के अपने पक्ष हैं। कांग्रेस ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी के रूप में अपनी स्थिति पूरी तरह से नहीं खोई है। फिर भी, नेतृत्व तस्वीर में आता है। सच तो यह है कि केवल कांग्रेस के पास ही प्रभावी विपक्ष होने की पृष्ठभूमि है देश में - जो कि प्रमुख राजनीतिक आवश्यकता है।

पीआरवी राजा,
पंडालम, केरल

कमज़ोर और कमज़ोर विपक्ष

सिर्फ़ सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रहा है। महत्वपूर्ण फ़ैसले 'गुणवत्ता पर सवाल उठाए बिना' लिए जा रहे हैं और यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

नई संसद

बहुत धूमधाम से बनी इस इमारत ने सकारात्मक माहौल की उम्मीद जगाई थी। लेकिन, दु:ख की बात है कि यह एक गैर-कार्यात्मक व्यवसाय का मामला है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसे भी कुछ हद तक दोष देना होगा, क्योंकि वह नासमझ और दिशाहीन नजर आती है।

बालासुब्रमण्यम पावनी, सिकंदराबाद

एस.एम. कृष्णा के निधन पर

कृष्णा के निधन से राष्ट्र ने एक ऐसा दिग्गज राजनेता खो दिया है, जिन्होंने गार्डन सिटी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। सुस्थापित "ब्रांड बेंगलुरु"। उनके निधन से राजनीति में एक युग का अंत हो गया है, जो अपने पीछे सार्वजनिक सेवा और प्रगतिशील शासन की विरासत छोड़ गए हैं।

आर. शिवकुमार, चेन्नई

भारतीय क्षेत्र और चीन

विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा, चीन के साथ सीमा मुद्दे पर संसद में चर्चा, कहा- सदन इस तथ्य से अवगत है कि चीन ने भारत के 38,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटनाओं के परिणामस्वरूप अक्साई चिन में भारतीय क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया गया। इसके अलावा, पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया, जो 1948 से उसके कब्जे में है।" इस बात पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है कि भारत और अधिक क्षेत्र के नुकसान को कैसे रोकेगा।

वेद शाहा, कोल्हापुर,
महाराष्ट्र

letters@thehindu.co.in पर ईमेल किए गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

प्रेरणा

जहां मेरा हृदय है, वहीं मेरा भाग्य है।
- गजानन माधव मुक्तिबोध

संपादकीय

बिना कार्य संस्कृति बदले सही व जल्दी न्याय कठिन

सभी विचाराधीन कैदी (कुछ दफाओं को छोड़कर) जिन्होंने अभियोग में मिलने वाली अधिकतम सजा का एक-तिहाई समय बगैर 'न्याय' मिले काट लिया है, छोड़ दिए जाएंगे। केन्द्रीय गृहमंत्री ने नई संहिताओं की तारीफ की, जिनमें अब अभियोजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट को तय समय में फैसला करने की बाध्यता होगी। लेकिन क्या मात्र कानून बनाकर या फॉरेंसिक विज्ञान का प्रयोग बाध्यकारी कर न्याय प्रक्रिया को तेजी दी जा सकती है? आज से 37 साल पहले लॉ कमीशन ने जजों की संख्या 50 प्रति दस लाख आबादी करने की संस्तुति की थी। कानून मंत्री ने विगत 8 दिसम्बर को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 19,518 थी जबकि वास्तविक संख्या 15,115 यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से मात्र 12.59 दंडाधिकारी प्रति दस लाख। हाल के दशकों में सामाजिक-आर्थिक संबंध और जटिल होते गए। चेक बाउंस होना सिविल वाद की जगह आपराधिक कृत्य बना, साइबर क्राइम, तलाक के मामलों की बाढ़ आई, अपराध के तरीके, रफ्तार और आयाम बदले। पीएमएलए और नए कानूनों के तहत ईडी, सीबीआई, आईटी की भूमिका का विस्तार हुआ। फिर क्या नए कानून के तहत बाध्यकारी फॉरेंसिक इकाइयां उपलब्ध हैं? पूरी कार्य-संस्कृति बदलनी होगी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

बच्चों के साथ बैठने, बात करने का समय निकालिए

इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रौद्योगिकी में 'बॉट' शब्द लोकप्रिय है। यानी बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर । ये एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब हम बात करें बच्चों के लालन-पालन की। बच्चों के लालन-पालन में बॉट जैसी व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसमें बी का अर्थ है बुक्स। ओ को ऑपरेट यानी लालन-पालन से जोड़ सकते हैं और टी का अर्थ टाइम। हम अपने बच्चों को पुस्तकें जरूर भेट करें। उस पुस्तक की सामग्री क्या है, बच्चे की मानसिकता क्या है? इस पर ध्यान दें। सिर्फ देने के लिए किताब मत दीजिए, सोच-समझकर दीजिए। हम अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। ऐसे ही शपथ लीजिए कि लालन-पालन में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। और समय मूल्यवान है, इसलिए लालन-पालन में अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समय दीजिए। बच्चों के साथ बैठने, उनसे बात करने के लिए समय जरूर निकालिए। बॉट व्यवस्था के साथ बच्चों के जीवन के राजमार्ग पर चल पड़िए। क्योंकि हमारा भविष्य हमारी संतानें हैं।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नया विचार • यूएस की तरह हमारे यहां भी DOGE हो

सरकार के खर्चों में कटौती के लिए नई सोच की जरूरत है

सुझाव

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

अमेरिका में ट्रम्प की जीत के बाद 'DOGE' (डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या 'डोज') की स्थापना चर्चाओं में है। उद्यमी इलोन मस्क और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में काम करने जा रहा 'डोज' कोई सरकारी विभाग नहीं है। यह एक सलाहकार संस्था है, जिसका सीधा संपर्क ट्रम्प से होगा। यह सरकार के खर्चों को कम करने और उसे अधिक कुशल बनाने के तरीके खोजेगा। मस्क और रामास्वामी दोनों ही अरसे से छोटी सरकार के समर्थक रहे हैं। भारत में भी 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया गया था। हो सकता है कि 'डोज' के आइडिया में हमारे लिए भी कुछ काम का हो और उसकी मदद से हम अपनी सरकार को और अधिक कुशल बनाना सीख सकें।

ये सच है कि पैसा खर्च किए बिना सरकारों का काम नहीं चल सकता। वेतन देना, कार्यालय चलाना, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, सब्सिडी देना, बुनियादी ढांचा बनाना, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, शिक्षा- इन सभी में खर्च होता है। इसलिए यह कहना तो बेमानी होगा कि सभी सरकारी खर्च बेकार हैं। लेकिन किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में सरकारी खर्च हमेशा अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यही कारण है कि 'छोटी सरकार' या 'न्यूनतम सरकार' जैसे शब्द सापेक्ष हैं। लेकिन हम सरकार को थोड़ा और अधिक कुशल बनाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। और क्योंकि सरकारें बहुत पैमाने पर खर्च करती हैं, इसलिए बचाई गई छोटी राशि भी बड़ी बन जाती है।

'डोज' के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए, मस्क और रामास्वामी ने 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' में एक खुला पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश की स्थापना इस मूल विचार पर हुई थी कि हम जिन लोगों को चुनते हैं, वे सरकार चलाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अधिकांश कानून नौकरशाहों द्वारा प्रस्तावित होते हैं। अधिकांश सरकारी खर्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त राजनेताओं द्वारा नहीं, बल्कि लाखों अनिर्वाचित सिविल सेवकों द्वारा किए जाते हैं। और वे जानते हैं कि सिविल-सेवा सुरक्षा के कारण वे बर्खास्त नहीं किए जा सकते।

क्या यही बात हमारे देश भारत के लिए भी सही नहीं है? ये सच है कि केंद्रीय बजट पर शीर्ष नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। लेकिन प्रस्तावित योजनाएं और वास्तविक खर्च के आंकड़े अक्सर नौकरशाहों के दिमाग की ही उपज होते हैं। क्या यह संभव नहीं कि कुछ खर्चों की जांच करके उन्हें अधिक कुशलतापूर्ण बनाया जा सके?

मान लें कि सरकार का कुल खर्च-बजट लगभग 50 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम इन लागतों का 5% भी बचा सकें तो यह 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। यह भारत द्वारा एक वर्ष में एकत्र किए जाने वाले कुल सीमा-शुल्क के बराबर है। या कुल जीएसटी या कुल आयकर या कॉर्पोरेट कर-संग्रह का लगभग एक चौथाई। इस बचाए गए पैसे को बेहतर परियोजनाओं के लिए खर्च किया जा सकता है। इससे देश के सरकारी खजाने की सेहत भी सुधर सकती है। इसका परिणाम कम मुद्रास्फीति और कम ब्याज दरों के रूप में हो सकता है। कम ब्याज दरें अधिक निवेश, नौकरियों और आर्थिक विकास की ओर ले जाती हैं।

क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मस्क और रामास्वामी ने अपने पत्र में कहा था कि हम आंत्रप्रेन्योर हैं, राजनेता नहीं। हम अधिकारियों या कर्मचारियों के बजाय बाहरी वालंटियरों की तरह काम करेंगे। हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे या रिबन नहीं काटेंगे, लेकिन हम खर्चों में कटौती करेंगे।

टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से वेलफेयर योजनाओं को और दक्षतापूर्ण बनाया जा सकता है। अभी तो उनमें से बहुतेरी 2011 के आउटडेटेड मॉडल पर चल रही हैं। सच कहें तो दुनिया के हर देश को DOGE की जरूरत है।

यह तो समय ही बताएगा कि 'डोज' क्या हासिल कर पाता है। लेकिन उसका बाहरी लीडरशिप का विचार समझदारी भरा लगता है। 'डोज'-इंडिया का नेतृत्व भी नेताओं-नौकरशाहों के इकोसिस्टम से नहीं आ सकता। और सेवानिवृत्त अधिकारियों और न्यायाधीशों से भी नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खर्चों में कटौती के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और ये वो ही लोग कर सकते हैं, जिन्होंने अपना जीवन कुशल बनने की कोशिश में बिताया है। इस मायने में आंत्रप्रेन्योर लोग काम के हैं। वैसे भी हमारे पास ऐसे बेहतरीन व्यापारिक-समुदायों की कमी नहीं, जो लागत कम रखने में माहिर हैं। इसमें कुछ अनुभवी बिजनेस-लीडर्स को भी जोड़ा जा सकता है। उनके लिए शीर्ष तक सीधी पहुंच भी जरूरी है। ट्रम्प और मस्क एक-दूसरे के करीब हैं। मस्क के सुझावों पर ट्रम्प जरूर ध्यान देंगे। हमें भारत में भी इसी बात की जरूरत है कि परियोजनाओं का नेतृत्व करने वालों की बात प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीधे सुन सकें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • चिन्मय कृष्ण दास का अपराध क्या था?

बांग्लादेश में हो रही घटनाएं बहुत सवाल खड़े करती हैं

आस-पड़ोस

मकरंद परांजपे
लेखक, चिंतक, जेएनयू में प्राध्यापक

बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और उनके पूजास्थलों के साथ तोड़फोड़ की खबरें लगातार आ रही हैं। वहां पर हिंदुओं से जान बचाने के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा जा रहा है। ये घटनाएं हमें यहूदियों के साथ अत्याचारों और विभाजन के दंगों के दौरान हिंदुओं के साथ हुई हिंसा की याद दिलाती हैं। ऐसा नहीं है कि विभाजन के दौरान या उसके बाद में उपमहाद्वीप के रक्त-रंजित इतिहास में मुसलमानों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन जो बात अब स्पष्ट होती जा रही है, वो यह है कि दो किस्म की धार्मिक हिंसाओं को एक जैसा ठहराने की कोशिशें करना, या भगवा-आतंक का हौवा खड़ा करना अब नहीं चलेगा।

बांग्लादेश आज इतिहास के एक ऐसे चौरस्ते पर खड़ा है, जहां उसके सामने अस्तित्व का संकट है। ऐसे समय में, कोई एक व्यक्ति अकसर आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। हमने इसे बार-बार देखा है। पोलैंड में लेक वालेसा, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, म्यांमार में आंग सान सू की और उससे भी पहले, भारत में महात्मा गांधी, तिब्बत में दलाई लामा और बांग्लादेश के स्वतंत्र होने पर शेख मुजीबुर रहमान- इसके कुछ उदाहरण हैं। तो क्या अब इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास अनजाने में ही बांग्लादेश में हिंदू-उत्पीड़न के प्रतिकार का एक प्रतीक बन गए हैं?

इस्कॉन एक अहिंसक, शुद्ध शाकाहारी सम्प्रदाय है, जिसके नियम बहुत सख्त हैं। यह एक कीर्तन और सेवा आधारित अभियान है, जिसकी शुरुआत ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। प्रभुपाद ने गौड़ीय चैतन्य वैष्णव धारा या भक्ति आंदोलन के तत्वों से एक सुधारवादी अंतरराष्ट्रीय सम्प्रदाय बनाया, जिसकी जड़ें 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हैं।

बांग्लादेश की इस्कॉन इकाई ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया। उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ (इस्कॉन) बांग्लादेश में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं की निंदा करता है तथा धार्मिक समुदायों के बीच शांति और सहयोग का आह्वान करता है। उसने दावा किया कि इस्कॉन पर अनुचित तरीके से काम करने का गलत आरोप लगाया गया है। इस्कॉन ने इन हमलों में एक पैटर्न, यहां तक कि एक साजिश का भी आरोप लगाया। इस्कॉन ने आगे कहा कि वह पूरी तरह से अहिंसक, गैर-राजनीतिक, गैर-पक्षपाती और गैर-सांप्रदायिक आध्यात्मिक संगठन है, जिसकी 50 से अधिक वर्षों की बेदाग विरासत है। बांग्लादेश तो क्या, दुनिया में कहीं भी, किसी भी तरह की चरमपंथी गतिविधियों में इस्कॉन की संलिप्तता का एक भी उदाहरण नहीं है।

चिन्मय कृष्ण दास का कोई नायक या शहीद बनने का इरादा नहीं था। लेकिन अपने साथियों की हत्या और हिंदू मंदिरों को जलाने के बाद, वे बांग्लादेश में हिंदू प्रतिरोध का चेहरा बन गए। वे बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता बने। उन्होंने अपना नैतिक कर्तव्य निभाया, लेकिन आज देशद्रोह के अपराध में उन्हें जेल में ठूंस दिया गया है। उनका गुनाह क्या है? उन पर भगवा ध्वज को बांग्लादेश के झंडे से ऊपर रखने का आरोप लगाया गया है। जबकि जमात-ए-इस्लामी- एक कट्टरपंथी पार्टी, जो शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का नेतृत्व कर रही है- को अक्सर इस्लामी और जमात के झंडे को बांग्लादेश के झंडे से ऊपर रखते हुए देखा गया है। हमने यह भी देखा है कि कैसे जमात और अन्य तथाकथित छात्र कार्यकर्ता भारत के प्रति अनादर जताने के लिए तिरंगे को रौंद रहे हैं। इसकी तुलना में चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ लगाया गया आरोप- अगर वह सच है तो भी- एक मामूली उल्लंघन की तरह ही लगता है। शायद इसके लिए भी वे स्वयं जिम्मेदार न हों।

बांग्लादेश में हो रही घटनाओं ने धार्मिक स्वतंत्रता, पहचान, उसकी अभिव्यक्ति और हिंदुओं के भविष्य के बारे में गम्भीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी स्थिति में न्याय, निष्पक्षता और मानवाधिकार के क्या मायने रह जाएंगे?

बांग्लादेश आज जैसी राजनीतिक अराजकता और धार्मिक हिंसा में फंसता जा रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मौजूदा कार्यवाहक सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं? अमेरिका- जिसके बारे में कई लोगों का दावा है कि तख्तापलट के पीछे उसका हाथ था? या आंशिक रूप से भारत सरकार- जो इस तरह के घटनाक्रम का अनुमान लगाने में असमर्थ थी, उसे रोकने की तो बात ही छोड़िए? मौजूदा हालात में उसने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने वाले बयान जारी करने के अलावा- कम से कम खुले तौर पर तो- कुछ नहीं किया है। धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवियों की भूमिका भी इसमें उल्लेखनीय रूप से निंदित रही है। वे ब्लैक लाइव्स मैटर या फिलिस्तीनियों के लिए तो लामबंद हो सकते हैं, लेकिन जब पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं की बात आती है, तो चुप क्यों हो जाते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हेल्थ & वेलनेस

डायबिटीज • अगर डायबिटिक हैं और मीठा खा लिया है तो क्या करें?

भोजन में मीठा खाने के दो घंटे बाद इन 5 में से कोई एक काम जरूर करें

डॉ. भावना अत्री
एमडी मेडिसिन, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट
सर्वोदय अस्पताल, फरीदाबाद

डायबिटीज रोगियों के लिए मीठा नुकसानदायक है, लेकिन अगर आप खुद को मीठा खाने से नहीं रोक पाए या फिर गलती से मीठा अधिक खा लिया हैं तो क्या करें? यदि थोड़ा सजग रहें तो इस बढ़ी शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे अगर भोजन के साथ मीठा खा लिया है तो अगले भोजन में आलू, चावल जैसे अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को पूरी तरह हटा दें। इनकी जगह दाल, छोले, राजमा जैसे प्रोटीन वाले फूड और साबुत अनाज लें। ये शुगर को तेजी से नहीं बढ़ने देते। इसके अलावा एक्सरसाइज भी शुगर को नियंत्रित करने में बेहद प्रभावी है। भोजन के दो घंटे बाद और चार घंटे के अंदर कोई मध्यम तीव्र गति की एक्सरसाइज कर ली जाए तो मीठा खाने से बढ़ी शुगर नियंत्रित कर सकते हैं। शारीरिक एक्टिविटी के दौरान मांसपेशियां ऊर्जा के लिए ब्लड ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। इसे ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। शोध के अनुसार एक्सरसाइज के तुरंत बाद शुगर लेवल औसतन 10-20 एमजी/डीएल तक कम हो सकता है। 30 मिनट की मध्यम-तीव्रता वाली एक्सरसाइज से 24 घंटे तक इंसुलिन का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में आज जानते हैं उन पांच एक्सरसाइज के बारे में जो बढ़ी हुई शुगर को तेजी से घटा सकती हैं।

एक्सरसाइज से 24 घंटे तक के लिए बढ़ जाता है इंसुलिन का प्रभाव

सोलियस पुशअप्स : कुर्सी पर बैठे-बैठे ही घटेगी शुगर

यह एक्सरसाइज पिंडलियों की सोलियस मांसपेशियों को टारगेट करती है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाती हैं। शोध के अनुसार यह अभ्यास 3 घंटे में 52% तक शुगर घटा सकता है। इसके लिए कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। पैर पूरी तरह जमीन पर रखें । अब पंजों पर हल्का दबाव डालते हुए एड़ियों को पिंडलियों पर खिंचाव आने तक उठाएं । पैर को फिर नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को दोहराएं।

ब्रिस्क वॉक : शुगर 50 गुना तेजी से घटती है

जब आप इतनी रफ्तार से चलें कि साथ चल रहे व्यक्ति से बात न कर पाएं तो यह ब्रिस्क वॉक है। इस रफ्तार से की गई 2 से 5 मिनट की वॉक भी शुगर को घटाने में काफी मददगार है। शोध बताता है कि बैठने की तुलना में यह 50 गुना तेजी से शुगर की मात्रा घटाती है।

वॉल सिट: मांसपेशियां तेजी से करती हैं ग्लूकोज का उपयोग

किसी दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। पैरों को लगभग डेढ़ फीट तक फैला लें। अब सांस को छोड़ते हुए जितना हो सके कुर्सी की पोजिशन में आने का प्रयास करें। ध्यान रखें, कूल्हे घुटनों से नीचे नहीं होने चाहिए। इस अवस्था में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें। अब सांस लेते हुए खड़े हो जाएं। यह अभ्यास ग्लूकोज को तुरंत मांसपेशियों में भेजता है।

स्क्वैट्स : ग्लूकोज के उपयोग को तेजी से बढ़ाता है

हाथों को कंधे की ऊंचाई के बराबर सामने की ओर फैला लें। अब धीरे-धीरे नीचे की ओर तब तक बैठें जब तक जांघें जमीन के लगभग समांतर न हो जाएं। कुछ समय के लिए रुकें और फिर खड़े हो जाएं। 10-15 मिनट तक स्क्वैट्स करने से मांसपेशियों में ग्लूकोज का उपयोग बढ़ता है।

साइकिलिंग : 30 मिनट में पूरे दिन शुगर को नियंत्रित रखती है

साइकिलिंग बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित करने में बेहद कारगर है। शोध बताते हैं कि यदि 20 से 22 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 30 मिनट तक साइकिलिंग की जाए तो अधिक वजन वाले लोगों की शुगर अगले 24 घंटे में आधी हो सकती है। वहीं इस रफ्तार से आधे घंटे तक की गई साइकिलिंग 24 घंटे तक शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है।

हेल्थ गैजेट

स्मार्ट मिरर : सेहत के टिप्स भी देता है

हेल्थ डिवाइस बनाने वाली कंपनी केयरओएस ने एक स्मार्ट मिरर बनाया है। इसमें सेंसर के साथ ही, 48 मेगा पिक्सल का कैमरा, अल्ट्रावायलेट स्किन एनालिसिस लाइट लगी है। थके होने पर यह मिरर सांस लेने की विभिन्न तकनीक और योग के माध्यम से रिलैक्स करने के तरीके बताएगा। इसमें आईआर टेम्प्रेचर सेंसर और यूवी लाइट त्वचा का विश्लेषण कर ब्यूटी टिप्स और स्किन केयर की जानकारी देंगे। विभिन्न पैरामीटर के आधार पर मिरर स्वच्छता, मानसिक सेहत के अलावा स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न टिप्स भी बताएगा। खास बात यह है कि बिना टच किए इसे वॉइस से ऑपरेट किया जा सकता है। फिलहाल इसकी कीमत लगभग 33 हजार रुपए है।

सेहत के पांच मिनट • स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध

फेफड़ों की क्षमता को मजबूत बनाने में मददगार है 'आह' भरने का यह तरीका

चिंता, उदासी या फिर मूड खराब होने पर हम अक्सर आहें भरते हैं। आह यानी एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे मुंह या नाक से तेजी से छोड़ते हैं। ऐसा करते ही क्षणिक ही सही पर आराम का अहसास होता है। पर ऐसा क्यों होता है? **स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार** जब हम तनाव में होते हैं तो हम सांसें तेजी से लेते हैं पर ये कम गहरी होती हैं, जिससे फेफड़ों की हवा भरने वाली थैलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। यह स्थिति दिमाग में बेचैनी का संकेत भेजती है। वहीं जब आप आह भरते हैं तो ये थैलियां फैलती हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही गहरी सांस दिल की धड़कनों को भी नियंत्रित करती है। शोध में यह भी पाया गया है कि सांस लेने का यह तरीका सकारात्मकता बढ़ाने एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाए जाने वाले माइंडफुलनेस जैसे अन्य तरीकों से ज्यादा प्रभावशाली है।

इस तरह से भरें 'आह'

सबसे पहले नाक से गहरी सांस लें, जैसे ही सांस पूरी होने लगे हल्का सा रुकें और उसी के ऊपर और सांस लें। अब धीरे-धीरे मुंह से इस सांस को बाहर निकाल दें।

क्या है बनावटी आह?

यह भी गहरी सांस लेने का एक तरीका ही है। बस इसमें सांस को दो हिस्सों में लेते हैं, जिससे यह फेफड़ों, मस्तिष्क और दिल जैसे महत्वपूर्ण अंगों पर प्रभावशाली तरीके से असर डालती है। सांस लेने का यह तरीका शरीर को आराम पहुंचाने वाले एवं अंगों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है।

ऐसे मिलता है लाभ

इस तरह से ली गई गहरी सांसें दिमाग को संकेत पहुंचाती हैं कि खतरा टल गया है चिंता कम हो गई है। इससे दिल की धड़कनें सामान्य होती हैं। तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कार्टिसोल का स्तर तेजी से घटने लगता है, जिससे तनाव नियंत्रित होता है। एंग्जायटी घटती है। इससे शरीर को आराम मिलता है। इसके अलावा यह तकनीक भावनाओं को भी नियंत्रित करने में मदद करती है।

विचारों की शक्ति • सोचने का तरीका इम्युनिटी बढ़ाकर स्वस्थ होने में मदद करता है

विचारों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं ये 3 तरीके

अश्विनी देसवाल
लाइफ एंड वेलनेस कोच
@ashwani_deswal

विचारों का शरीर और मन पर गहरा असर होता है। सकारात्मक विचार और भावनाएं 'फील-गुड' हार्मोन जैसे एंडोर्फिन को रिलीज करते हैं, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है। बीमारी से जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। सायकोसोमैटिक मेडिसिन के शोध के अनुसार सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों में गंभीर बीमारियों का जोखिम कम होता है। ऐसे में आज जानिए इन तीन उपायों को जो विचारों के प्रभाव को बढ़ाते हैं।

1. विजुअलाइजेशन के जरिए बॉडी मैपिंग

आंखें बंद कर शरीर के एक-एक हिस्से की कल्पना करें। जिस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, वहां गर्माहट व ऊर्जा फैलती हुई महसूस करें। इस तकनीक को गाइडेड इमेजरी कहा जाता है। यह बीपी व दर्द घटाने में मददगार है।

2. रोज के विचारों का नियमित ऑडिट करें

हर रोज रात में दिन के मुख्य विचारों को तीन हिस्सों में लिखें। उन्हें 'प्रेरणादायक', 'सामान्य', या 'नकारात्मक' के रूप में बांट लें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक दृष्टिकोण से दोबारा लिखें। जैसे आपने लिखा 'मैं यह प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा' इसकी जगह लिखें 'मैं धीमी गति से ही सही पर प्रगति कर रहा हूं'। इस प्रक्रिया से मन समाधान पर ध्यान केंद्रित करना सीखता है, न कि तनाव पर।

3. तनाव से निपटने के लिए माइक्रो-मेडिटेशन

यह तकनीक नकारात्मकता को तेजी से कम करती है। जब भी तनाव महसूस हो, एक मिनट के लिए रुकें। गहरी सांस लें और हर बार सांस छोड़ते समय आपके साथ हुई अच्छी चीजों या घटनाओं के बारे में सोचें। जब आप अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम इस तरह री- प्रोग्राम होता है, जिससे सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। इससे नकारात्मकता तेजी से कम होती है।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 12 दिसंबर, 2024

ग्लोबल वार्मिंग

खतरनाक यथार्थ

वर्ष 2024 के रिकार्ड सबसे गरम साल होने की संभावना से ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक यथार्थ बन गई है। यह बढ़ते जलवायु संकट के प्रति खतरनाक चेतावनी है। यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि 2024 के पहले 11 महीनों ने एक नया रिकार्ड कायम किया है जिससे यह साल शुरुआत से ही सबसे गरम साल बना रहा है। यह पहला साल होगा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक समय की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ेगा। दुनिया भर के नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस सीमा से आगे बढ़ने पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव सामने आ सकते हैं। इस खतरनाक यथार्थ को देखते हुए दुनिया को तेजी से जलवायु परिवर्तन आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है जिसमें तत्काल आत्यन्तिक उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पहले से ही सारी दुनिया में दिख रहे हैं। 2024 में मौसम के भयानक रूप से खराब होने के कारण अनेक समुदायों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और व्यापक विनाश हुआ है। गंभीर सूखे ने इटली और दक्षिणी अमेरिका को प्रभावित किया, जबकि भयानक बाढ़ से नेपाल, सूडान और यूरोप में हजारों लोग विस्थापित हुए। लू के कारण मैक्सिको, सऊदी अरब और माली में हजारों लोगों की जानें गईं, जबकि समुद्री तूफानों ने अमेरिका और फिलीपीन्स में तबाही मचाई। ये घटनायें केवल कभी-कभी होने वाली घटनायें नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये मनुष्यों द्वारा पैदा किए जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट परिणाम हैं।

ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन तथा फासिल ईंधनों का जलाया जाना है। ये उत्सर्जन खतरनाक ढंग से वातावरण में गरमी को जकड़ लेते हैं जिससे वैश्विक तापमान खतरनाक गति से बढ़ रहा है। इस वार्मिंग पर लगाम लगाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका उत्सर्जनों को 'नेट-ज़ीरो' स्तर तक लाना है। विभिन्न देशों ने आने वाले दशकों में यह लक्ष्य प्राप्त करने का इरादा दिखाया है। लेकिन 'हरित प्रतिज्ञाओं' के बावजूद वैश्विक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन इस वर्ष रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंचने की आशा है। इस विरोधाभासी प्रवृत्ति से राजनीतिक वादों और यथार्थ के बीच की खाई दिखती है तथा जलवायु परिवर्तन घटाने के लिए सटीक कार्रवाई की आवश्यकता उजागर होती है। इस वर्ष संरा. जलवायु वार्ताओं ने वैश्विक जलवायु संकट से निपटने के लिए 300 बिलियन डालर के समझौते का लक्ष्य बनाया। लेकिन गरीब देशों ने इस समझौते की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह जलवायु संबंधी विभीषिकाओं से निपटने के लिए नाकाफी है। हालांकि, इस समझौते से थोड़ी प्रगति हो सकती है, पर यह स्पष्ट है कि वैश्विक प्रतिक्रिया अभी और गरमी से बचाने के लिए काफी नहीं है। जलवायु परिवर्तन में खराबी बढ़ने से इनकार करने वालों ने खासकर राजनीतिक क्षेत्र में इस संकट से निपटना और कठिन बना दिया है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खासकर ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता को अनदेखा किया है और उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में अनेक पर्यावरणीय विनियमनों को समाप्त किया था। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पेरिस समझौते से पीछे हट गया था, जबकि इस वैश्विक समझौते का उद्देश्य जलवायु संकट की समस्याओं को कम करना था। ऐसी कार्रवाइयों से असंदिग्ध रूप से जलवायु संकट की समस्या गंभीर होगी तथा पूरी दुनिया का तापमान बढ़ेगा। इससे उत्सर्जन में वृद्धि रोकना और कठिन हो जाएगा तथा पूरी धरती को ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी प्रभावों से बचाना मुश्किल होगा। समय आ गया है कि इस मामले पर फौरन कार्रवाई की जाए नहीं तो सार्थक परिवर्तन के लिए समय लगातार कम होता जा रहा है।

बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न

भारत को बांग्लादेश में उत्पीड़ितों की सुरक्षा हेतु निर्णायक कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान तथा क्षेत्रीय स्थायित्व के रक्षक की अपनी भूमिका पर जोर देना चाहिए।

प्रशांत तिवारी
(लेखक, लोक नीति विशेषज्ञ हैं)

बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तनों तथा सरकार परिवर्तन के बहाने हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न एक चिन्ताजनक प्रवृत्ति है जिससे सांप्रदायिक हिंसा उभरने के खतरनाक संकेत मिलते हैं। पिछले महीनों में व्यवस्थित रूप से हिंदुओं पर निशाना लगाने और उन पर अत्याचार की घटनाओं की खबरों में वर्तमान सरकार की भूमिका स्पष्ट होती है जिसके पीछे जमाते इस्लामी तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बहुसंख्यक देश तथा अल्पसंख्यक अधिकारों का रक्षक भारत निष्क्रिय भूमिका नहीं निभा सकता है।

इसके बजाय उसे निर्णायक व सक्रिय प्रतिक्रिया कर न केवल बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, बल्कि स्वयं अपनी सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी सुरक्षित करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ व्यापक हिंसा की खबरें एक सुनियोजित आक्रमण का पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। मंदिरों को अपवित्र करने तथा संपत्ति के विनाश के साथ ही हिंसा के ये कृत्य अलग-थलग घटनायें न होकर एक व्यापक व व्यवस्थित अभियान का हिस्सा हैं। इस विरोधाभास की जड़ें 1905 में 'बंगाल के विभाजन' में देखी जा सकती हैं जब उग्रवादी तत्वों ने इस क्षेत्र में इस्लामी सरकार बनाने का प्रयास किया था। हालांकि, 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति से इसमें अस्थाई बाधा आई, पर इस्लामी कानून द्वारा संचालित अवधारणा 'दारुल इस्लाम' का दृष्टिकोण अब पुन: पैदा हो गया है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत उन ऐतिहासिक समस्याओं को हवा दी जा रही है जिनका प्रयोग हिंदू संस्कृति और जनसंख्या को समाप्त करने के लिए हथियार की तरह किया जा रहा है।

बांग्लादेश की सरकार, पाकिस्तानी आईएसआई, उग्र जिहादी समूहों तथा जमाते इस्लामी जैसे प्रभावशाली वैचारिक तत्वों के बीच कथित गठजोड़ के कारण स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। ये शक्तियां बांग्लादेश की जनसंख्या संरचना बदलने तथा सांस्कृतिक परिदृश्य को अतिवादी विचारों से जोड़ने के व्यापक लक्ष्य के अंतर्गत काम कर रही हैं। इस संकट में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की विवादास्पद भूमिका केन्द्रीय भूमिका निभा रही है जिन्होंने सरकार के वैचारिक ध्रुवीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। हालांकि, उनको माइक्रोफाइनेंस में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण वैश्विक स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ और विश्वसनीयता बढ़ी, पर हिंदू-विरोधी नीतियों से उनका जुड़ाव तथा बाहरी शक्तियों से उनका संबंध चिंता का कारण है जिसमें चीन तथा अमेरिका के कुछ समूह शामिल हैं। इन जुड़ावों से न केवल सरकार का साहस बढ़ा है, बल्कि वह लोकतंत्र व मानवाधिकार उल्लंघनों के नाम पर भारत की आलोचना भी कर रही है। इस भू-राजनीतिक षडयंत्रकारी राजनीति में कट्टरवादी गठबंधनों के साथ साफ्ट पावर भी शामिल है जो भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय स्तर पर स्थायित्व बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में उसे चुनौती दे रही है।

भारत को सत्य तथा अल्पसंख्यक मानवाधिकार क रक्षक के रूप में अपनी स्थिति पर जोर देते हुए इस विमर्श का मुकाबला करना चाहिए। वर्तमान संकट वैसी ही चुनौतियां पेश कर रहा है जिनका सामना भारत ने 1971 में किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश की मुक्ति मानवतावादी व रणनीतिक उद्देश्यों से संचालित थी। इसके माध्यम से लाखों शरणार्थियों की रक्षा करते हुए उस सरकार को उलटा गया था जो नरसंहार कर रही थी। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना लगाना वैसी ही मानवीय विभीषिका तथा रणनीतिक खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ी हिंदू जनसंख्या के घर भारत पर खास जिम्मेदारी है कि वह विदेशों में रहने वाले अपने भाइयों और बंधुओं की रक्षा करे। नरेन्द्र मोदी सरकार के पास ऐतिहासिक अवसर है कि वह 1971 में हुए साहसी कृत्यों का अनुसरण करते हुए न्याय व क्षेत्रीय स्थायित्व के संरक्षक के रूप में भारत की भूमिका पुन: स्थापित करें।

संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया बहुआयामी होनी चाहिए जिसमें आक्रमण, राजनय व रणनीतिक समायोजन शामिल हो। भारत की सुरक्षा संरचना को प्रतिक्रियात्मक उपायों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। उसे दुष्ट तत्वों की पहचान कर उनका सफाया करना चाहिए जिसमें बांग्लादेश के भीतर रहने वाले ऐसे तत्व शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं। इससे भारत एक कठोर संदेश दे सकता है। इज़राइल की सटीक कार्रवाइयों की तरह लक्षित हमले एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में काम करते हुए भारत एक प्रतिरोधक की भूमिका निभाते हुए विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दे सकता है। बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। रणनीतिक व्यापार प्रतिबंध तथा अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण को दिशा दे कर भारत बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को अलग-थलग कर उसे अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर सकता है। इन प्रयासों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघनों को केन्द्रीय स्थान दे कर इस मामले में सारी दुनिया का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। बांग्लादेश में दीर्घकालीन स्थायित्व ऐसी सरकार पर निर्भर है जो अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करे तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के मूल्यों का आदर करे।

भारत को ऐसी उपयुक्त व समावेशी सरकार के उभरने में सहायता देनी चाहिए जो अतिवादी विचारधाराओं का मुकाबला कर सके। भले ही यह दृष्टिकोण विवादास्पद हो, पर यह भारत के रणनीतिक व मानवतावादी हितों के अनुकूल है। एक अधिक साहसी दृष्टिकोण में 1971 की जनसंख्या संरचना के यथार्थ पर गौर करने की आवश्यकता है जब बांग्लादेश की जनसंख्या में 21 प्रतिशत हिंदू थे। इस जनसंख्या के लिए सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करने से अल्पसंख्यकों को सुरक्षित स्वर्ग मिलेगा तथा उनके प्रति हुए ऐतिहासिक अन्यायों का मुकाबला होगा। ऐसे समाधान से 1947 व 1971 जैसी क्षेत्रीय पुन: व्यवस्था हो सकती है जिससे समकालीन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। दुनिया भर के सभी हिंदुओं को इन अत्याचारों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। एक बिलियन से अधिक हिंदू जनसंख्या वाला भारत अपने उदाहरण से इस दिशा में नेतृत्व प्रदान कर सकता है। वह उत्पीड़न का मुकाबला करने की जीवन्त व्यवस्था बना सकता है। एकजुटता मजबूत करने के साथ ही सरकार की निर्णायक कार्रवाई दुनिया भर में अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण का उदाहरण बन सकती है। इस संकट ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता उजागर की है।

बांग्लादेश की मुक्ति में केन्द्रीय भूमिका निभाने के बावजूद बांग्लादेश की अनेक सरकारों ने शत्रुता और निष्क्रियता प्रदर्शित की है। इसे देखते हुए पड़ोसियों के प्रति भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनयिक व मौद्रिक रणनीतियों के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। भारत को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हिदुओं के खिलाफ हिंसा या शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपनी संप्रभुता तथा जनता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता से इज़राइल भारत के लिए मूल्यवान सबक देता है। एक छोटा देश होने के बावजूद इज़राइल ने लगातार नागरिकों की रक्षा में अपने निर्णायक कार्यों की प्रभावशीलता स्पष्ट की है। विशाल संसाधनों तथा भू-राजनीतिक प्रभाव वाले भारत को ऐसी ही रणनीतियां अपना कर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे कर अपना क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करना चाहिए। बांग्लादेश संकट एक क्षेत्रीय मुद्दे के बजाय भारत की विदेश नीति तथा एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान का निर्णायक क्षण है।

साहसी और सक्रिय कदम उठा कर नरेन्द्र मोदी सरकार न्याय एवं मानवता के रक्षक के रूप में भारत की भूमिका मजबूत कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा केवल मानवता पर संकट को संबोधित करना नहीं है। इसका संबंध भारत की संप्रभुता पर जोर देने, अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करने तथा क्षेत्रीय स्थायित्व सुनिश्चित करने से भी है।

यूएनएचआरसी से हस्तक्षेप की उम्मीद किए बिना भारत सरकार को अवसर के अनुकूल उठ खड़े होना चाहिए। संकट को एक अवसर के रूप में संबोधित करने से दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका पुन: परिभाषित हो सकती है। निर्णायक कार्रवाई से भारत इतिहास को दुहराने से रोक सकता है, न्याय सुनिश्चित कर सकता है तथा अल्पसंख्यक अधिकार सुरक्षित करने की अपनी विरासत मजबूत कर सकता है।

संगठनों में परिवर्तन की आवश्यकता

> तकनीक दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में संगठनों को प्रासांगिक बने रहने के लिए अपने भीतर परिवर्तन करने चाहिए।

रवि वलूरी
(लेखक, रेलवे से संबद्ध हैं)

यह देखना महत्वपूर्ण है कि संगठनों का ढांचा क्या है और वे कैसे काम करते हैं। लंबे समय से संगठनों ने अपनी रचना ऐसे लोगों के आधार पर की है जो प्रयोग करने, खोजने तथा तकनीक को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे संगठन जीवन्त बने रहते हैं। तकनीक और उसके विभिन्न स्वरूप बदलने के साथ ही उसके अनेक प्रयोग समाने आते हैं।

इससे संक्षिप्त और लगभग अनजान स्तर पर उपकरणों का प्रयोग बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसे परिदृश्य में मनुष्य और संगठन विभिन्न प्रकार के उत्पादों और उनके स्वरूपों से प्रभावित होंगे। अब मानव मस्तिष्क केवल टाइपराइटर की तरह काम नहीं करता है। ऐसे में संगठनात्मक सिद्धान्त और व्यवहार के क्षेत्र में अनेक विद्वान लोग अपना योगदान देते हैं। इन प्रमुख लोगों में आडम स्मिथ, चार्ल्स बाबेज और राबर्ट ओवेन ने अत्यन्त उल्लेखनीय जमीनी कार्य किया है। आडम स्मिथ ने यह तर्क दिया कि देश और संगठन श्रम विभाजन से पैदा परिणामों का लाभ उठाएंगे और उसके अनुसार स्वयं को बदलेंगे। इसे 'विशेषज्ञताकरण' का नाम दिया गया। चार्ल्स बाबेज ने अपने महत्वपूर्ण कार्य से यह अवधारणा सामने रखी कि श्रम विभाजन के कारण काम या कौशल सीखने में लगने वाले समय में भारी कमी आएगी।

इससे शुरुआती चरण में ही सामग्री की बरबादी बहुत कम हो जाती है। इससे दिमाग ऐसे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिनमें बेहतर कौशलों की आवश्यकता होती है। 1789 में 18 वर्ष की आयु में राबर्ट ओवेन एक फैक्ट्री के मालिक बन गए थे। वे अपने समय से बहुत आगे एक कल्पनावादी थे। 1825 में उन्होंने काम के नियमित घंटे, बाल श्रम कानूनों, सार्वजनिक शिक्षा तथा अनेक सामुदायिक परियोजनाओं में बिजनेस की सहभागिता की अवधारणायें सामने रखी थीं, जो सीएसआर का पूर्व रूप था। वर्तमान समय की परस्पर जुड़ी दुनिया में अनेक लोग अपने घरों से काम करते हैं। ये स्थान नवीनतम तकनीकों से लैस होते हैं तथा वे नवीनतम 'जिग्मों' का लाभ उठाते हैं। पिछले दशक में संगठनात्मक व्यवहार की पूरी अवधारणा में व्यापक बदलाव आए हैं। तकनीक का संगठनों के कामकाज पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है तथा ढांचों की जटिलता और गतिशीलता में परिवर्तन आया है। यदि हम भारतीय रेलवे के कामकाज पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपरेटिंग और विनिर्माण विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। आज तकनीकी विभाग गेमचेंजर बन गए हैं और निश्चित कार्यकाल की अवधारणा इतिहास बन गई है।

कामगारों को चौबीसों घंटे व सातों दिन सतर्क रहना होता है। इस प्रकार कर्मचारियों को अपने कौशल इस स्तर तक बढ़ाने होते हैं कि वे वर्चुअल दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें प्रत्यक्ष शिक्षण माडलों का परीक्षण करना होगा जो आनलाइन कक्षाओं, वन-आन-वन, शिक्षक और छात्र के बीच काम करते हैं। इस अवधारणा से स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार योग्य डाक्टर स्काइप या अन्य तरीकों से अपने साथियों को जटिल सर्जरी के समय निर्देश दे सकते हैं।

चाहे युद्ध में सर्जिकल स्ट्राइक करना हो या नवीनतम तकनीक से पैदल सिपाहियों को निर्देश देने हों, जीपीएस कोआर्डिनेट्स तथा रियल-टाइम इमेजिरी जैसी तकनीकों का महत्व बढ़ जाता है। संगठनात्मक ढांचों के ऐसे परिदृश्य में सरकार या निजी क्षेत्र को जीवित बचे रहने के लिए आमूल परिवर्तन करने होंगे। कार्यबल को अपने कौशल का उच्चीकरण करना होगा नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। संभवत: तकनीकी प्रगति के संजाल में भावनायें नष्ट हो जाएंगी। किसी संगठन का भविष्य, उसके लक्ष्य तथा व्यवहार उसके ढांचे तथा कार्यबल के बीच एक ट्रैफिक जाम की तरह है जिसका सामना भारत के गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों को करना पड़ता है।

स्टीफेन हाकिंग ने अपने एक संभवत: निराशाजनक पूर्वानुमान में अनुमान लगाया था कि इस ग्रह पर जीवन चार कारणों-नाभिकीय बमों, ग्लोबल वार्मिंग, मानव निर्मित वाइरसों या रोबोटों से समाप्त हो सकता है।

इसलिए मानव मस्तिष्क को स्वयं अपनी खोज करते हुए वर्तमान ढांचागत व्यवहार और सिद्धान्तों को अपना कर एक ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए जहां वह रहने के लिए एक और ग्रह को तैयार कर सके। अरस्तू ने लिखा था, 'हम वह होते हैं जो काम बार-बार करते हैं।' इस अवधारणा को बदलना संगठनों के लिए आवश्यक हो गया है।

आप की बात

डिब्बाबंद भोजन

इटली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के शोध के अनुसार, डिब्बाबंद भोजन का अधिक सेवन करने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ सकती है, जिससे शरीर की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी हो सकती हैं। यह शोध डिब्बाबंद भोजन में पाए जाने वाले बीपीए (बिसफेनॉल ए) नामक रसायन के प्रभावों पर केंद्रित था। बीपीए एक प्रकार का प्लास्टिकाइज़र है जो डिब्बाबंद भोजन के पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि बीपीए के संपर्क में आने से शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ सकती है, जिससे कोशिकाओं की उम्र बढ़ सकती है। इसके अलावा, बीपीए के संपर्क में आने से हृदय रोग, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह शोध अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसके परिणामों को और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि, यह शोध हमें डिब्बाबंद भोजन के सेवन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है और स्वस्थ आहार विकल्पों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आजकल की भागती दौड़ती जीवनशैली में आदमी अपने खान-पान और भोजन के प्रति बेहद लापरवाह हो गया है। जुबान के चटोरे पन और शीघ्र उपलब्धता के चलते घरोंसे बाहर पढ़ाई एवं नौकरी करने वाले अधिकांश व्यक्ति डब्बा बंद भोजन पर निर्भर होते जा रहे हैं।

– **सुभाष बुड़ावनवाला,** रतलाम

विपक्ष को क्या हो गया है?

देश के विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है कारण पता नहीं क्यों उससे एक इमानदार, समझदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई नहीं जा रही हैं कारण इन दिनों केंद्र सरकार के हर कार्य का विरोध करना उसका शगल एक बन गया है फिर विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते रहना जैसे विपक्ष ने एक धंधा बना लिया है। जब से यह मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में सत्ता में आई है लगभग हर दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उद्योगपति अडानी के साथ जोड़कर उन्हें बदनाम करना विपक्ष का एक धंधा बन गया है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को बदनाम करने की यह साजिश आजसे नहीं बल्कि मोदी सरकार के पहले कार्य काल से हि लगातार चल रही है अत: तब बार-बार हमारे मन में यही विचार आता है कि देश के विपक्ष को आखिर हो क्या गया है फिर जबकि संसद में पिछले दो कार्यकालों को देखे तो विपक्ष मात्र नाममात्र का रह गया था। परंतु इस बार विपक्षी सांसदों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है मगर इतनी भी नहीं की सरकार का सामना ताकत के साथ कर सके। मगर फिर भी विपक्ष जब रचनात्मक काम ना करके केवल सरकार का विरोध- विरोध ही करता रहे तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती है आज संसद के दोनों सदनों में लगातार सरकार का विरोध करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना ही विपक्ष का आज सबसे बड़ा काम हो गया है।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

संसद का सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र एक महत्वपूर्ण अवसर है जब सरकार और विपक्षी दल अपने विचारों और नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, संसद के सत्रों में हंगामा और व्यवधान एक आम बात हो गई है, जिससे संसद का समय बर्बाद होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सरकार को कई कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, सरकार को संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हंगामा और व्यवधान को रोका जा सके। इसके अलावा, सरकार को विपक्षी दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए, ताकि संसद में एक स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण बनाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि सरकार को संसद के सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों। इसके अलावा, सरकार को संसद की कार्यवाही को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे ? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद का समय बर्बाद न हो और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। इसके लिए, सरकार को संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना होगा।

– **विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद

ईवीएम पर विपक्ष की खीझ

विपक्ष हमेशा हार के लिए ईवीएम को दोष देता है जबकि जनता के बीच उनकी हार का कारण उनकी नकारात्मक छबि है। ईवीएम पर खीझ निकालने की बीमारी, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में एक दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना बन गई है। जब भी चुनाव परिणाम उम्मीदों के खिलाफ आते हैं, कुछ लोग ईवीएम को दोष देने लगते हैं, बिना इसके वास्तविक कार्यप्रणाली को समझे। यह मानसिकता चुनावी नतीजों को मान्यता न देने का कारण बनती है। सच्चाई यह है कि ईवीएम विश्वसनीय और सुरक्षित हैं, और बार-बार इसके खिलाफ आरोप लगाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास बढ़ाता है। चुनाव आयोग ने कई बार ईवीएम की पारदर्शिता पर सफाई दी है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे राजनीति का हिस्सा मानते हैं। इस खीझ को सुलझाने के लिए राजनीतिक और नागरिकों को तथ्य आधारित विचारधारा अपनानी होगी। बिना साक्ष्यों के आरोप लगाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के विरोध वाली याचिकाओं को स्वीकार न कर समय बचा कर उलटे याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाना चाहिए।

– **भगवानदास छारिया**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । गुरुवार, 12 दिसंबर 2024

सच सामने आए

इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के वायरल हुए विडियो पर जो तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। उस विडियो में जज साहब जिस तरह की बातें कहते दिख रहे हैं, वे देश के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बैठे किसी शख्स के मुंह से निकलना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।

संवैधानिक गरिमा के खिलाफ | हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट से पूरी जानकारी मांगी है,

AI Image

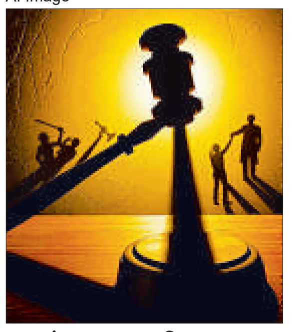

जज के भाषण पर विवाद

इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रामाणिक तथ्यों की रोशनी में जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वे सचमुच परेशान करने वाले हैं। हैरत की बात है कि संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाने वाली न्यायपालिका का वरिष्ठ सदस्य सार्वजनिक कार्यक्रम में कहता दिखता है कि देश (संविधान और कानून के हिसाब से नहीं बल्कि) बहुसंख्यकों की मर्जी के मुताबिक चलेगा और इस विडियो के वायरल होने के बाद भी उसका कोई खंडन या स्पष्टीकरण नहीं आता।

बयान का बचाव | संबंधित न्यायाधीश की चुप्पी के बीच जिस तरह से एक तबका उनके इस कथित भाषण के पक्ष में सामने आया है, वह बताता है कि इस तरह की संविधान विरोधी सोच के फैलने का कितना गंभीर खतरा है। जहां आयोजक संगठन की ओर से यह कहा गया कि भाषण को संदर्भ से काटकर पेश किया जा रहा है, वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख यहां तक बोल गए कि अगर जज ने ऐसा कुछ कहा भी है तो उन्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता।

इकलौता मामला नहीं | ध्यान रहे, यह जुडिशरी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा जाने अनजाने संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन से जुड़ा कोई पहला विवाद नहीं है। कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज द्वारा एक मुस्लिम बहुल इलाके का जिक्र 'पाकिस्तान' के रूप में किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई भी शुरू की थी। हालांकि बाद में उस जज के माफी मांगने पर कार्यवाही रोक दी गई। मौजूदा विवाद से जुड़े जज की बात करें तो वह इससे पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं। मसलन, जुलाई 2021 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि 'धर्मांतरण से देश कमजोर होता है'।

उपयुक्त कार्रवाई हो | ऐसे में इस मामले को सिर्फ किसी एक जज के एक बयान के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। जरूरी है कि इस मामले का पूरा सच जानकर इसमें उपयुक्त कार्रवाई तो की ही जाए, पर इसके साथ ही न्यायपालिका में गिरावट लाने वाली इस व्यापक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दिशा में भी गंभीर प्रयास तत्काल शुरू किए जाएं।

आमची मुंबई

बोले तो, गडकरी!

हरि मृदुल

अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जब बोलते हैं, तो बहुत तोलकर बोलते हैं। लेकिन कई बार तोलकर बोलने का उनका अंदाज झोल भी पैदा कर देता है। अब देखिए ना कि जब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तमाम तरह की गोटियां फिट की जा रही थीं, नए-नए फार्मूले पेश किए जा रहे थे, पता नहीं कहां से गडकरी प्रकट भये और सारी मेहनत पर मानो हाईवे का मलबा ही फेंक गए! एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम था, जिसमें वह यह कहते पाए गए कि 'राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है...।' राज्य में कितनी ही तरह के राजनीतिक पांसे फेंके जा रहे हैं, लेकिन गडकरी हैं कि इन पांसों पर पांव रखने पर तुले हुए हैं। सत्ता की जबर्दस्त रस्साकशी है, उन्हें उपदेश देने की सूझ रही है!! यह तो हद ही है यारो। पुराने राजनेता हैं, राज को राज ही रहने दें। क्यों उसे खाज साबित करने पर तुले हुए हैं। सड़क परिवहन के आला अफसरों से पूछिए। जब से गडकरी ने यह विभाग संभाला है, तब से ही पसीने-पसीने हैं। पिछले दिनों उन्होंने काम में कोताही करने वाले कॉन्ट्रेक्टरों को धमका दिया कि उन्हें बुलडोजर के नीचे डलवा देंगे!! गडकरी के ही कार्यक्रम में बैठे एक नेता ने दूसरे नेता के कान में फुसफुसाया- गडकरी जी यह क्या बड़-बड़ करने लगते हैं बीच-बीच में? दूसरे नेता जी ने जवाब दिया- टेंशन नको। बड़-बड़ ही करते हैं ना, गड़बड़ तो नहीं करते। आज की राजनीति में बड़-बड़ करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस कोई गड़बड़ न करें।

गडकरी की आवाज मद्धिम ही रहती है। लेकिन जब वह कुछ भी बोलते हैं, तो लगता है कि हाईवे से बोल रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि नेताओं की आवाज में अक्सर उनके काम बोलते दिख जाते हैं। जैसे अगर योगी आदित्यनाथ कहीं भाषण देते हैं, तो तत्काल बुल्डोजर चलने की आवाज सुनाई देने लगती है। मोदी जी के बोलने पर लगता है कि उन्होंने अभी से ही 2029 की माला जपनी शुरू कर दी है। ठीक इसी तरह राहुल बाबा कुछ भी कहें, सुनाई देता है बस 'अदाणी-अदाणी'। ऐसा ही कुछ हाल ममता दीदी का है। वह डकार भी लें, तो लगता है कि 'खेला होबे-खेला होबे' कहकर ललकार रही हैं...। उस दिन जब गडकरी भी आज की राजनीति को असंतुष्ट आत्माओं का सागर बता रहे थे, तो लग रहा था कि वह किसी हाईवे पर खड़े हैं और दरारों में कोलतार और डामर डलवा रहे हैं। गड्ढे भरवा रहे हैं...। राजनीति के हाईवे पर भी उनकी मंशा सदा गड्ढे भरने की रहती है, दरारों को पाटने की रहती है, लेकिन यह बदनसीबी ही है कि लोग उनको जरा भी नहीं समझ पाते।

एकदा

कहां गए हसरत

उर्दू के मशहूर शायर और आजादी के आंदोलन के महान सिपाही हसरत मोहानी अपनी सादगी और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते थे। उन्नाव के रहने वाले हसरत मोहानी ने ही आजादी के आंदोलन में इंकलाब-जिंदाबाद का नारा दिया था। यह घटना उस समय की है जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उन्हें अपने एक कार्यक्रम में बुलाया था। उनके आने की खबर सुनकर छात्रों में उत्साह का माहौल था। उन्होंने स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हार-फूल लेकर सैकड़ों छात्र स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। गाड़ी स्टेशन पर आई और सभी छात्र गाड़ी के डिब्बे-दर-डिब्बे हसरत साहब को खोजने लगे। लेकिन गाड़ी की हर बोगी छानने के बाद भी मौलाना हसरत मोहानी का कहीं पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मायूस होकर छात्रों ने सोचा कि शायद किसी गलतफहमी के कारण मोहानी साहब नहीं आए। सभी छात्र स्टेशन से वापस यूनिवर्सिटी लौटने की तैयारी कर रहे थे। बाहर निकले कि तभी उनकी नजर पास की एक निर्माणाधीन इमारत पर पड़ी। वहां कुछ मजदूर आग जलाकर बैठे हुए थे, और उन्हीं के बीच हसरत मोहानी भी आग तापते हुए नजर आए। छात्रों को यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वे दौड़कर उनके पास पहुंचे और पूछा, 'मौलाना, आप यहां बैठे हैं? हम तो आपको स्टेशन पर ढूंढ रहे थे!' मौलाना ने अपनी सादगी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, 'भई, स्टेशन पर तो बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा, जरूर कोई बड़ा आदमी आया होगा। इसलिए मैं चुपचाप पीछे से उतरकर यहां चला आया।' हसरत मोहानी केवल आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नेता नहीं थे, बल्कि आम लोगों के साथ खड़े रहने वाले इंसान भी थे।

Subrata Dhar

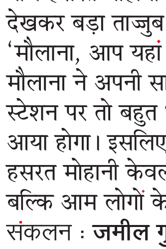

संकलन : **जमील गुलरेज**

उद्योगों को बढ़ावा देने का इरादा रखने वाले नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत-चीन बराबर

ट्रंप बढ़ाएंगे टैरिफ, भारत का क्या होगा

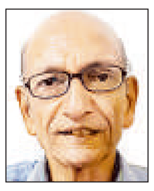

भरत झुनझुनवाला

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ब्रिक्स देश अपनी अलग मुद्रा बनाने का प्रयास करते हैं, तो सभी सदस्य मुल्कों पर 100% आयात कर लगा दिया जाएगा। यह धमकी निष्प्रभावी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा एक अलग मुद्रा बनाना संभव नहीं। यूरोपीय यूनियन ने साझा मुद्रा यूरो बनाने के साथ-साथ नागरिकों को एक दूसरे के यहां जाकर काम करने की छूट भी दी थी। ब्रिक्स के सदस्य- भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देश ऐसी छूट नहीं देंगे। ऐसे में अलग करंसी नहीं बनाई जा सकती। फिर भी भी ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाने की बात गंभीर है।

घरेलू उद्योग पर फोकस | ट्रंप ने भारत को आयात कर का राजा बताया है और मेक्सिको व कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है। याद करें, ट्रंप के पिछले दौर में भारत के कई सामान को जनरल सिस्टम ऑफ प्रिफरेंसेस से हटा लिया गया था। इसके तहत, बिना आयात कर दिए अमेरिका में प्रवेश की छूट थी। नए कार्यकाल में ट्रंप सभी देशों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे, ताकि अमेरिका में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिले।

भारत के लिए मुश्किल | ट्रंप के इस कदम का भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारे आईटी, दवा, कपड़े और जूते जैसे निर्यात प्रभावित होंगे। H1B वीजा में कटौती से भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में काम करना कठिन हो जाएगा। उनके द्वारा भारत को रेमिटेंस कम भेजी जाएगी। ट्रंप द्वारा अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में ही उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके कारण विश्व की पूंजी का अमेरिका की तरफ पलायन होगा। इन तथ्यों को देखते हुए यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने अनुमान लगाया है कि ट्रंप के कदमों के कारण भारत की विकास दर में 0.5% की गिरावट आ सकती है।

व्यापारिक पहलू | कयास लगाया जा रहा है कि ट्रंप के निशाने पर मुख्य रूप से चीन और रूस हैं, भारत नहीं। सामरिक दृष्टि से यह बात सही है। भारत मूल रूप से अमेरिका के साथ है। ट्रंप के निशाने पर चीन इसलिए है क्योंकि वह भारी मात्रा में अमेरिका को माल का निर्यात करता है। इससे अमेरिकी उद्योग ठंडे पड़े हुए हैं। ट्रंप को सामरिक समस्या कम और सभी देशों से होने वाले आयातों से समस्या ज्यादा है। इसलिए ऐसा सोचना सही नहीं कि ट्रंप, चीन पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे और भारत को छोड़ देंगे। ट्रंप का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और इस हिसाब से भारत व चीन एक बराबर हैं।

अमेरिका में होगी महंगाई | ट्रंप की पॉलिसी विदेशी व्यापार के सिद्धांत के विपरीत है और टिकाऊ नहीं होगी। विदेशी व्यापार इसलिए किया जाता है कि जो देश जो माल सस्ता बना सकता है, उसका उत्पादन करे और दूसरे उससे खरीदें। जैसे- भारत में बासमती चावल का उत्पादन सस्ता है, जबकि अमेरिका में अखरोट का। ऐसे में भारत चावल भेजे और अमेरिका अखरोट। ऐसे दोनों देशों के नागरिकों को सस्ता सामान मिल जाएगा। लेकिन, ट्रंप की पॉलिसी का नतीजा यह होगा कि अमेरिका को भारत और दूसरे देशों से जो सस्ती दवाएं, कपड़े, चावल वगैरह मिलते हैं, वे बंद हो जाएंगे और अमेरिकी नागरिकों को महंगा माल खरीदना पड़ेगा।

जवाब मिलेगा | ट्रंप की नीति के जवाब में दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश भी अमेरिकी सामानों के आयात पर टैक्स बढ़ाएगा। इससे अमेरिका का निर्यात घटेगा और साथ में रोजगार भी। फिर भी, संभव है कि अमेरिका में घरेलू बाजार के लिए उत्पादन बढ़ने से अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां मिलें, लेकिन मेरा आकलन है कि यह प्रभाव देर से और न्यूनतम होगा। इसलिए ट्रंप की पॉलिसी का अमेरिका में ही विरोध होगा, जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के बाद हो रहा है।

गलत कदम | व्यापार में अपने देश पर फोकस करने की यह पॉलिसी अगर सही होती, तो सारे देश ऐसा करके अपनी जनता का हित कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कमोबेश सभी मुल्कों ने विदेश व्यापार को स्वीकार किया है। ट्रंप के कदमों का अमेरिका पर जो भी प्रभाव पड़े, लेकिन भारत समेत दूसरे देशों पर नकारात्मक असर होगा।

भारत के लिए मौका | इन समस्याओं के बावजूद ट्रंप भारत के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। जैसे बरगद के पेड़ के नीचे छोटे पौधे नहीं पनपते, उसी प्रकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बादल के नीचे भारत जैसे दूसरे देश पनप नहीं रहे हैं।

ब्रिक्स की अहमियत | अमेरिका के अंतर्मुखी होने से बाकी दुनिया पर से उसके बादल हट जाएंगे और अन्य तमाम देश आपस में अधिक व्यापार व निवेश करके निश्चित तौर पर समृद्धि हासिल करेंगे। इसमें ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी वजह से ट्रंप का ब्रिक्स पर निशाना साधना उनके लिए सही है। ट्रंप के माध्यम से हम एक सुनहरी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। तात्कालिक समस्याओं के बावजूद ट्रंप मूल रूप से भारत और विश्व के भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होंगे।

फिर से आंदोलन के मूड में क्यों आए किसान

नीलांजन बनिक

2018 से हर साल किसान इसी वक्त के आसपास अपनी तीन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली, फसल की कीमतों की गारंटी। दूसरी, ज्यादा मजदूरी और ऐसी सुविधाएं, जिनसे मुकाबले पर बुरा असर पड़ सकता है। तीसरी, ऐसी नीतियों में बदलाव जो कॉरपोरेट खेती का समर्थन करती हैं और छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। 2019 के बाद से किसान आंदोलन का केंद्र बनी दिल्ली सीमा पर आने वाले किसानों में ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से होते हैं।

बदलती खेती | किसानों को गेहूं-धान के MSP से तय आमदनी तो है, लेकिन गिरते भूजल स्तर की वजह से इसकी खेती अब टिकाऊ नहीं रह गई है। ऐसे में किसान चाहते हैं कि दूसरी फसलों के लिए भी MSP गारंटी दी जाए। यह स्थिति बताती है कि किसानों को अधिक दाम देने वाली खेती, जैसे फल और सब्जियों की ओर रुख करने की जरूरत है। भारत में कृषि क्षेत्र अब भी 70% आबादी का आसरा है। MSP के कारण जिन फसलों की गलत तरीके से खेती हो रही है, वह उनके भविष्य को खतरे में डाल सकती है।

खेती से आय | भारत में 9.3 करोड़ कृषि परिवार हैं, जिनमें 82% छोटे और सीमांत किसान हैं। इनकी औसत मासिक आय मात्र 125 डॉलर के आसपास है, जो प्रति व्यक्ति आय के राष्ट्रीय औसत $200 से काफी कम है। पंजाब के किसान सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय $322 है। देश के 73% छोटे और सीमांत किसान मुख्य रूप से दक्षिण और पूर्वी राज्यों में हैं। पंजाब और हरियाणा में छोटे किसान केवल 1% हैं। पंजाब और हरियाणा मिलाकर देश की कृषि आबादी में केवल 3.67% हैं, लेकिन किसान आंदोलनों में ये दोनों राज्य सबसे आगे रहे हैं।

MSP की दिक्कत | MSP में 23 फसलें हैं, लेकिन इसका फायदा ज्यादातर धान और गेहूं के लिए ही मिलता है। लगभग 70% धान की खरीद पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में होती है, जबकि 80% गेहूं की खरीद पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। सरकारी नजरिए से MSP को कानूनी रूप देना व्यावहारिक नहीं है। 2020 में MSP के तहत शामिल सभी फसलों का कुल मूल्य 10 लाख करोड़ (120.6 अरब डॉलर) था। भारत का कुल बजटीय व्यय 2023-24 में 45 लाख करोड़ (542.7 अरब डॉलर) है। इतना बड़ा बजट MSP के लिए आवंटित करना असंभव सा लगता है।

कॉमन रूम

कर्ज का कुचक्र | भारत में केवल 15% सीमांत किसानों की औपचारिक कर्ज तक पहुंच है। ऐसे में कर्ज माफी का फायदा भी इन्हीं को मिलता है, न कि छोटे किसानों को। कर्ज माफी की घोषणा पर बैंक, माफी पाने वाले किसानों को अगले कर्ज चक्र में उधार देना बंद कर देते हैं। इस वजह से कई सीमांत किसानों को साहूकारों का रुख करना पड़ता है, जहां ब्याज बहुत ज्यादा होता है। कर्ज माफी में एक और समस्या है कि यह अक्सर मजबूत किसानों को कर्ज न चुकाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वे माफी की रकम खेती की जगह उपभोग में खर्च करते हैं, जिससे केवल अस्थायी राहत मिलती है।

मजदूरी की दर | किसान संगठनों ने 700 रुपये दैनिक मजदूरी और 200 दिनों के रोजगार की गारंटी मांगी है। यह प्रस्तावित मजदूरी बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में मौजूदा मजदूरी की दरों से 3 गुना ज्यादा है। खास बात यह है कि पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। अगर मजदूरी दर में 3 गुना वृद्धि होती है, तो ये प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम की तलाश कर सकते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में मजदूरों की कमी हो सकती है।

चाहिए रेग्युलेटरी ढांचा | इसके साथ ही, खाद्य सब्सिडी को कम करने की प्रतिबद्धताओं और कृषि उत्पाद बाजार समितियों में प्रस्तावित सुधारों ने कॉरपोरेटाइजेशन की आशंका बढ़ा दी है। आलोचकों को डर है कि इससे कॉरपोरेट हितों का दबदबा और बढ़ेगा, जिससे छोटे किसान हाशिए पर जा सकते हैं। ऐसे जोखिम कम करने के लिए रेग्युलेटरी ढांचे की जरूरत बढ़ जाती है।

(लेखक महिंद्रा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में प्रफेसर हैं)

बदले की भेंट चढ़ा चोल राजवंश

सुविज्ञा जैन

कहते हैं कि युद्ध मे पराजय के बाद प्रतिशोध की आग से बचना बड़ा मुश्किल होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्राचीन भारतीय इतिहास के दो राजवश, पाण्ड्य और चोल के बीच की बैर गाथा। इन दोनो राजवशो के बीच यह सिलसिला दशको नही, बल्कि सदियो तक चला।

संगम काल | दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है संगम काल से। यह कालखंड ईसा पूर्व छठी सदी से लेकर ईसा बाद की तीसरी सदी का दौर था। तब वहां तीन प्रमुख राजवंश थे- चेर, चोल और पाण्ड्य। ये तीनों ही विलक्षण योद्धा होने के साथ ज्ञान और साहित्यप्रिय राजवंश भी थे। उस दौर में इन तीन साम्राज्यों के कवियों और विद्वानों के बीच तीन ऐतिहासिक समागम यानी संगम आयोजित हुए। इन्हीं संगमों के समय रचे गए ग्रंथों को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम काल में पाण्ड्य साम्राज्य खासा संपन्न था। अपने व्यापार कौशल से उसके शासकों ने कई देशों से अच्छे रिश्ते भी बना लिए थे।

उतार-चढ़ाव का दौर | संगम काल की समाप्ति के बाद कुछ सदियों तक पाण्ड्य साम्राज्य कुछ कमजोर रहा। लेकिन, छठी सदी के अंत में पाण्ड्य राज्य के फिर से उदय के साक्ष्य हैं। 590 ईसवी में पाण्ड्य राजा कंडूगोन ने शासन को दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में दोबारा स्थापित किया। पाण्ड्य शासन कुछ सदियों तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर संघर्ष करना पड़ा। इस दौर में उनका सामना हुआ शक्तिशाली चोलों से। ये वह दौर था, जब चोलों का डंका दुनिया के कई देशों में बज रहा था।

सबसे बड़ा अपमान | नौवीं से 12वीं सदी में चोल शासकों के प्रभुत्व के कारण ही पाण्ड्य वंशजों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझना पड़ा। चोल राजा एक के बाद एक पाण्ड्य साम्राज्य के कई क्षेत्र जीतते चले गए। 13वीं सदी की शुरुआत में, 1205 में चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय ने पाण्ड्यों की राजधानी मदुरै पर ही हमला बोल दिया। चोल सेना पाण्ड्य राजमहल में घुस गई और अपने राजा के आदेश पर पाण्ड्यों के राजतिलक कक्ष को तहस-नहस कर दिया। चोल राजा ने आदेश दिया कि इस भव्य कक्ष को ढहाकर उस जमीन को खेती के लिए जोत दिया जाए।

AI Image

टाइम मशीन

विरासत बचाकर रखी | राजतिलक कक्ष राजवंशों के लिए गौरव का प्रतीक हुआ करता था। राजपरिवार के नए शासकों का राजतिलक इसी भव्य कक्ष में किया जाता था। यह बहुत बड़ा अपमान था पाण्ड्यों का। हालांकि चोल राजा ने यह उदारता जरूर बरती कि अपने अधीन पाण्ड्य राजा जटावर्मन कुलसेकरा को जागीरदार बना दिया। इससे पाण्ड्य राजवंश को अपनी विरासत जिंदा रखने का मौका मिल गया। कुछ समय बाद राजा कुलसेकरा के भाई मारवर्मन सुंदर पाण्ड्य को पाण्ड्य राजवंश का उत्तराधिकारी घोषित किया गया।

बदला पूरा हुआ | सुंदर ने राजा घोषित होते ही अपमान का बदला लेने के लिए चोलों पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। 1235 ईसवी में उसने चोल राजा कुलोत्तुंग तृतीय पर हमला कर दिया। मारवर्मन सुंदर ने तंजौर और वोरैयुर जैसे चोल नगरों में भारी तबाही मचाई। इस भीषण युद्ध में कुलोत्तुंग तृतीय हार गए। मारवर्मन सुंदर पाण्ड्य ने तंजौर में बने चोलों के राजतिलक कक्ष को ढहाया नहीं बल्कि उसी भव्य भवन में अपना वीराभिषेक कराया। यह मदुरै में हुए पाण्ड्यों के अपमान का जवाब था। और यहीं से पाण्ड्य राजवंश के दोबारा उदय की शुरुआत हुई।

महिला हैं, वोटर भी

प्रणव प्रियदर्शी

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही राज्य भर में महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसका मकसद यह है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं पर अमल का लेखा-जोखा लिया जाए। लेकिन विपक्षी दल RJD के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने उनकी इस प्रस्तावित पहल को इस रूप में चित्रित किया कि वह 'नयन सेंकने' के लिए जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने एक बार नहीं, दो बार यह बात कही, जिससे यह साफ हो गया कि मामला जबान फिसलने का नहीं है। उनका बिल्कुल वही मतलब था, जो वह कह रहे थे।

AI Image

लालू प्रसाद की उम्र 76 साल है और नीतीश भी 73 साल के हैं। दोनों अपनी युवावस्था से ही बिहार की राजनीति में कभी सहयोगी तो कभी विरोधी के रूप में अहम भूमिका निभाते चले आ रहे हैं। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही नीतीश कुमार की लड़कियों और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं न केवल चर्चित और प्रशंसित रही हैं बल्कि उनकी राजनीति को मजबूती भी देती रही हैं। चाहे वह नौवीं तक पहुंचने वाली लड़कियों को साइकल देने की शुरुआती योजना हो या पंचायती राज संस्थाओं में 50% व सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला या फिर राज्य में शराबबंदी लागू करने की नीति। इनसे जहां नीतीश कुमार को महिला वोटरों का पुरजोर समर्थन मिला, वहीं राजनीति में बतौर वोटर, महिलाओं की अहम भूमिका रेखांकित हुई। चुनाव से ठीक पहले महिला संवाद यात्रा को इसी सिलसिले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की यह टिप्पणी जाने अनजाने उन तत्वों को संबोधित करती है जो महिलाओं को आज भी एक वस्तु के रूप में देखने के आदी हैं और उनके सशक्तीकरण को पसंद नहीं करते। व्यक्तिगत संदर्भों से अलग हटकर देखें तो भी इस बयान और सोच में निहित खतरों को समझते हुए इनका समय रहते प्रतिकार करना जरूरी है।

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ समय बर्बाद न हो

यह पत्र 11 दिसंबर के संपादकीय 'हंगामा नहीं बहस हो' से संबंधित है। सदन में हंगामा और व्यवधान आम बात हो गई है, जिससे संसद का समय बर्बाद होता है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। इससे निपटने के लिए सरकार को संसद के नियमों को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि हंगामा और व्यवधान को रोका जा सके। इसके अलावा, सरकार को विपक्षी दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए। इससे संसद में स्वस्थ और रचनात्मक वातावरण का निर्माण होगा। सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद का समय बर्बाद न हो और जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ हार का सामना

यह पत्र 10 दिसंबर के लेख 'किस पार्टी की गलती से बिखर रहा I.N.D.I.A.' से संबंधित है। 2024 आम चुनाव में I.N.D.I.A के घटक दलों ने जिस तरह से शानदार वापसी की थी, उससे लगा था कि अब वे BJP को पटखनी देने को तैयार हैं। लेकिन, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। देखने वाली बात है कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। कर्नाटक और हिमाचल को छोड़ कर कांग्रेस का जहां-जहां BJP से सामना हुआ, वहां उसे हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है।

बाल गोविंद, ईमेल से

■ हॉकी में धमाका

खाड़ी देश ओमान के मस्कट में खेले गए एशियाई जूनियर हॉकी कप टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इस टूर्नामेंट में भारत अजेय रहा और मात्र तीन गोल खाए, जबकि विपक्षी टीमों पर 38 गोल किए हैं। टीम के कप्तान आमिर अली और बाकी सभी खिलाड़ियों पर देश को भरोसा है। हम सभी को उम्मीद है कि अगले साल चेन्नै में होने वाले विश्व हॉकी जूनियर कप में यह टीम भारत का नाम रोशन करेगी और स्वर्ण पदक जीतेगी।

वीरेंद्र कुमार जाटव, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

लालू बोले, ममता को दे देना चाहिए I.N.D.I.A. का नेतृत्व- एक खबर।
क्या 'मोहब्बत की दुकान' ने तोड़ दिए अरमान?

हरिशंकर प्रसाद

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

आनंद तो आपके अंदर छिपा है, उसे बाहर मत तलाशिए

मुनि जयकुमार

जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है परम आनंद पाना। जब व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है। बिना आनंद के जीवन अधूरा और अपूर्ण लगता है।

हम सब आनंद की खोज में हैं, लेकिन जहां आनंद खोजना चाहिए, वहां नहीं खोजते। आनंद को बाहरी चीजों में, जैसे भौतिक सुख-सुविधाओं में खोजते हैं, लेकिन बाहरी सुख स्थायी नहीं होते। एक उदाहरण लें, जैसे मृग अपनी नाभि में कस्तूरी की सुगंध को महसूस करता है, लेकिन वह नहीं जानता कि सुगंध कहां से आ रही है, और इस कारण वह उसे पाने के लिए जंगल-जंगल भटकता है, हम भी ठीक वैसा ही कर रहे हैं। हम बाहरी सुखों में आनंद की खोज कर रहे हैं, जबकि वास्तविक आनंद तो हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह हमारी आत्मा में है।

आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। हम आत्मिक आनंद को समझने के बजाय, भौतिक वस्तुओं में आनंद तलाशते हैं। यही कारण है कि हम सत्य और वास्तविकता को नहीं जान पाते। प्रत्येक व्यक्ति आनंद, शांति और प्रसन्नता की चाहत रखता है, लेकिन क्या वह उस दिशा में सही प्रयास कर रहा है? क्या वह वैसा पुरुषार्थ कर रहा है, जैसा आनंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? नहीं, हम मंथन पानी में करते हैं और मक्खन पाने की इच्छा रखते हैं। यही हमारी विडंबना है।

सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं और अस्थिर भी। इनसे जुड़े सुख और दुख दोनों होते हैं। जब हम इन सुखों से जुड़े रहते हैं, तो हमें सुख का अनुभव होता है, और जब हम उनसे दूर जाते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। अगर हम सुख को दो श्रेणियों में बांटें, तो एक है पदार्थ जनित सुख और दूसरा है आत्मिक सुख। पदार्थ जनित सुख सीमित होते हैं, लेकिन आत्मिक सुख का दायरा असीमित है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक सुख और आनंद की प्राप्ति कर लेता है, तो वह फिर भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ेगा। जैसे, एक बार जब किसी के हाथ अनमोल रत्न लग जाए, तो वह कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों दौड़ेगा?

तो फिर सवाल उठता है कि हम आनंद को कहां खोजें? आनंद को खोजना है हमें समता में। समता का अर्थ है सुख-दुख, मान-अपमान, निंदा-प्रशंसा में समानता बनाए रखना। यह संतुलन ही असली आनंद की ओर ले जाता है। जैसे-जैसे लाभ बढ़ता है, वैसे-वैसे लोभ भी बढ़ता है। लेकिन यह एक अमिट प्यास है, जो केवल संतोष रूपी पानी से ही बुझ सकती है। हमें यह समझना होगा कि जो प्राप्त है, वह पर्याप्त है। यदि हम उस पर संतुष्ट हो जाएं, तो आनंद कभी समाप्त नहीं होगा।

समता, संतोष और संयम- ये आत्मा के गुण हैं और साधना से प्राप्त होते हैं। यही वह रास्ता है, जो हमें आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम वास्तविक आनंद को महसूस कर सकते हैं।

आखिरकार, परम आनंद हमारे भीतर है, और हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। बाहरी चीजों में इसे ढूंढने के बजाय, हमें अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित करना होगा। तभी हम सही मायने में आनंदित जीवन जी सकें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 12 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

जवाबदेही का सवाल

बांग्लादेश में हिन्दुओं समेत अनेक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रहे टारगेटेड हमले से देसी नहीं विदेशों में रहने वाले और प्रवासी भारतीय भी क्षुब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य हिस्सों में इन हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को अमेरिका में भी भारतीय अमेरिकीयों ने 'हमें न्याय चाहिए और हिंदुओं की रक्षा करो' का नारा लगाते हुए व्हाइट हाउस से लेकर पूरी राजधानी में मार्च निकाला। एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत सरकार ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर बहुत संयत रवैया अपनाया है और वहां लोकतांत्रिक और समावेशी सरकार की स्थापना में सहयोग देने की पहल की है। इसी क्रम में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बांग्लादेश की यात्रा की और अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद

युनूस, विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ मुलाकात की। अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पहली बार किसी उच्च भारतीय अधिकारी ने ढाका की यात्रा की। हसीना की सरकार के गिरने के बाद वहां जिस तरह हिन्दुओं के घरों, दुकानों और उपासना स्थलों पर हमले हो रहे हैं उसे दोनों देशों के रिश्ते असहज हो गए हैं। विदेश सचिव ने मोहम्मद युनूस और मोहम्मद तौहीद हुसैन से बातचीत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया और भारत की चिंता सुनने अवगत कराया। विक्रम मिस्री के बयान के बाद उनके बांग्लादेशी समकक्ष तौहीद हुसैन ने हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हम लोगों को दुष्प्रचार बताकर खंडन किया और कहा कि भारत को बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। यह तथ्य है कि सभी आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की जान-माल की रक्षा करे और यह उसका आंतरिक मामला भी होता है। लेकिन अगर कोई राज्य अपनी जिम्मेदारियों या राष्ट्री धर्म का पालन ठीक से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। विडंबना है कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य से इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। विश्व जनमत इस सच्चाई को कैसे झुठला सकता है कि इस्कॉन के पूर्व सदस्य कृष्णदास को झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया। यह विडंबना है कि बांग्लादेश अपने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को झुठला रहा है और पाकिस्तान की तरफदारी कर रहा है। एक संप्रभु और स्वतंत्र आधुनिक देश होने के नाते बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल पर जवाबदेह होना चाहिए।

साख पर चोट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के कथित भाषण पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से जानकारियां मंगवाई हैं। जस्टिस यादव विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में कहा हिन्दुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छानुसार चलेगा। कठमुल्ला शब्द को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि वह देश के लिए बुरा है। वे जनता को भड़काने वाले लोग हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यह देश भारत है, यहां रहने वाले भारतीय हैं। एक देश और एक संविधान है, तो कानून एक क्यों नहीं। मुसलमानों का नाम लिए बगैर ही कहा कि देश में हलाला, तीन तलाक और चार शादियां नहीं चलने वाली। हालांकि बाद में सफाई दी कि उनका बयान तोड़-मोड़ कर चलाया गया परंतु तकरीबन चौंतीस मिनट के भाषण में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जम कर आलोचना की। जज के पद पर बैठे शख्स से उम्मीद की जाती है कि अपने विचारों और बर्ताव से समाज को एकजुटता और विश्वास बढाने का काम

करेगा। व्यक्तिगत राय या पसंद-नापसंद सार्वजनिक रूप से रखने में परहेज किया जाना चाहिए। न्यायाधीश सिर्फ न्याय की बात ही कर सकता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह पूर्वाग्रहों और वैमनस्यता फैलाने वाले विचारों से खुद को मुक्त रखे। मगर लाजिमी है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा शख्स भी इसी समाज का हिस्सा है। जिस तरह सत्ता पक्ष विपक्षियों और विरोधी विचारधाराओं वालों को हाशिए में ढकेलता है, उसे देख लाभ के लोभ में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सरकार के सुर में सुर मिला कर अपना भविष्य संवारने की जुगत में शामिल हो जाते हैं। पूर्व न्यायाधीशों को मिलने वाले विभिन्न संवैधानिक या सरकारी पद आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजनीतिक दल पक्षपात करते हुए उन्हें चुनावी टिकट देते हैं और उनके विवादित होने का लाभ लेने का भरपूर प्रयास करते हैं। विपक्षी दल उन्हें हटाने और सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष उनके बचाव में तरह-तरह की दलील दे रहा है। निष्पक्षता और सहिष्णुता को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही। हालांकि सबसे बड़ी अदालत ने खुद आगे बढ़ कर मामले में हस्तक्षेप कर इस विवादित मामले के छींटे न्याय व्यवस्था पर पड़ने से बचाने का काम फौरन ही किया। जिम्मेदार पदों पर काबिज लोगों के राजनीति से दूर रहने हिदायत के अलावा इनके राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने पर भी रोक होनी चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

घटत-बढ़त

देखो जी, देश में लोगों की आय घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। देश में करोड़पति बढ़ रहे हैं और जीडीपी घट रही है। देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन धर्म खतरे में पड़ रहा है। घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान हो रहा है। शिक्षा का स्तर घट रहा है और शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था ट्रिलियनों में जा रही है, लेकिन शेयर बाजार डावांडोल रहता है। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन संसद में काम नहीं हो रहा है। विपक्ष कहता है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कहती है विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं। संसद में सभापति ज्यादा बोलते हैं और सांसद कम बोलते हैं। वे बोलने की कोशिश भी करें तो रिकॉर्डवाली बही बंद कर दी जाती है कि उसमें कुछ दर्ज नहीं होगा। किसान कहते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल रहा और सरकार कहती है कि हम तो एमएसपी से भी ज्यादा दे रहे हैं। सरकार कहती है कि हम किसानों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और किसान कहते हैं कि सरकार को किसानों की परवाह ही नहीं है। बड़ी ही अजीब स्थिति है साहब!

लेकिन क्या करें जनाब, महंगाई आसमान छू रही है और भगवान जी आसमान माने देवलोक छोड़ कर मस्जिद के नीचे जा बैठे हैं। सरकार जनता को महंगाई से बचाने की बजाय अडानी को विपक्ष से बचाने में लगी हुई है। चुनावों के सर्वे करने वालों के सर्वे तो फेल हो रहे हैं-कभी हरियाणा में फेल हो जाते हैं और कभी महाराष्ट्र में। और अदालतों द्वारा मस्जिदों के कराए जाने वाले सर्वे हिट हो रहे हैं। ये सर्वे जिस तरह से भगवान ढूंढ़ने में सफल हो रहे हैं, उनका परिणाम किसी दिन यह न निकल जाए कि राजनीतिक पार्टियों में उन्हीं से सर्वे कराने की होड़ लग जाए कि साहब कहीं से न कहीं से तो वे जीत निकाल ही लाएंगे। सर्वे के काम का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। जैसे भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टियां और संगठन मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढ़ने में लग गए हैं, वैसे ही चुनावी सर्वे वालों को भी उसी में लग जाना चाहिए। महंगाई माया की तरह अपना जाल फैला रही है, सरकार लठैत की तरह से जॉर्ज सोरोस का विमर्श खड़ा कर रही है और भगवान जी मस्जिद के नीचे हैं। खोदने पर ही पता चलेगा कि वे हंस रहे थे या कराह रहे थे।

अनमोल वचन

दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां हैं। जो न देता है और न ही भोगता है, उसके धन की तृतीय गति (नाश) होती है।
-भर्तृहरि

गंभीर घटना है यह

सुखबीर बादल पर हमला

अवधेश कुमार

अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल पर हमला किसी दृष्टि से छोटी घटना नहीं है। संयोग कहिए या सुखबीर बादल की अभी आयु बची है अन्यथा हमलावर ने गोली चला ही दी थी। सुरक्षाकर्मियों ने उसे त्वरित गति से नियंत्रण में लिया और हाथ ऊपर उठा दिया वरना जितने निकट से गोली चलाई गई थी सीधे सुखवीर बादल की छाती या सिर में घुस जाती।

सुखबीर बादल को अन्य अकाली नेताओं के साथ श्रीअकाल तख्त साहिब की तरफ से 11 दिन की सेवा की धार्मिक सजा सुनाई गई है। वे मुख्य प्रवेश द्वार पर बरछा लेकर व्हीलचेयर पर बैठे थे। उनकी सजा का दूसरा दिन था। इस समय सुखबीर बादल का पैर क्षतिग्रस्त है जिस कारण वह कुर्सी पर बैठ कर सेवा कर रहे हैं। हमलावर 9 एमएम का ग्लोक रिवाल्वर लेकर इतने निकट पहुंच गया तो जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? वैसे यह दुर्भाग्य है कि कुछ नेताओं ने यही आरोप लगा दिया कि सुखबीर ने सहानुभूति लेने के लिए हमला कराया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि हम इस पहलू से भी जांच कर रहे हैं। हमले के तरीके और स्थिति को देखते हुए सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि इसके पीछे सुखबीर बादल या स्वयं अकाली दल का ही कोई षड्यंत्र होगा।

गिरफ्तार हमलावर का नाम नारायण सिंह चौड़ा है जिसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी कहा जा रहा है। वह डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। नारायण सिंह चौड़ा पर आतंक और अपराध के अनेक आरोप हैं। जानकारी के अनुसार उस पर पाकिस्तान से भारी संख्या में हथियार लाने सहित करीब 30 मामले दर्ज हैं। वह तीन बार जेल जा चुका है और 3,139 दिनों तक जेल में रहने का उसका रिकॉर्ड है। उसे 28 फरवरी, 2013 को दो अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके कुराली स्थित ठिकाने से काफी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादियों जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्योरा, जगतार सिंह तारा और देवी सिंह को 2004 में चंडीगढ़ की बुरैल जेल से भागने में मदद की थी।

ध्यान रखिए कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे हैं, जो जेल में सुरंग खोदकर फरार हो गए थे। हालांकि इस मामले में वह बरी किया जा चुका है। उस पर 8 मई ,2010 को परमजीत सिंह पंचवाड़ के ड्राइवर रहे रतनदीप सिंह के साथ अमृतसर में सर्किट हाउस के पास एक कार में आरडीएक्स रख कर धमाका करने की साजिश का भी आरोप लगा था। तरण तारण, गुरदासपुर सहित अन्य जिलों में

भी उस पर गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए सहित गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। अंतिम बार वह 2022 में जमानत पर बाहर आया। चार दशक पहले उसके पाकिस्तान जाकर प्रशिक्षण लेने की भी बात सामने आई है। वहां उसने खालिस्तान नेशनल आर्मी का गठन किया था। वास्तव में आतंकवाद के शुरुआती चरण के दौरान पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप की तस्करी में वह शामिल रहा। पाकिस्तान में रहते हुए उसने गुरिल्ला युद्ध और देशद्रोही साहित्य पर किताब भी लिखी। सुखबीर बादल पर हमले के बाद केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का बयान है कि नारायण चौड़ा ने 2009 में उन पर भी हमला किया था। उनके अनुसार वह गाड़ी में आरडीएक्स लेकर घूमता था।

बिट्टू लगातार यह विषय उठा रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों को जेल से रिहा करना खतरनाक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले में एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें अमृतसर पुलिस कमिश्नर के साथ 5 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आप सोचिए, इस तरह का खतरनाक व्यक्ति पंजाब में सरेआम घूम रहा है तो इसे किस रूप में देखा जाए? वह धर्म पर व्याख्यान देता है, पुस्तक के अलावा लेख, कविताएं लिखता है। उसमें क्या बातें होती होंगी इसकी आसानी से कल्पना की जा सकती है। अगर वह पूरे बादल परिवार को पंथ का गद्दार मानता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वह सरेआम बोलता रहा है कि उपमुख्यमंत्री के रूप में सुखबीर बादल, उनके पिता मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंथ के विरुद्ध काम करते रहे हैं। ऐसी आतंकी सोच रखने वालों के लिए हर वह व्यक्ति पंथ का गद्दार होगा जो उसकी खालिस्तान संघर्ष की योजना का साथ न दे। उसने टीवी चैनल पर भी बादल परिवार को धमकी दी थी। सूचना यह है कि केंद्र सरकार भी इस संबंध में पुलिस को सचेत कर चुकी थी।

उसकी मानसिकता देखिए कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो हंस रहा था। वास्तव में चौड़ा अकेले नहीं है जो इस समय पंजाब में सरेआम घूमते हुए हिंसक वातावरण निर्माण कर रहा है। हमने पंजाब के शहरों में खालिस्तान समर्थकों को सरेआम झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते देखा है। अमृतपाल सिंह का मामला सामने है। उसे किस तरह तैयार करके भारत भेजा गया यह भी सामने आ चुका है। वह सारेआम पूरे पंजाब में भारत विरोधी और आग लगने वाला बयान देता था, सभाएं करता था, उसका जगह-जगह स्वागत होता रहा और उसने देखते-देखते पूरे पंजाब में अपना एक बड़ा समूह खड़ा कर लिया। वह नशा छुड़ाने के नाम पर युवाओं को पकड़ता, उनको पीटता और उसके साथ उन्हें सिख कौम के नाम पर उसकी खालिस्तान दृष्टि से काम करने के लिए भी तैयार करता था। जरनैल सिंह भिंडरावाले के गांव के गुरुद्वारे में जाकर भाषण दिया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी की घटनाओं के आरोप लगा कर गुरुद्वारों तक में हिंसा और हत्याएं हुईं। पुलिस ने पूरे प्रदेश से हिंसा की आग में झोंकने वाले हथियारों के भंडार बरामद किए हैं, आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। विदेश में दृष्टि दौड़ाएं तो अलगाववादी हिंसक तत्वों की गतिविधियां बता रही हैं कि नये सिरे से पंजाब में उथल-पुथल पैदा करने के षड्यंत्र जारी हैं।

कनाडा सरकार ने तो वहां मारे गए आतंकवादी के पक्ष में भारत को कठघरे में खड़ा किया। हालांकि ऐसे लोग मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं हैं, इसलिए ये सफल होंगे ऐसा नहीं माना जा सकता। किंतु जिस प्रदेश ने आतंकवाद का इतना बड़ा दौर देखा, 72 हजार के आसपास लोगों की जानें गई वहां सुखबीर बादल पर हमला बताता है शासन की ओर से किस तरह की सख्ती और सतर्कता की आवश्यकता है।

(लेख में विचार निजी हैं)

उसकी मानसिकता देखिए कि पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो हंस रहा था। वास्तव में चौड़ा अकेले नहीं है जो इस समय पंजाब में सरेआम घूमते हुए हिंसक वातावरण निर्माण कर रहा है। हमने पंजाब के शहरों में खालिस्तान समर्थकों को सरेआम झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते देखा है। पिछले कुछ वर्षों में बेअदबी का आरोप लगा कर गुरुद्वारों तक में हिंसा और हत्याएं हुईं। अलगाववादी तत्वों की गतिविधियां बता रही हैं कि नये सिरे से उथल-पुथल षड्यंत्र है

देश में बढ़ रही तेंदुओं की संख्या

- भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ने पर है। 2022-23 में की गई तेंदुओं की गणना में इनकी संख्या 1.08 फीसद बढ़कर 13,874 हो गई है। इससे पहले तेंदुओं की गणना 2018 में की गई थी
- देश में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश (3,907) में हैं। उप्र में 371 तेंदुए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार 'तेंदुओं की स्थिति' रिपोर्ट के मुताबिक, देश में वन्यजीवों के संरक्षण संबंधी प्रयास कारगर साबित हो रहे हैं

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

अपने तमाम दोषों के बावजूद इंदिरा गांधी देशभक्तत नेता थीं और राजीव गांधी भी। आज कांग्रेस पार्टी की कारगुजारियां देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती क्योंकि पार्टी उनके साथ गलबहियां कर रही है, जो भारत का भला नहीं चाहते।

मिन्हाज मर्चेंट, स्तंभकार
@MinhazMerchant

पर्वतों को बचाने की चुनौतियां

मुद्दा | अखिलेश आर्येन्दु

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पर्वत देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं। लेकिन पहाड़ों के बेतहाशा दोहन से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। हम भूल गए कि पहाड़ों के संरक्षण, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल के अनुसार 84 प्रतिशत स्थानीय पर्वतीय प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-30 प्रकृति की गिरावट रोकना और वापस लाना दस साल की कोशिश है।

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर धरती, पर्वत और हवा पर पड़ा है। धरती तेजी से गर्म हो रही है। मौसम असंतुलित हो गया है। प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा देखी जाने लगी हैं। पर्वतों का दोहन इतना अधिक किया गया कि दूसरी तमाम तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं और समस्याएं आए दिन होने लगी हैं। पर्वतों के दोहन को बचाने और पर्वतों के महत्त्व को समझाने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को 'अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस' मनाने की घोषणा की। हर साल 11 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाए जाने का मकसद पर्वतों का संरक्षण, सुरक्षा और उनके दोहन को रोकना है। जाहिर है पर्वत और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। उतना पुराना जितना मानव सभ्यता। धरती का 27 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। दुनिया के पंद्रह प्रतिशत आबादी का घर पहाड़ हैं, और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता वाले हॉटस्पाट की मेजबानी भी पहाड़ करते हैं। दुनिया की आधी आबादी के रोजमर्रा की जिंदगी बसर के लिए पानी उपलब्ध कराने का कार्य पहाड़ करते हैं। कृषि, बागवानी, पेय जल, स्वच्छ ऊर्जा और दवाओं की आपूर्ति पहाड़ों के जरिए होती है। दुनिया के अस्सी प्रतिशत भोजन की आपूर्ति करने वाली बीस पौधों की प्रजातियों में से छह की उत्पत्ति और विविधता पहाड़ों से जुड़ी है। आलू, जौ, मक्का, टमाटर, ज्वार, सेब जैसे उपयोगी आहारों की उत्पत्ति पहाड़ हैं। हजारों नदियों के स्रोत पहाड़ हैं। भारत में नदियों को ही पूजा नहीं जाता, बल्कि अनेक पहाड़ों की पूजा भी की जाती है। तमाम चमत्कारिक घटनाएं पहाड़ों से जुड़ी हैं। तमाम तरह की सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पहाड़ों से जुड़ी हैं। इसलिए पहाड़ों का

संरक्षण हमारा कर्त्तव्य है। सृष्टि-उत्पत्ति के साथ सागर और पहाड़, दोनों मानवता के विकास के आधार रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे नई सभ्यता और संस्कृति के साथ विज्ञान का विकास होता गया वैसे-वैसे पहाड़ और सागर, दोनों प्रदूषित किए जाने लगे। आज हालत यह हो गई है कि पहाड़ और सागर, दोनों का वैभव खत्म होता जा रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक जलवायु गर्म होती जा रही है, पर्वतीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे जैव विविधता पर ही असर नहीं पड़ रहा, बल्कि ताजे पानी की उपलब्धता और औषधियां भी लुप्त हो रही हैं।

पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र बढ़ते प्रदूषण की वजह से खतरे में है यानी दुनिया भर में पर्वतों को संरक्षण देने की जरूरत है। पर्वत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इसे वह समुदाय सबसे ज्यादा जानता है जिसकी रोजमर्रा की जिंदगी की हर कवायद पर्वतों से जुड़ी है। यूं तो पहाड़ों के संरक्षण को लेकर विश्व का ध्यान 1992 में गया जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में एजेंडा 21 के अध्याय 13 'नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन : सतत पर्वतीय विकास' पर जोर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने से पिछले दस सालों में पर्वतीय पर्यटन तेजी से बढ़ा है लेकिन इसका नुकसान भी देखा गया है। पर्यटकों की लापरवाही से पर्यावरण का नुकसान हुआ और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ा है। पहाड़ी इलाकों के निवासियों को रोजगार जंगल और पहाड़ से मिलता है। खासकर महिलाओं के लिए पहाड़ किसी खेती से कम नहीं हैं। युवाओं के लिए पर्वतीय जैव विविधता का संबंध आज अधिक विश्वसनीय है क्योंकि कलाकृतियों के संरक्षण, मूर्तिकला और बेहतर स्वास्थ्य पहाड़ों के स्वच्छ पर्यावरण से ताल्लुक रखता है। आजीविका और प्राकृतिक आहार पहाड़ों से जितना अच्छा मिलता है, उतना शायद और कहीं से नहीं मिलता। ईंधन, औषधियों और लता वाली तरकारियां पहाड़ के दर्रों में उगती हैं। तमाम जीव-जंतुओं के आवास स्थल पहाड़ हैं। पहाड़ों के दोहन या क्षरण का मतलब जीव-जंतुओं, बहुमूल्य वनस्पतियों, औषधियों और खनिज-रत्नों से महरूम होना है। हिमाचल प्रदेश में 11-12 जिलों में कुदरत के कहर से पहाड़ का पोर-पोर धंस रहा है। असम, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पहाड़ों के साथ खूब अनर्थ हुआ है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पर्यावरण संरक्षक और जनता को माफिया के खिलाफ आगे आना होगा। धरती पर रहने वाले हर इंसान का पहाड़ों से रिश्ता रहा है। पर्वत बचेंगे तभी मानव सभ्यता, संस्कृति और सेहत, तीनों का बचाव होगा।

बीज का नाश | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

एक किसान ने अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई थी, लेकिन फसल के साथ-साथ आसपास कुछ भद्दे खरपतवार भी उग रहे थे जो मुख्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। किसान ने उन खरपतवार-पौधों को उखाड़ दिया। पौधों तक पानी पहुंचने से रोकने का भी इंतजाम किया। फिर भी सर्दियों और गर्मियों के चार-चार महीनों के बाद जब पहली मानसूनी बारिश ने जमीन पर पानी बरसाया तो पौधे तेजी से बढ़ गए। किसान यह देख कर आश्चर्यचकित रह गया कि, 'उखाड़ने के आठ महीने बाद भी ये पौधे आज बड़े कैसे हो गए?' तब पता चला कि उन पौधों के बीज मिट्टी में ही रह गए थे। इसीलिए बहुत समय के बाद भी पानी मिलते ही अंकुरित हो गए। इस दृष्टांत की समानता मानव जीवन में भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग अपनी स्वाद प्रकृति से बचने के लिए या वजन कम करने के लिए भोजन से पूरी तरह से परहेज करते हैं, लेकिन लंबे समय में इस अत्यधिक रोकथाम के परिणामस्वरूप हाइपर टेस्ट जैसे विकार भी हो जाते हैं। बाद में तो अच्छा खाना देखते ही वे खाने पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार, केवल तात्कालिक भोजन का संयम स्वाद के मूलबीज को नष्ट नहीं करता है। इसी प्रकार पांच भोग के विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) के प्रति गहरी आसक्ति से भोग का स्वभाव नष्ट नहीं होता। श्रीकृष्ण गीतामृत का पाठ करते हैं-'जो मनुष्य इंद्रियों द्वारा भोग-विषयों का त्याग करता है, उससे विषयों का पृथक्करण तो होता है, परंतु वह उन विषयों के प्रति अपनी आसक्ति नहीं छोड़ता। यह आसक्ति परम भगवान की प्राप्ति से ही नष्ट होती है, इससे व्यक्तिपरक प्रकृति जड़ से नष्ट हो जाती है।' महंतस्वामी महाराज कहते हैं-जब मनुष्य आम का रस पी लेता है, तब उसे खट्टी छाछ अच्छी नहीं लगती। जो आदमी करोड़ों के बंगले में रहता है, वह छोटे से घर में आसक्त नहीं रहता। जो आदमी रोल्स-रॉय में घूमता है, उसे साइकिल से कोई लगाव नहीं रहता। यह भी स्वाभाविक है कि जो मनुष्य सुख-आनंद के सर्वोच्च स्रोत को जान लेता है-शाश्वत परमात्मा को प्राप्त कर लेता है-फिर उसे इस संसार की तुच्छ चीजों में खुशी नहीं मिलती-वह आसक्त नहीं रहता।

रीडर्स मेल

सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन जरूरी

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा का प्रसार करना और नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। योजना तहत देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। योजना का लाभ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को देने पर खास तवज्जो दी जाएगी। हिमाचल सरकार ने अपने यहां सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए कुछ प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है, सरकार को इस पहल में जरा भी देरी न करते हुए इसे जल्द लागू करने पर विचार करना चाहिए। हमारा देश गांवों का देश है। देश में बहुत से गांव ऐसे भी होंगे जहां तार द्वारा बिजली पहुंचाना मुश्किल होगा खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में। वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऐसी नई तकनीक विकसित करनी चाहिए जो बिजली की खपत भी कम करे, ज्यादा सुरक्षित हो, और इसकी चार्जिंग सौर ऊर्जा के जरिए हो। आने वाले समय में सौर ऊर्जा से भी वाहनों को चलाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो सकता है, और होना भी चाहिए क्योंकि पेट्रोल, डीजल और बिजली तैयार करने के विकल्प कभी भी समाप्त हो सकते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

प्रजनन दर महत्त्वपूर्ण मुद्दा

प्रजनन दर महत्त्वपूर्ण मुद्दा है, जो देश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, हमें कई दिशाओं में काम करना होगा। दरअसल, हमारे देश में प्रजनन दर में कमी सिर्फ हिन्दू समाज में आई है। आजादी के बाद मुस्लिम समाज में जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है और इस असंतुलन को समायोजित करने के लिए ही मोहन भगवत ने तीन बच्चे जन्मने की बात कही है। हम जानते हैं कि जनसंख्या भारत जैसे देश में तो अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। यहां कई छुपे एजेंडे चल रहे हैं। विदेशों से धन आ रहा है और धार्मिक कट्टरता के चलते कारगर जनसंख्या नीति बनाया जाना आवश्यक है। यह बात खुले रूप से मोहन भागवत जी ही कह सकते हैं क्योंकि राजनीतिक दलों के लिए तो यह विषय धर्मनिरपेक्षता पर चोट करने के समान है।

मधु सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम, मप्र

पश्चिमी एशिया में अनिश्चितता

पश्चिमी एशिया में नई अनिश्चितता का युग शुरू हो गया है। स्थायी शांति की संभावनाएं बहुत कम हैं। तुर्की सीरिया के नये शासन को नियंत्रित करना चाहता है। हालांकि भारत के सीरिया के साथ संबंध महत्त्वपूर्ण हैं, दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साझा मोर्चा अपनाया है। असद कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते रहे हैं। देखना बाकी है कि सीरिया की स्थिति इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर कितनी बदलेगी। भारत-तुर्की संबंध हाल में सुधरे हैं जबकि कश्मीर पर उसका रुख नरम हुआ है, भारत ने तुर्की के ब्रिक्स साझेदार देश की स्थिति को अवरुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया है। भू-राजनीतिक परिदृश्य जटिल और अस्थिर है, जहां रणनीतिक हितों व कूटनीतिक लचीलेपन का खेल चल रहा है।

चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 116
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

न्यायाधीश घेरे में!

न्यायाधीशों और न्यायिक बिरादरी के सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। न्याय करने का मूल उद्देश्य निष्पक्ष होता है। न्यायाधीशों को संविधान द्वारा निर्धारित मूल्यों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होना चाहिए। न्यायाधीशों द्वारा बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियां उन्हें नकारात्मक रूप से दिखाती हैं और पूरे न्यायिक संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव द्वारा विश्व हिन्दू परिषद के एक कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों पर विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी रिपोर्ट मंगा ली है। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जस्टिस यादव ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। संवैधानिक न्यायालय के जज के रूप में उनके बयान, जैसा कि उनके आदेशों और निर्णयों में परिलक्षित होता है, लगातार अपने वैचारिक स्वरों के कारण समाचारपत्रों की और टीवी चैनलों की सुर्खियों में रहे हैं जिससे व्यापक बहस छिड़ गई है। जस्टिस यादव ''गाय ऑक्सीजन छोड़ती है'' मानने से लेकर अब तक के अपने बयानों से चर्चित रहे हैं।

विश्व हिन्दू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कहा कि भारत में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं। उन्होंने श्रीराम मंदिर, तीन तलाक, हलाला के अधिकार आदि कई विषयों की भी चर्चा की। उनके भाषण के वीडियो वायरल होते ही तूफान खड़ा हो गया। न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना-1997 में कहा गया है कि कोई न्यायाधीश सार्वजनिक बहस में शामिल नहीं होगा या राजनीतिक मामलों या उन मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा, जो लम्बित हैं या जिसके न्यायिक निर्धारण के लिए उठने की सम्भावना है। एक न्यायाधीश का कर्त्तव्य है कि वह अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट करे न कि वैमनस्य को बढ़ावा दे। असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। यह भी संवैधानिक नहीं है कि एक सिटिंग जज एक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले। यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। विश्व हिन्दू परिषद और कुछ अन्य संगठनों के लोग यह तर्क दे रहे हैं कि विश्व हिन्दू परिषद विधि प्रकोष्ठ पर न तो बैन लगा है और न ही यह संगठन कोई अवैध काम कर रहा है। यह वकीलों का कानूनी संगठन है और वकीलों के मंच पर जज आते रहे हैं, तो जस्टिस शेखर यादव को लेकर विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है।

> न्यायालय के अधिकारियों के लिए लिंग के प्रति संवेदनशील होना अनिवार्य है। न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी समुदाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के चलना चाहिए। लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को रूढ़िबद्ध करना हानिकारक असमानताओं को बनाए रखेगा और न्याय के वाहकों को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इन हाउस जांच का आग्रह किया है।

हाल ही के दिनों में देखा जा रहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश केसों की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो संविधान के तहत बुनियादी तौर पर गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पश्चिमी बैंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था। इस पर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज वी. श्रीशानंद और दो अलग-अलग मामलों में एक महिला वकील के प्रति की गई टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया था। बाद में न्यायाधीश द्वारा माफी मांग लेने पर शीर्ष अदालत ने कार्यवाही समाप्त कर दी थी। अगस्त महीने में भी न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कार्यवाही के दौरान "बेतरतीब, अनुचित" टिप्पणी करने से रोकने के लिए चेतावनी दी थी। 2023 में न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर लैंगिक रूढ़िवादिता का मुकाबला करने के लिए एक पुस्तिका जारी की। महिलाओं के बारे में रूढ़िवादिता को पहचानने, समझने और उससे निपटने में कानूनी समुदाय की सहायता करने के उद्देश्य से, इसने लिंग-अन्यायपूर्ण शब्दों की एक शब्दावली तैयार की, जिसमें दलीलों के साथ-साथ आदेशों और निर्णयों का मसौदा तैयार करते समय इस्तेमाल किए जाने वाले वैकल्पिक शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव दिया गया। न्यायालय के अधिकारियों में लिंग के प्रति संवेदनशीलता होना अनिवार्य है। न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी समुदाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के चलना चाहिए। लिंग या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को रूढ़िबद्ध करना हानिकारक असमानताओं को बनाए रखेगा और न्याय के वाहकों को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए इन हाउस जांच का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि जस्टिस यादव के आचरण ने आम नागरिकों के मन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा किया है। अब एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की जरूरत है। जस्टिस यादव ने न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है बल्कि उनका भाषण न्यायाधीश के रूप में उनकी शपथ का भी खुला उल्लंघन है। "न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय किया जाना भी दिखना चाहिए। उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के व्यवहार और आचरण से न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास की पुष्टि होनी चाहिए। तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज का कोई भी कार्य चाहे वह आधिकारिक या व्यक्तिगत क्षमता में हो जो इस धारणा की विश्वसनीयता को नष्ट करता हो उससे बचना चाहिए।" "न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए।" विपक्ष ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। उन्हें पद से हटाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है, उस पर विधि विशेषज्ञों की नजरें लगी हुई हैं।

कड़वे सच का आधार

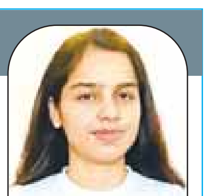

"स्कूल जाने से पहले ही क्यों नारी को पढ़ा दिया जाता
त्याग और सहनशीलता का विचार है,
जो मांगे अपना हक वो इस समाज की नजर में
स्वार्थी और बदकिरदार है,
दिन-प्रतिदिन बढ़ते घरेलू हिंसा के आंकड़े इस कड़वे सच का आधार है,
आखिर क्यों सदियों से नारी जाति पर हो रहा जुल्म अपार है...!"

-गीता पाठा

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

प्रवासी भारतीय और 'क्वालिटी ऑफ लाईफ़'

यूएई, विशेषतौर पर दुबई, में दुनिया के हर कोने से आए लोग मिलते हैं। भारतीय भारी संख्या में तो हैं ही, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, नेपाली, फ़िलिपीनो भी बड़ी संख्या में हैं। क्योंकि अरब दुनिया में बहुत तनाव चल रहा है इसलिए वहां से भाग कर बहुत लोग यहां बस रहे हैं। फ़िलिस्तीन, लेबेनॉन, मिस्र आदि से बहुत लोग और बहुत पैसा यहां हैं। स्थानीय लोग विदेशियों विशेष तौर पर ग़ैर-अरब से बहुत मिलते जुलते नहीं पर किसी विदेशी को परेशान नहीं किया जाता। सुबह-शाम विदेशी महिलाऐं, जिन्हें शाहरुख़ खान ने एक फ़िल्म में 'छोटों छोटे कपड़े' कहा था पहने जॉगिंग करती नज़र आएंगी, कोई आपत्ति नहीं करता। सामान्य समझा जाता है। अब बड़ी संख्या में रूस और यूक्रेन के लोग वहां आ रहे हैं। कई जायदाद भी ख़रीद रहे हैं। रूसी समुदाय इस बात के लिए कुख्यात है कि वह स्थानीय लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। एशिया के लोग अधिक मिलनसार हैं। यूएई में यह भी सुखद है कि भारतीय और पाकिस्तानी समुदायों के बीच कोई तनाव नहीं है। चाहे वह बड़े प्रोफेशनल हो या लेबर हो सब आपस में मिलते जुलते हैं। भाषा भी एक जैसी है। लाहौरी पंजाबी खूब चलती है। पिछले महीने अबू धाबी में दलजीत दोसांझ का कार्यक्रम था। उसके लिए पाकिस्तानियों में भी उतना ही क्रेज़ था जितना हमारे लोगों में। इसी तरह अतीफ आलम या राहत फ़तह अली खान को दोनों देशों के लोग सुनने पहुंचते हैं। एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ वाले कमरे में इंडियन रहते हैं, पर कोई तनाव नहीं है। उल्टा क्योंकि सब विदेश में हैं इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अपनी सरकार पर कटाक्ष करते उसका कहना था कि "हमें आपस में लड़ा कर डुबो दिया"।

यूएई में स्थानीय अमीराती लोगों के बाद सबसे प्रभावशाली भारतीय समुदाय है। इस साल दुबई में जायदाद की क़ीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ख़रीदने वाले विदेशियों में सबसे अधिक रूसी और भारतीय हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भ्रष्टाचार का पैसा यहां बहुत है। अनुमान है कि भारतीयों के पास 35 हज़ार जायदाद है। मुकेश अंबानी से लेकर शाहरुख़ खान, शिल्पा शेट्टी सबकी यहां जायदाद है। आशा भोंसले के रेस्टोरेंट 'आशा' की कई शाखाएं हैं। कई लोग अब दस साल का गोल्डन वीज़ा प्राप्त कर रहे हैं जो बाद में रिन्यू हो जाता है। इसके लिए 20 लाख दिरहम जो साढ़े चार करोड़ रुपए के क़रीब बनते हैं खर्चने पड़ते हैं। बड़ी संख्या में हमारे लोग गोल्डन वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कई कारण बताए जाते हैं।

यूएई भारत के नज़दीक है। भारत के किसी भी शहर से 3-4 घंटे की उड़ान है। स्थानीय लोग हमारी संस्कृति को समझते हैं। हमारी भाषा भी कुछ कुछ समझी जाती है। यहां आयकर नहीं है। पैसे के बारे कोई सवाल नहीं करता। बिजनेसमैन शिकायत करते हैं कि भारत में एजेंसियों का बहुत दबाव है। ईडी या आयकर जैसे छापे बहुत पड़ते हैं। टैक्स भी बहुत है।इसलिए कई लोग यूएई, विशेष तौर पर दुबई, को अपना दूसरा ठिकाना बना रहे हैं। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, पूरा क़ानून का शासन है।अनुशासन है। आप कार खुली छोड़ जाओ कोई उठाएगा नही। महिलाएं विशेष तौर पर सुरक्षित महसूस करती हैं। रात को अकेली महिला भी कहीं भी आ-जा सकती है, कोई आँख उठा कर नहीं देखता। हम बहुत गिरते जा रहें हैं। हमारा समाज बीमार हो रहा है। वहां ज़रूरत के अनुसार सब कुछ उपलब्ध है। बने बनाए फ्रोज़न आलू के पराँठे तक मिल जाते हैं। भारत का हर उत्पाद मिलता है। और प्रदूषण नही है। रात को तारे नज़र आते हैं।

अबू धाबी के बाहर अल वथबा रेगिस्तान में सूर्यास्त का दृश्य। वहां की कहावत है कि आप रेगिस्तान को अपने पैरों से झाड़ सकते हो पर अपने जीवन से नहीं। (**नीचे**) दुबई मॉल का दृश्य। यहां 200 के क़रीब अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट भी हैं।

जालंधर में हम बचपन में सप्त-ऋषि देखा करते थे,अब तो आकाश ही धुंधला हो गया कोई तारा नज़र नहीं आता।राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। प्रवासियों का निष्कर्ष है कि देश के बाहर'क्वालिटी ऑफ लाईफ़' बेहतर है। इस्लामी देशों में हमारे जो लोग रह रहें हैं वह चिन्तित हैं कि अपने देश में साम्प्रदायिक स्थिति ख़राब हो रही है। दुबई में एक व्यक्ति ने मुझ से मुरादाबाद की घटना का ज़िक्र किया जहां एक पॉश कालोनी में मुस्लिम दम्पति को फ्लैट देने पर पड़ोसी हिन्दू भड़क उठे, ज़िलाधीश तक को शिकायत की गई और उन्हें फ्लैट छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। एक महिला जो प्रदर्शन में मुखर थी का कहना था, "हमारी लड़कियां असुरक्षित हो जाऐंगी...हम उनका यहां रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते"। इस घटना पर इस सज्जन ने कहा, "हम भी तो मुस्लिम देश में रहते हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है। हमारी बिल्डिंग में भारतीय, पाकिस्तानी, अमीराती, ब्रिटिश, रूसी सब रहते हैं। अगर यह कहने लग पड़े कि हम हिन्दुओं के साथ नहीं रहना चाहते तो हमारा क्या होगा?"

एक और व्यक्ति ने दो घटनाओं का ज़िक्र किया। एक, कोलकाता के आर.जी.कर अस्पताल के डाक्टर की रेप के बाद हत्या और दूसरा, चलती वंदे मातरम ट्रेनों पर पथराव। उसका पूछना था कि कैसे जानवर हैं जो अस्पताल के अंदर डाक्टर की रेप के बाद हत्या करते हैं या चलती ट्रेन पर पथराव करते हैं? लेकिन सबसे अधिक शिकायत है कि समाज तनावग्रस्त हो रहा है जबकि इस्लामी देश और उदार होते जा रहे हैं। यूएई के बाद साऊदी अरब भी बदल रहा है। महिला अब अकेली गाड़ी चला सकती है। पहले अकेली महिला कहीं नहीं जा सकती थी। यह देश भी तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है और टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहता है। इसलिए बदल रहा है। वहां एक ही पाबंदी रह गई है। शराब पीने की इजाज़त नहीं है। साऊदी खुद प्यास बुझाने पास बहरीन जाते हैं पर वहां अभी पाबंदी है। यूएई में घर में या होटल में पीने की इजाज़त है। साऊदी अरब में पुरानी पीढ़ी बदलाव का विरोध कर रही है क्योंकि इस देश में सबसे पवित्र इस्लामी स्थल मक्का स्थित है पर क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान अपने देश को बदलने पर स्थिर हैं।

यूएई विशेष तौर पर दुबई में बहुत कुछ चमकदार है। वहां की दुबई मॉल दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मॉल है। 3800000 वर्ग फुट में फैले इस माल में 1200 स्टोर हैं और 14000 कारों की पार्किंग की जगह है। कहीं भी मैंने इतने ब्यूटी पार्लर नहीं देखे जितने दुबई में देखे हैं। गोवा में हर कुछ दुकानों के बाद वाइन स्टोर है तो दुबई में हर कुछ दुकानों के बाद ब्यूटी पार्लर है। स्थानीय महिलाएं काला अबाया डालती है जो उन्हें सर से पैर तक ढकता है पर चेहरा खुला रहता है। कुछ बुर्का भी डालती हैं पर संख्या कम है। पुरुष सफ़ेद रंग का चोग़ा डालते हैं और सर पर सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं। यह ड्रेस उन्हें गर्मी से बचाती है। चाहे एयरपोर्ट हो या दफ्तर अरब लोग अपनी ड्रेस में ही मिलेंगे। हम तो अपनी ड्रेस को छोड़ चुके हैं। हां, एक बुरी आदत है। सिगरेट और हुक्का बहुत चलता है। पूरी इजाज़त है। हुक्का तो रेस्टोरेंट में आम मिल जाता है। नॉन- स्मोकर के लिए यह तकलीफ़देह है।

यूएई की एक समस्या भी है। यहां मिडिल क्लास ख़त्म होता जा रहा है। या रईस हैं या कठिन जीवन व्यतीत करने वाली लेबर क्लास है। किराए इतने महंगे हैं कि वह ही रह सकते हैं जिनकी आमदन मोटी है। लेबर क्लास अपने घर पैसा तो भेजती है पर बहुत मुश्किल ज़िन्दगी है। एक-एक कमरे में कई-कई लोग रहते हैं। गर्मियों में बुरा हाल होता है। उनकी हालत क्या है, यह एक पाकिस्तानी टैक्सी चालक से बात करने पर पता चला। वह पेशावर के आसपास का रहने वाला है। उसका कहना था, "सर, कौन घर छोड़ कर आना चाहता है। मजबूरी है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। कोई नौकरी नहीं, भूखे मर रहे हैं। मैं 2500 दिरहम(जो 57000 रुपए बनता है) कमाता हूं। 1000 दिरहम घर भेजता हूं जिससे मां-बाप और चार भाई बहन का गुज़ारा चलता है। हम सात लोग यहां एक कमरे में रहते हैं। दो साल का वीज़ा मिलता है जिसे रिन्यु करने पर 8000 दिरहम लगते हैं। मेरे पर 20000 दिरहम का कर्ज़ा है। बहुत तंग ज़िन्दगी है पर क्या करें कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। सब कुछ नवाज़ शरीफ़ परिवार, ज़रदारी परिवार और आर्मी खा गई। शहबाज़ शरीफ़ को तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। एक ही ईमानदार आदमी है, इमरान खान उसे 200 केसों में जेल डाल दिया गया है"। यह उल्लेखनीय है कि बाहर रह रहा हर पाकिस्तानी इमरान खान का समर्थक है और अब तो सेना को भी खुली गालियां दी जा रही हैं।

इस ड्राइवर ने एक बात और कही, वहां 80 प्रतिशत टैक्सी पाकिस्तानी चलाते हैं और 'हाई पोस्ट पर इंडियन हैं'। यह बात तो उसकी सही है पर यह भी सही है कि बहुत बड़ी संख्या में 'हाई पोस्ट' वाले इंडियन अब वापस देश नहीं आना चाहते। लाखों देश छोड़ रहे हैं। जो भेज सकता है वह अपने बच्चे बाहर भेज रहा है। भाजपा के अपने कई मंत्रियों की संतान बाहर सैटल हैं, या पढ़ रही है। बताया जाता है कि 'क्वालिटी ऑफ लाइफ़' बाहर बेहतर है। पर अगर जिन्होंने यहां क्वालिटी ऑफ लाईफ़ बेहतर करनी है वह ही अपनी अगली पीढ़ी को बाहर भेज रहे हैं तो देश की कौन सुध लेगा?

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

किसानी मसलों के चलते आम जनता परेशान

बीते दिनों केन्द्र की सरकार के द्वारा किसानी कानून लागू किए जाने के बाद से देश में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कई महीनों तक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डरों पर किसानी संघर्ष चलता रहा और सरकार द्वारा कानून वापिस लिए जाने के बाद मोर्चा समाप्त कर दिया गया। मगर शायद कुछ राजनीतिक जत्थेबंदियों को यह रास नहीं आया क्योंकि किसानों की आड़ में उनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी शुरू हो गई थी जिसके चलते उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से शांत नहीं होने दिया। होना यह चाहिए था कि सरकार के द्वारा कानून वापिस लिए जाने के बाद भी अगर सरकार और किसानों के बीच कुछ मनमुटाव रह गया था तो सभी राजनीतिक पार्टियों को पंजाब और किसानों की बेहतरी के लिए मिल बैठकर उसे दूर करवाना चाहिए था। पिछले साल फरवरी में एक बार फिर से किसानों के द्वारा दिल्ली कूच की खबरों के बीच हरियाणा के शम्भू बॉर्डर को सील कर दिया गया। किसानों और प्रशासन के बीच आमने-सामने का टकराव भी हुआ। तब से लेकर आज तक तकरीबन एक वर्ष होने को है किसान शम्भू बार्डर पर पंजाब की ओर सड़कों पर बैठे हैं हालांकि इनकी गिनती पहले से बहुत ही कम है और दूसरा इन्हें पब्लिक का सहयोग नहीं मिल रहा पर जो भी हो इसके चलते आम जनता एक साल से पिस रही है।

दिल्ली से रोजाना हजारों गाड़ियां, बसें, ट्रक दिल्ली से पंजाब को आते और जाते हैं जिन्हें मेन हाईवे बंद होने के कारण 8 से 10 किलोमीटर का सफर तीन से चार गुना दूरी तय करके करना पड़ता है इतना ही नहीं गांवों की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं जिसके चलते तकरीबन 2 घण्टे अधिक का समय लगता है। बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं को इन सड़कों पर चलते हुए और भी अधिक परेशानी होती है। रात के समय लोग रास्ता भटक कर खेतों में चले जाते हैं। पैट्रोल, डीजल की बर्बादी के साथ-साथ गाड़ियों को भी क्षति पहुंचती है। मगर बहुत ही अफसोस की बात कि पंजाब के 13 सांसद और 7 राज्य सभा से चुने नुमाईंदे भी मुंह बंद किए बैठे हैं। समाजसेवी बलदीप सिंह राजा का मानना है कि इसमें सबसे अधिक नाकामी पंजाब की भगवंत मान सरकार की है जिन्हें अपने राज्य की जनता की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अगर वह केन्द्र की सरकार से मिलकर इस मसले का हल नहीं करवा सकते तो कम से कम उन्हें सरकारी मशीनरी लगाकर गांवों की सड़कों की मरम्मत करवानी चाहिए जिससे जनता की परेशानी को कम किया जा सके। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि किसान अपने खेतों में कार्यरत हैं ऐसे में हो सकता है जो लोग शम्भू बॉर्डर पर धरने पर हैं उनमें ज्यादातर किसान हो ही ना तो किसानी जत्थेबंदियों को भी इसकी पड़ताल करनी चाहिए।

बागपत के रास्ते शीश लेकर आनंदपुर पहुंचे भाई जैता जी

सिख धर्म में अनेक ऐसे सिखों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिन्होंने गुरु साहिबान के प्रति पूर्ण श्रद्धा भावना दिखाते हुए सेवा की यहां तक कि अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इनमें से एक नाम है भाई जीवन सिंह जी जिन्हें भाई जैता जी कहकर भी सम्बोधन किया जाता है। भाई जैता जी जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के बाद उनके शीश को दिल्ली से लेजाकर आनन्दपुर साहिब में गुरु गोबिन्द सिंह जी को सुपुर्द किया था। बादशाह औरंगजेब की सख्त हिदायत थी कि गुरु साहिब के पार्थिव शरीर को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा मगर भाई जैता जी शीश को एक टोकरे में रखकर औरंगजेब के सिपाहियों को चकमा देकर कीरतपुर साहिब के लिए निकल पड़े। देर शाम बागपत पहुंचे और रात्रि विश्राम वहीं पर किया गया जिसके पुख्ता सबूत भी मिलते हैं मगर ना जाने क्यों इतिहासकारों के द्वारा इस स्थान का जिक्र ना करते हुए बड़ खालसा के रास्ते जाने का हवाला दिया जाता रहा है।

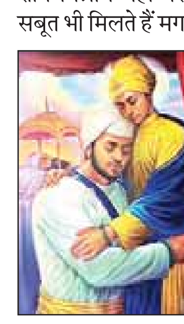

पिछले 5 वर्षों से सिख बुद्धिजीवी चरनजीत सिंह, आर एस आहुजा, चरन सिंह और उनकी टीम के द्वारा इस स्थान की पहचान कर दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से पैदल यात्रा बागपत लेकर जाई जाती है और शाम को शहीदी दिवस को समर्पित होकर दीवान सजाए जाते हैं। हालांकि पूरे गांव में केवल एक सिख परिवार है परन्तु गैर सिख परिवारों के द्वारा पूर्ण श्रद्धाभावना के साथ गुरुद्वारा साहिब में सेवा निभाई जाती है और शहीदी पर्व को भी बढ़चढ़ कर मनाया जाता है। स. चरनजीत सिंह की माने तो इस ऐतिहासिक स्थान पर गुरुद्वारा साहिब बनाने के प्रयास दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से किए जायेंगे और अगले साल गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस तक इस कार्य को करने की कोशिश की जाएगी।

बंगलादेश में नोबल शांति पुरस्कार की सार्थकता: एक प्रश्न चिह्न

डॉ. गुंजन अग्रवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर,
लक्ष्मीबाई महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर नोबल शांति पुरस्कार (2014) विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जब गरीबों के बैंकर, "ग्लोबल माइक्रोक्रेडिट आंदोलन के जनक" और नोबल शांति पुरस्कार (2006) विजेता मोहम्मद यूनुस से मार्मिक अपील करते हैं कि बंगलादेश में अल्पसंख्यकों के प्रति हो रही हिंसा को बंद करवाएं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बंगलादेश की वर्तमान स्थिति स्वत: ही बहुत गंभीर परिलक्षित हो जाती है। आम जनता हमेशा ही अनभिज्ञ रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हित साधने के लिए कितने ही खेल रचे और खेले जाते हैं और जनता मूक (मूर्ख) रह कर सारी त्रासदियां झेलती रहती है। भारत में अगर अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई आवाज़ भी उठती तो कितने ही पुरस्कार अब तक लौटाए जा चुके होते। लेकिन बंगलादेश एक उदाहरण बन गया है कि शांतिप्रिय छवि का चोला ओढ़े नोबल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते अपने ही देश में "गरीबों का खून चूसने वाले" की उपाधि से नवाजे जा चुके हैं। जो व्यक्ति अपने ही देश के क़ानून दरकिनार करके 60 वर्ष की कानूनी सेवानिवृत्ति की आयु को पार करके भी 73 वर्ष की आयु में पद का मोह बनाए रखता है और जिस पर दूरसंचार की कंपनी में कार्यरत अपने ही लोगों के कल्याण कोष से 2 मिलियन डॉलर धन गबन का मुकदमा चल रहा है वो नोबल शांति पुरस्कार का हकदार कैसे बना होगा, स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है।

किसी देश में चल रहे गृह युद्ध अक्सर छिपे हुए अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ही होते हैं। बंगलादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होना और अल्पसंख्यकों के प्रति क्रूर हिंसा में, तीस्ता परियोजना लक्ष्य को साधते हुए भारत को सब ओर से घेरने की योजना साफ प्रतीत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की भूमिका दशकों पहले तैयार की जाती है और शायद उसी तैयारी स्वरूप 2006 में मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्तित्व को नोबल शांति पुरस्कार योग्य समझा गया।

थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं। एशियाई देशों में भारत और चीन के बीच समीकरण किसी से छिपे नहीं हैं तो दूसरी ओर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के विकास में भारत की सक्रिय भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। चीन हमेशा से ही प्रयासरत रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उसका दबदबा कायम हो सके। नेपाल और बंगलादेश जैसे विकासशील देश हमेशा से ही चीन के निशाने पर रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा नेपाल और बंगलादेश से मिलती है। अत: सामरिक महत्व होने के कारण भारत के अपने पड़ौसी देशों के साथ मधुर संबंध चीन के उद्देश्य में बाधा बनते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बंगलादेश से मिलने के कारण, दोनों ही देश अपनी सीमाओं के पास के क्षेत्रों में होने वाली विकास परियोजनाओं में एक दूसरे के पर्याय की भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्षों में भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार लगभग 15.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स रहा जो कि दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ी भागीदारी को स्पष्ट करता है। बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में बंगलादेश पूरी तरह से भारत पर निर्भर करता है तो दूसरी ओर बंगलादेश में चल रही कई विकास परियोजनाओं पर भारत ने बड़ा पूंजी निवेश किया है। यही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से भी बंगलादेश भारत पर निर्भर करता है। (आखिर बंगलादेश का अस्तित्व निर्माता भारत ही तो है। बंगलादेशी शांतिदूत इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए भारतीय शांति दूत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर मार्मिक अपील करनी पड़ी।) तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो कि हिमालय के पौहुनरी पर्वत से निकल कर सिक्किम और बंगाल के रास्ते होते हुए बंगलादेश पहुंच कर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दोनों ही देशों में इस नदी पर कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अधिकार क्षेत्र को लेकर तीस्ता परियोजना विवादों के घेरे में आ गई है। क्योंकि तीस्ता नदी पर बनने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल के पास चिकन नेक एरिया में आते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि चिकन नेक एरिया के नाम से जाना जाता है, भारत के लिए इसका विशेष सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व है। यह कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से जोड़ता है। यह कॉरिडोर कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा होने के कारण पूर्वी दक्षिण एशिया में केंद्रीय स्थानांतरण बिंदु भी है जो भूटान, नेपाल, बंगलादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर भारत को एक दूसरे से जोड़ता है। यह चिकन नेक एरिया दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। ऐसे अहम भौगोलिक क्षेत्र में चल रही तीस्ता परियोजना पर चीन की बुरी नज़र है। इस परियोजना में निवेश के माध्यम से अगर ये क्षेत्र चीन के नियंत्रण में आ गया तो नेपाल, बंगलादेश और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में चीन का दबदबा कायम हो जाएगा और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भी चीन की दबंगई बढ़ जाएगी। इसीलिए चीन बंगलादेश को इन प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए लुभावने ऑफर दे रहा है। अगर बंगलादेश इन ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी।

बंगलादेश में शेख हसीना सरकार के कायम रहते चीन के मंसूबे सफ़ल हो पाना संभव नहीं था। रणनीति बहुत पहले ही बना ली गई थी शायद इसीलिए मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्तित्व में निवेश किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर द्वारा प्रायोजित चेहरा बंगलादेश के सरकारी तंत्र में लाना जरूरी हो गया। परिणामस्वरूप भारत विरोधी पार्टी के समर्थक और राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं में लिप्त मोहमद यूनुस इस मिशन के लिए परफेक्ट सिद्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से अनजान तमाम अल्पसंख्यक हिन्दू बंगलादेश में शांतिदूत की सरकार में हिंसा का शिकार हो रहे हैं। एक तीर से कई निशाने साधते हुए, इस हिंसा के माध्यम से भारतीय जनमानस की भावनाओं को आहत करने के साथ ही भारत की विदेश नीति में भारत की स्थिति को कमज़ोर करने का कार्य किया जा रहा है और पूरा विश्व इस वीभत्स हिंसा को पूर्ण शांति भावना के साथ देख रहा है।

कश्मीर के हालातों पर और भारत के अंदरूनी मामलों पर तुरन्त बोलने वाली वैश्विक ताकतें बंगलादेश में उपजाए गए प्रचंड हालातों पर जिस तरह शांतिपूर्ण मौन धारण किए हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि बंगलादेश की स्थिति के मद्देनजर एक वैश्विक नोबल शांति पुरस्कार की घोषणा भी कर देनी चाहिए।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

गांवों में बढ़तीं कामकाजी महिलाएं

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपने हालिया शोध रिपोर्ट में बताया है कि 2017-18 से 2022-23 के बीच देश के सभी राज्यों में महिला श्रमबल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान ग्रामीण महिला श्रमबल भागीदारी दर 24.6 फीसदी से बढ़कर 41.5 प्रतिशत हो गयी, जो कि 69 फीसदी की वृद्धि है. दूसरी तरफ इस दौरान शहरी महिला श्रमबल दर 20.4 प्रतिशत से बढ़कर 25.4 फीसदी हो गयी, जो कि 25 फीसदी की ही वृद्धि है. इस बदलाव को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2004 से 2017 तक महिला श्रमबल भागीदारी दर में लगातार गिरावट आ रही थी. लेकिन महिला श्रमबल में आयी गिरावट पर जितनी चर्चा हुई, इसमें हुई वृद्धि पर उतनी बात नहीं हुई. रिपोर्ट ने इस आलोचना को खारिज कर दिया है कि महिला श्रमबल दर में यह वृद्धि अवैतनिक श्रम से संचालित है. इसके बजाय 2004-05 से 2022-23 तक घरेलू उद्यमों में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों या सहायकों के रूप में काम करने वाली महिलाओं को बाहर कर देने के बाद भी महिला श्रमबल दर में वृद्धि हुई है और 2017-18 के बाद, यानी महामारी से पहले भी महिला श्रमबल दर में वृद्धि हुई. यह वृद्धि पिछले दशक में सरकार की ओर से उठाये गये कई कदमों का परिणाम है. इनमें से कई कदम खासकर ग्रामीण महिलाओं को लक्षित कर उठाये गये. इनमें से मुद्रा ऋण, ड्रोन दीदी योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने जैसे कदम प्रमुख हैं. हालांकि श्रमबल में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के मामले में राज्यों और क्षेत्रों के बीच अंतर है. जैसे, बिहार और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में महिला श्रमबल दर में भारी वृद्धि हुई. पूर्वोत्तर के राज्यों में भी महिला श्रमबल में वृद्धि देखी गयी. हालांकि पंजाब और हरियाणा में महिला श्रमबल दर में अधिक वृद्धि नहीं हुई. शोध रिपोर्ट से यह तथ्य भी सामने आया है कि झारखंड और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में विवाहित महिलायें अविवाहित महिलाओं की तुलना में ज्यादा कामकाजी हैं. शोध रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि महिला श्रमबल में 30-40 साल की महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है. इससे अधिक उम्र की महिलायें काम करना बंद कर देती हैं, जबकि पुरुष की श्रमबल में हिस्सेदारी 30 से 50 वर्ष के बीच ऊंची बनी रहती है. कुल मिलाकर, यह शोध रिपोर्ट ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और उनमें महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बारे में बताती है.

ग्रामीण भारत में आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका उल्लेखनीय है. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की शोध रिपोर्ट बताती है कि 2017-18 से 2022-23 के बीच ग्रामीण भारत में महिला श्रमबल भागीदारी बढ़ी है.

भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश दौरा

आनंद कुमार
फेलो, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान, नयी दिल्ली
anandkmrai@gmail.com

वास्तविकता यह है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की यात्रा भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है. तमाम चुनौतियों के बावजूद, इस यात्रा की रचनात्मक भावना और संवाद पर ध्यान केंद्रित करने से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद जगती है. आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण इस महत्वपूर्ण समय में भारत-बांग्लादेश संबंधों को आगे ले जाने के लिए आवश्यक होगा.

भारत और बांग्लादेश के बीच तेजी से बिगड़ते संबंधों के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की हाल की ढाका यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास थी. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रिश्ते बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक उथल-पुथल और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बढ़ते तनाव के कारण हाल के दिनों में कमजोर हो गये हैं. विदेश सचिव की यह यात्रा, जो अगस्त में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निष्कासन के बाद पहली उच्च-स्तरीय बातचीत थी, साझा चिंताओं को संबोधित करने और आपसी संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी. विदेश सचिव का यह दौरा वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर भी बताया गया.

सच यह है कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट ने भारत के साथ उसके संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. शेख हसीना के इस्तीफे और भारत में उनके निर्वासन के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार स्थिरता बनाये रखने में लगातार संघर्ष कर रही है. अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के आरोपों ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया है. हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों पर, जिनमें ढाका स्थित भारतीय सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र भी शामिल है, हमलों की खबरों ने नयी दिल्ली में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की. प्रमुख हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी ने और अधिक अशांति फैलायी, जिससे बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए और ढाका में जवाबी प्रदर्शन हुए. विदेश सचिव विक्रम मिस्री की नौ नवंबर की यात्रा का उद्देश्य इन बढ़ते मुद्दों को सुलझाना था. उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीम उद्दीन, विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया. उन्होंने इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उन पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी मामले को निष्पक्षता से देखे जाने की अपील भी बांग्लादेश से की. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन बैठकों में विदेश सचिव ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया. बांग्लादेश ने अपने यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा की घटनाओं को स्वीकार किया और यह बताया कि विगत अगस्त से अक्तूबर के बीच अल्पसंख्यकों पर 88 हमले दर्ज किये गये, जिनमें से अधिकांश में हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया. बांग्लादेश ने इसकी भी पुष्टि की कि इन घटनाओं से जुड़े 88 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 70 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस हिंसा को व्यक्तिगत विवादों या राजनीतिक संबद्धताओं से उपजा बताते हुए इसके धार्मिक उद्देश्यों को कमतर करके आंकने की कोशिश की है.

विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चर्चा तत्काल चिंताओं से आगे बढ़कर सीमा प्रबंधन, व्यापार, संपर्क, जल और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही. दोनों पक्षों ने विश्वास बहाली के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया. मोहम्मद यूनुस ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को 'बहुत मजबूत' बताया और आपसी चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता दोहरायी, साथ ही भारत से 'बादलों को साफ करने' में मदद करने का आग्रह किया. विदेश सचिव मिस्री की यह यात्रा वस्तुतः वर्तमान भारत-बांग्लादेश संबंधों की जटिलताओं को रेखांकित करती है. यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से शेख हसीना के नेतृत्व का समर्थन किया है और उनके शासन को एक स्थिर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा है. हालांकि, उनके निष्कासन ने नयी दिल्ली के दृष्टिकोण में पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पैदा कर दी है. अपनी यात्रा के दौरान विक्रम मिस्री की संतुलित टिप्पणियों ने भारत की चिंताओं और बांग्लादेश की चुनौतियों, दोनों को स्वीकार करते हुए भारत के दृष्टिकोण में एक बदलाव का संकेत दिया. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा बांग्लादेश प्रशासन के साथ काम करने के लिए भारत उत्सुक है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके आपसी मतभेदों की वजह से वे संबंध न टूटें, जो सीमा के दोनों ओर के लाखों परिवारों को न सिर्फ सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं, बल्कि नयी दिल्ली और ढाका के लिए भी जो संबंध रणनीतिक रूप से वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं.

अपने दौरे के अंत में विक्रम मिस्री ने पत्रकारों से कहा कि भारत ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के साथ काम करने की इच्छा जतायी, साथ ही, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हाल ही में हुए हमलों को लेकर भारत की चिंता से अवगत कराया. दोनों पक्षों ने बिम्सटेक फ्रेमवर्क के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की बात पर सहमति जतायी. बांग्लादेश में सत्ता का रिक्त स्थान सामुदायिक तनावों को बढ़ाने वाला वातावरण तैयार कर रहा है, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है. अमेरिका ने भी मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हुए दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाये रखने के महत्व पर जोर दिया है. विदेश सचिव मिस्री की यात्रा ने द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए रचनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है. इसका मतलब यह है कि नयी दिल्ली को अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन की वापसी की वकालत जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ढाका की चिंताओं पर भी विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए. बांग्लादेश में सत्ता के हिंसक संक्रमण और भारत-विरोधी भावना के उदय से उत्पन्न चुनौतियों के लिए सूक्ष्म कूटनीति की आवश्यकता है. भारत की व्यापक क्षेत्रीय रणनीति में दक्षिण एशिया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को शामिल करना चाहिए, जहां नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में हालिया सरकार परिवर्तन ने नयी चुनौतियां पेश की हैं. बांग्लादेश के साथ एक करीबी, परामर्शपूर्ण साझेदारी को बढ़ावा देकर, भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकता है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

महिलाओं की तरह पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
Kshama.sharma@gmail.com

बेंगलुरु में एक इंजीनियर की आत्महत्या के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं. अपने देश में पुरुषों की आत्महत्या के मामले स्त्रियों की तुलना में छह प्रतिशत ज्यादा हैं.

हाल ही में बेंगलुरु में रहने वाले 34 वर्षीय इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उन्होंने 90 मिनट का वीडियो बनाया, आत्महत्या का लंबा नोट लिखा. इसमें अतुल ने बताया कि वह अपने बच्चे के लिए 40 हजार रुपये महीना देते हैं, मगर पत्नी हर महीने दो लाख मांग रही थी. पत्नी खुद भी एक बहुराष्ट्रीय निगम में काम करती है. समझौता करने के लिए अतुल से कथित तौर पर तीन करोड़ रुपये मांगे जा रहे थे. उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर में मामले की सुनवाई के लिए अनेक बार आना पड़ा. सोचिए कि निजी संस्थान में काम करने वाले किसी आदमी के लिए इतनी छुट्टियां लेना कितना मुश्किल है. ज्यादा छुट्टी लेने वालों की नौकरियां तक चली जाती हैं. फिर अपने यहां कोई भी मामला सालोंसाल चलता है.

पत्नी ने अतुल सुभाष पर दहेज की धारा 498 ए के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था. उनके परिवार वालों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करायी गयी थी. सुभाष का कहना था कि जिस बच्चे के लिए वह 40 हजार रुपये महीने दे रहे हैं, उसकी शक्ल तक उन्हें याद नहीं है. पत्नी बच्चे से कभी मिलने नहीं देती. सुभाष का विवाह 2019 में हुआ था. कुछ ही दिनों में पत्नी से अनबन रहने लगी. सच जो भी हो, मगर अब सुभाष इस दुनिया में नहीं हैं. उनकी मृत्यु के बाद सोशल मीडिया में अभियान चल रहा है- मैन टू और जस्टिस फॉर अतुल सुभाष. इसके बरक्स बहुत-सी स्त्रियां कह रही हैं कि उनकी पत्नी निकिता का पक्ष भी सुना जाना चाहिए. हालांकि कोई यों ही अपनी जान नहीं दे देता. अपने देश में पुरुषों की आत्महत्या के मामले महिलाओं के मुकाबले छह प्रतिशत ज्यादा हैं. इनमें से अधिकांश मामलों में परिवार की समस्याओं के कारण आत्महत्या की जाती है. यहां बताते चलें कि दहेज निरोधी अधिनियम को एक बार सर्वोच्च न्यायालय तक ने कानूनी आतंकवाद कहा था. इसके दुरुपयोग के मामले भी अपार हैं. इस कानून और अन्य महिला संबंधी कानूनों में लैंगिक भेदभाव का अगर आभास भी होता है, तो यह बहुत बड़ी बात है. ऐसा लगता है कि पुरुषों की कहीं कोई सुनवाई ही नहीं है. एक बार किसी महिला ने आरोप भर लगा दिया, तो पुरुष को अपराधी मान लिया जाता है. मीडिया का एक बड़ा वर्ग भी अरोपी को अपराधी साबित करने पर तुल जाता है. पुरुषों के तो नाम और फोटो भी बार-बार दिखाये जाते हैं, जबकि स्त्री का नाम लेना तक अपराध है. यदि पुरुष अदालती कार्रवाई के बाद बरी भी हो जाए, तो उसकी खोयी प्रतिष्ठा कभी वापस नहीं आती. समाज भी उसे शक की नजर से देखता है. कई बार नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ता है. समझौता हो भी, तो भारी-भरकम रकम चुकानी पड़ती है. इसके अलावा पत्नी यदि पति के घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, विवाहेतर संबंध हैं, अथवा जमीन-जायदाद का मामला है, तो भी महिला कानूनों का दुरुपयोग आम बात हो चली है. जिन कानूनों को महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, अगर उनका ही दुरुपयोग होने लगे, तो यह दुखद है. इससे कानूनों की धार कमजोर होती है. लोग उन पर अविश्वास करने लगते हैं. लेकिन महिलाओं को हाय बेचारी कहकर यह मान लिया जाता है कि औरतें कभी झूठे आरोप नहीं लगातीं, जबकि जांच एजेंसियों का कहना है कि बहुत से मामले झूठे होते हैं. इसीलिए पुरुषों के लिए काम करने वाले संगठन मानते हैं कि महिलाओं की तरह पुरुषों के लिए भी एक आयोग बनना चाहिए. महिलाओं के लिए कोई भी कानून बनाने से पहले पुरुषों के संगठनों से भी बातचीत की जानी चाहिए.

देश में जेंडर न्यूट्रल यानी लिंग निरपेक्ष कानून बनाए जाने चाहिए. पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाली दीपिका नारायण भारद्वाज ने फिल्म बनायी है- 'मार्टियर्स आफ मैरिज'. उन्हीं की दूसरी फिल्म का नाम है-'इंडियाज संस'. ये दोनों फिल्में पुरुषों की समस्याओं पर केंद्रित हैं. पुरुषों के लिए काम करने वाली बरखा त्रेहन का मानना है कि देश में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है. जबकि एक अध्ययन के अनुसार 51 प्रतिशत पुरुष परेशान हैं. उनके परिवार तक को आरोपी बना दिया जाता है. कई मामलों में तो दूर-दराज के रिश्तेदारों के नाम तक लिखवा दिये जाते हैं. 'मी टू' के वक्त भी ऐसे आरोपों की बाढ़ आ गयी थी. अंग्रेजी के एक मशहूर लेखक पर जब एक महिला ने आरोप लगाये, तो उन्होंने वे मेल सार्वजनिक कर दिये थे, जो उस महिला ने उन्हें भेजे थे. कायदे से देश के कानूनों को लैंगिक भेदभाव से मुक्त कर जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, ताकि जिसे भी सताया जा रहा है-स्त्री या पुरुष, उसे न्याय मिल सके, क्योंकि हर बार पूरी तरह न स्त्री सही होती है, न पुरुष. वैसे भी अपने देश में गरीब स्त्री-पुरुषों की पहुंच तो न्याय दिलाने वाली संस्थाओं तक होती ही नहीं है, क्योंकि न्याय पाने में बहुत वक्त लगता है और खर्च भी बहुत होता है. जांच एजेंसियों को न्यायालय और सरकार ने भी हिदायत दी है कि वे पूरी छान-बीन करने बाद ही कोई मामला दर्ज करें. लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है.

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

देश दुनिया

दुर्लभ खनिजों के अमेरिकी निर्यात पर रोक लगा रहा है चीन

चीन कुछ खनिजों और धातुओं को अमेरिका निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा रहा है. इनमें गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी आदि शामिल हैं, जिन्हें दोहरे इस्तेमाल वाला उत्पाद कहा जाता है. इनका उपयोग सेमीकंडक्टर उत्पादन के साथ-साथ बहुत सारे सैन्य और प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों में किया जा सकता है. चीन की इस घोषणा से पहले अमेरिका ने चीन को होने वाले निर्यात पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाये थे. चीन ने भी प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब दिया है. यह दोनों देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा का ताजा उदाहरण है. हालिया समय में प्रतिस्पर्धा का ज्यादातर फोकस व्यापार, सैन्य प्रौद्योगिकी के उत्पादन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर रहा है. अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों की विशेषज्ञ क्लेयर रीड कहती हैं कि चीन और अमेरिका दोनों की ही तरफ से कठोरता और रक्षात्मकता दिखाई जा रही है और यह इन देशों के लिए नयी बात नहीं है. रीड कहती हैं कि चीन में बड़े स्तर पर यह धारणा बन गयी है कि अमेरिका उनके देश के विकास में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है. वहीं, अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के तौर पर देखता है कि चीन को कुछ खास क्षेत्रों में प्रभुत्व हासिल करने से रोका जाए. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है. दूसरी तरफ, चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग के खिलाफ अमेरिका का अभियान भी लगातार जारी है. अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंधों की तीसरी सूची जारी की है. कार्यकाल खत्म होने से लगभग एक महीने पहले बाइडेन प्रशासन ने 140 कंपनियों पर निर्यात नियंत्रण के उपाय लागू किये हैं. चीन की प्रतिक्रिया केवल कुछ खनिजों और धातुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने तक सीमित नहीं है. चीन के चार मुख्य औद्योगिक संगठनों ने अपने सदस्यों से कहा है कि वे अमेरिकी चिपों की खरीदारी कम करें.

-आर्थर सुलीवान

बोधि वृक्ष

आंतरिक शांति और आनंद

साधक भगवान से कहते हैं, 'हे परम पुरुष, आप परम सत्ता हैं, आप शिव हैं.' यहां शिव का अर्थ है वह सर्वोच्च सत्ता, जो सब कुछ देख, सुन और समझ रही है. कोई भी गुप्त रूप से कुछ नहीं सोच सकता, और बिना उसके ज्ञान के कुछ भी नहीं किया जा सकता. यह सर्वोच्च सत्ता, जो सभी घटनाओं की मौन साक्षी है, वही शिव है. वह सर्वज्ञ है, जो हमेशा सभी के कल्याण के बारे में सोचता है. उसकी भूमिका केवल साक्षी की नहीं, कल्याण के अवतार की भी है. यदि उन्होंने परम कल्याणकारी पिता का कार्य न किया होता, तो सूक्ष्म जगत एक पल भी जीवित नहीं रहता. उनमें सभी गतियों का समापन होता है, और उनमें परोपकार की सर्वोच्च क्षमता निहित है. यही कारण है कि वे इस ब्रह्मांड में पूर्ण कल्याण के अवतार हैं. मनुष्य जो भी चाहता है या प्राप्त करता है, वह उस सत्ता की अभिव्यक्ति है, फिर भी वह मानव मन की समझ से परे है. ऐसे व्यक्ति के सामने केवल दंडवत प्रणाम करना चाहिए. जब मनुष्य अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करता है, तो वह ऐसा गहरा आनंद अनुभव करता है, जिसे सामान्य मानव मन माप नहीं सकता. जब तक मनुष्य का मन बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और भौतिकता की खोज में मानसिक प्रगति रुक जाती है, तब तक उसका हृदय बेचैन रहता है, कहता है, 'मुझे भूख लगी है.' यह अतृप्त भूख सांसारिक किसी भी वस्तु से शांत नहीं हो सकती. तो फिर उपाय क्या है? केवल सर्वोच्च शांत इकाई, जिसमें इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं आश्रय लेती हैं और अपनी वीरता से अपनी सभी अव्यक्त क्षमताओं को नियंत्रित करती हैं, मनुष्य की असीम भूख को संतुष्ट कर सकती है. वही मनुष्य को आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव करवा सकती है. इसी शांत अस्तित्व का नाम शिव है. परम पुरुष वह सर्वोच्च सत्ता है, जो तीनों लोकों का बीज है. ब्रह्मांड में कोई दूसरी सत्ता नहीं है, जिसे हम सब कुछ समर्पित कर सकें. स्थायी सुख के लिए परम पुरुष के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

घर है तो हम हैं

डॉ कविता विकास
लेखक
kavitavikas28@gmail.com

कुछ समय पहले एक क्विज शो की महिला विजेता का परिचय पढ़ा. उसको खेलते हुए भी देखा था. क्या आत्मविश्वास से जवाब दे रही थी. इस बीच क्विज मास्टर के साथ होने वाली चुहलबाजियों में भी एक सलीका इतना स्पष्ट दिख रहा था कि उस महिला की अमिट छाप मन में अंकित हो गयी है. परिचय में उसने बहुत गर्व से बताया कि वह एक गृहिणी है. 'आइ एम अ होम मेकर.' वर्षों पहले कुछ गृहिणियों के मन में नौकरीपेशा महिलाओं को देख एक कुंठा देखने को मिलती थी. उन्हें लगता था कि घरेलू स्त्रियों का अस्तित्व नौकरी करने वाली की अपेक्षा कमतर है. हालांकि ऐसी भावना कब समाज में घर कर गयी थी और कब निकल गयी पता भी नहीं चला. इसका सीधा संबंध शिक्षा से है.

शिक्षित महिलाएं जानती हैं कि परिवार के लिए उनका कमाना जरूरी है या नहीं. एक सुकून की जिंदगी, जहां बच्चों के लालन-पालन के साथ अपने शौक को समय देना और स्वास्थ्य सुरक्षित रखना किसी भी शिक्षित महिला के लिए अधिक महत्वपूर्ण है. वे दिखावे से दूर हैं. आठ घंटे बाहर रहकर और फिर घर के कामों को निबटाते समय चिड़चिड़ेपन से परे हैं. कहने का अर्थ यह नहीं है कि कामकाजी होना गलत है, बल्कि तात्पर्य यह है कि हर महिला अपने आप में परिपूर्ण है, चाहे वह कामकाजी हो या गृहिणी. दोनों के बीच कोई तुलना नहीं. अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार वे स्वतंत्र हैं कि किस तरह का जीवनयापन करें. अनेक नौकरीपेशा महिलाएं बच्चे के जन्म के बाद और घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए नौकरी छोड़ देती हैं. बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तब वे कोई व्यवसाय, स्टार्ट-अप, क्रेच, ट्यूशन, कोचिंग आदि शुरू कर न केवल दूसरों के काम आ रही होती हैं, बल्कि स्वयं को भी निखार रही होती हैं. ऐसी महिलाओं के लिए ही 'होम मेकर' शब्द गढ़ा गया है.

शिक्षित महिलाएं, घर की जिम्मेदारी निभायें या घर-बाहर दोनों की, उनके काम करने का ढंग सुव्यवस्था और सुगढ़ निर्माण में सहायक होता है. कम पढ़ी-लिखी महिलाएं भी इनसे सीख लेकर अपने को उच्च आदर्श से लैस कर स्वाभिमान से जी रही हैं. उनके पास अनमोल हुनर हैं, जिससे वे देश के भावी नागरिकों के उत्थान में महती भूमिका निभा रही हैं. देश में महिलाओं की स्थिति में आये इस परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता. शिक्षा का हथियार ऐसा ही है, जो अपने परिवेश को प्रभावित कर देता है. घरवाली से होम मेकर तक की यात्रा एक इतिहास को छुपाए हुए है. इसलिए अपनी रुचि, जरूरत और योग्यता के अनुसार वह रास्ता चुनें, जिसमें स्वयं के लिए भी समय हो और परिवार के लिए भी. आखिर घर है तो हम हैं.

आपके पत्र

कीटनाशक का प्रयोग खतरनाक

भारत कृषि प्रधान देश है. लेकिन, यहां खेती में कीटनाशक, यूरिया व रसायन का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है. इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है. साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. कीटनाशक और रसायन के प्रयोग से उपज अधिक होने के साथ किसानों को अधिक मुनाफा भी होता है. लेकिन, अनाज, फलों और सब्जियों में कीटनाशक और यूरिया के प्रयोग से लोग हाइपर टेंशन, डायबिटीज, कैंसर, पेट की बीमारी और हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं. किसानों को जैविक व परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

मधु कुमार, पटना

खेती-किसानी पर पड़ी मौसम की मार

मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं. लगभग आधा दिसंबर बीतने को है, लेकिन अब तक ठंड का मौसम अच्छी तरह से नहीं आया है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है. इसका असर खेती-किसानी पर पड़ रहा है. हरी सब्जियों का उत्पादन घट गया है. इससे सब्जियों की कीमत कम नहीं हो रही है. यदि ठंड नहीं पड़ी,तो तेलहन व दलहन की खेती चौपट हो जायेगी और आनेवाले दिनों में और महंगाई बढ़ेगी.

आलोक कुमार, नवादा

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

दुरुपयोग के विरुद्ध

सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की आलोचना करने के साथ ही, इसमें सुधार का सुझाव दिया है। न्यायालय पहले भी अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी कानून- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। जाहिर है, न्यायिक स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगा है। दहेज की शिकायत करके पूरे परिवार को दबाव में लाने की गलत प्रथा गांव-गांव तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कानून को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेशक, इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही जांच की जरूरत होती है, पर शायद यह काम पुलिस ढंग से नहीं कर रही है। दहेज के हजारों मामलों में पुलिस वास्तव में सच्चाई का नहीं, बल्कि आरोपों का पीछा करती है और नए-नए मुकदमे बनते चले जाते हैं। अदालत ने भी अफसोस जताया है कि शिकायतों में अक्सर अतिरंजित और निराधार आरोप शामिल होते हैं। दूर के रिश्तेदारों को भी घसीट लिया जाता है।

अदालत ने बिल्कुल सही कहा है कि वास्तविक दोषियों के खिलाफ ही कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जाहिर है, इसके लिए पुलिस को मुकदमा लिखते या बनाते समय ही सावधानी बरतनी होगी। यह भी शोध का विषय है कि दहेज के झूठे मामलों से निपटने में पुलिस की सफलता का अनुपात क्या है? दहेज के लेन-देन को रोकना जरूरी है और इसी काम के लिए कानून को बहुत कड़ा बनाया गया है और महिलाओं को शिकायत व सुनवाई के लिए पूरी शक्ति प्रदान की गई है। ज्यादातर मामलों में यह कानून महिलाओं की मुक्ति और न्याय सुनिश्चित करता है, पर बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जहां इसके दुरुपयोग की वजह से पूरे परिवार की जिंदगी खराब हो गई।

दहेज विरोधी कानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि वे इस कानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें।

यहां सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करनी चाहिए। दुरुपयोग की आलोचना के बावजूद न्यायालय ने यह भी कहा है कि 'हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए या जरूरत पड़ने पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बचना चाहिए।' महिलाओं को समझना होगा कि यह कानून पति और उसके परिवार से बदला लेने के लिए नहीं बनाया गया है। कानून महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए बनाया गया है, इसलिए नहीं कि महिलाएं इस अच्छे कानून के दम पर अन्याय का कारोबार शुरू कर दें। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत में दहेज प्रताड़ना के 80 प्रतिशत मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं।

अदालतों ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस मामले में ताजा व्यवस्था दी है, उसमें भी अलग-अलग शहरों में रहने वाले रिश्तेदारों व विवाहित बहनों को आरोपी बना दिया गया था। पुलिस कई बार कहती है कि वह तो कानूनन कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, जबकि न्यायप्रियता और मानवीयता का प्राथमिक परिचय पुलिस को ही देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है कि कानून के दुरुपयोग को शुरुआत में ही रोकना होगा। साथ ही, अब समय आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में जरूरी संशोधन किए जाएं, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

'अतुल' की आत्महत्या से उपजे सवाल

कमलेश जैन | वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

यहां स्कैन करें

देश के एक युवा अतुल सुभाष की आत्महत्या ने झकझोर कर रख दिया है। अब न्याय ऐसे होना चाहिए कि समाज के सामने नजीर बन जाए और किसी को ऐसे हताश न होना पड़े।

बेंगलुरु में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट और एक घंटे 21 मिनट का इकबालिया वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। अतुल पर उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा रखा था। आरोप लगाने वाली ने अपने पति के साथ ही, अपने ससुर, सास और देवर को भी मुकदमे में घसीट रखा था। साल भर में अतुल को 23 छुट्टियां मिलती हैं, जबकि उसे मुकदमे के सिलसिले में 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा। और तो और, दुनिया से जाते-जाते अतुल एक जज पर भी गंभीर आरोप लगा गए हैं। क्या जज ने मामला सुलझाने के लिए पांच लाख रुपयों की मांग रखी थी?

अतुल के सुसाइड नोट से पता चलता है कि वह भीतर से कितना टूट गए थे। उनके आरोपों ने न्याय तंत्र की असंवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। क्या अदालत में ही अतुल को यह सलाह भी दे दी गई कि वह आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? और, इस पर महिला जज के मुस्कराने की शिकायत तो और भी गंभीर है। ऐसा दुखद दृश्य बन गया, मानो दो महिलाएं दहेज प्रताड़ना रोकने के लिए बने कानून का दुरुपयोग करते हुए भी हंस रही हैं? अगर ऐसा कोर्ट रूम में हुआ है, तो क्या यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा नहीं है? क्यों न यह माना जाए कि सबके निर्मम व्यवहार ने अतुल को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया? यह न्याय है या कानून का लाभ उठाकर रंगदारी वसूली?

मैं 24 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय में आई थी। दहेज प्रताड़ना के अनेक मामले मैंने देखे। निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक पुरुषों को बहुत बुरी स्थिति से गुजरते हुए देखा। कानून के आधार पर केवल एक पंक्ति के आरोप से कई लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। आरोपियों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि हर लिहाज से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दहेज के मामले में फंसे पुरुषों को जब हम देखते, तो बड़ी चिंता होती। मन में सवाल पैदा होता कि क्या अदालतें पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से नहीं देखती हैं?

मुआवजे के समय भी यही बात होती है। कहा जाता है, लड़की है, उसे मुआवजा देना ही पड़ेगा। जहां पत्नी हर लिहाज से पति के समान सक्षम होती है, वहां भी यह कह दिया जाता है कि गुजारा खर्च तो देना पड़ेगा। ऐसी ही ज्यादती मैंने उच्च न्यायालय में साल 2003 में देखी थी। अंदर जज और बाहर एक पुलिसवाला लड़के को समझा रहे थे कि पैसे दे दो, वरना जेल जाना पड़ेगा।

यह देखने के बाद मैंने तिहाड़ जेल का भ्रमण किया, तो पाया कि वहां दहेज प्रताड़ना के मामले में 70 साल से लेकर 18 वर्ष तक की महिलाएं बंद थीं। ये महिलाएं केवल इसलिए बंद थीं, क्योंकि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में उनका नाम लिखवाया गया था। मतलब, यह कानून महिलाओं की भी प्रताड़ना का कारण बन रहा है। दहेज के अनेक मामलों में सीधे जेल जाना पड़ता है और जमानत भी नहीं मिलती। इस पर मैंने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और सुझाव दिया कि जैसे धारा 302 में अलग-अलग शाखाएं हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर रूप से चोट पहुंचाना, सामान्य चोट पहुंचाने के लिए अलग-अलग जांच, जमानत और सजा के प्रावधान हैं। अनेक कानून, जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून, गुजारा मुआवजा संबंधी कानून, दहेज प्रताड़ना संबंधी कानून के तहत मामले अलग-अलग क्यों दायर होते हैं? आरोपी की नौकरी की जगह से दूर क्यों दायर होते हैं? घरेलू हिंसा कानून में प्रावधान है कि आप एक ही कोर्ट से सारी समस्याओं का निदान मांग सकते हैं। दूसरी बात, यह एक दीवानी कानून है, जेल भेजने का कानून नहीं है।

तब न्यायमूर्ति लाहोटी ने मेरे तर्क को मानते हुए कहा था, कानून नहीं बदल सकते, अनुशंसा कर सकते हैं। विधि आयोग और कुछ सांसदों को अपनी याचिका व मेरा आदेश भेजिए। मैंने ऐसा ही किया। कानून क्रमशः ढीला पड़ा और गिरफ्तारी घटती चली गई।

दुख है, निचली अदालतों के वकील, कभी-कभी जज, मध्यस्थ अपनी पुरानी सोच से अब भी उबर नहीं पाए हैं। ये अभी भी यही सोचते हैं कि सारी महिलाएं निरीह, लाचार होती हैं और पुरुष राक्षस होते हैं। आज की लड़कियां किसी लिहाज से लड़कों से कम बुद्धिमान नहीं हैं। बराबरी के लाभ उठा रही हैं, नौकरी कर रही हैं। जहां उनकी मनमानी नहीं चलती, वहां अक्सर कानूनों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अनेक बेटियों को उकसाया जाता है कि लाखों-करोड़ों का दावा करो, जिंदगी आराम से कट जाएगी। आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपनी बेटियों को ससुराल में मिल-जुलकर रहने नहीं दे रहे। जो रिश्तों को निभाने के लिए जरा भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं।

ऐसे में, ध्यान रखने की बात है कि न्याय जरूरी है, ताकि उस पर समाज मजबूती से टिका रहे। न्याय के मामले में किसी भी व्यक्ति को पुरुषों और महिलाओं का अलग-अलग वर्गीकरण करके नहीं चलना चाहिए। अपराधी पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। न्याय के मंदिर में सीधे कानून को काम करना चाहिए, पुरानी धारणाओं को छोड़ देने में भलाई है।

अनेक उदाहरण हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में अच्छे फैसले दिए हैं, पर ऐसा लगता है कि उसका संदेश तमाम निचली अदालतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। निचली अदालतों में ऐसे मामलों को पूरी संवेदना के साथ सुना जाए और जल्दी न्याय की कोशिश की जाए, ताकि अतुल सुभाष की तरह कोई हताशा में अपना जीवन न हार जाए।

न्याय के इंतजार में किसी भी पुरुष या महिला को हताश नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका से उम्मीद रखनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि न्यायिक और सर्वविदित अनुभव है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवाद में अक्सर पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति बन गई है। ठोस साक्ष्यों या पुख्ता आरोपों के बगैर सामान्य या व्यापक आरोप आपराधिक मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकते। ध्यान रहे, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में पूरे परिवार के खिलाफ दायर दहेज प्रताड़ना मामले को 498ए के अंतर्गत चलाने की मंजूरी नहीं दी है।

अतुल सुभाष के मामले में त्वरित न्याय होना चाहिए, ताकि यह मामला समाज के सामने नजीर बन जाए और किसी को भी ऐसे हताश न होना पड़े।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

खेती पर लगातार मंडरा रहा बदलते मौसम का खतरा

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

यहां स्कैन करें

अक्तूबर और नवंबर के बाद दिसंबर का दूसरा हफ्ता भी बिना बारिश के बीत रहा है। खेती, जंगलों और वन्यजीवों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी की फसलें अक्तूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। इन फसलों को अच्छी पैदावार के लिए बढ़ने और पकने के समय सर्द मौसम की जरूरत होती है। बारिश न होना रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए बुरा है। असल में सर्दियों की बारिश केवल पानी की जरूरत पूरा नहीं करती, बल्कि खेतों के लिए खाद का काम भी करती है। इससे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व कुदरती रूप से मिलते हैं। इसकी पूर्ति सिंचाई करने से नहीं की जा सकती है। उधर, अक्तूबर-नवंबर के गर्म रहने से आलू का अंकुरण कम हुआ है। कई जगह बोए गए आलू के बीज गर्मी से गल गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने की मिठास नवंबर की गर्मी ने सोख ली है, तो एक महीने की देरी से गुड़ बनना शुरू हुआ है। कुल मिलाकर, देश के हरेक हिस्से की खेती-किसानी पर बदलते मौसम ने असर डाल रखा है।

कई जगह बोए हुए आलू के बीज गर्मी से गल गए। कहीं गन्ने की मिठास गर्मी ने सोख ली, तो एक महीने देरी से गुड़ बनना शुरू हुआ है।

ऐसा लगता है कि रबी की फसल बिगड़ने का असर सारे देश की आर्थिकी और भोजन व्यवस्था पर पड़ना तय है। धरती के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और उसके गर्भ से उपजे जलवायु परिवर्तन का भीषण खतरा अब दुनिया के साथ-साथ भारत को गहरे प्रभावित कर रहा है। यह केवल असामयिक मौसम बदलाव या ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं रहने वाला, यह इंसान के भोजन, जलाशयों में पानी की शुद्धता, खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता, प्रजनन क्षमता से लेकर जीवन के उन सभी पहलुओं पर विषम प्रभाव डालने लगा है, जिसके चलते प्रकृति का अस्तित्व और मानव का जीवन सांसत में है।

कृषि मंत्रालय के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक शोध सरकारी फाइलों में तीन साल से बंद है, जिसके मुताबिक, 2030 तक हमारी धरती के तापमान में 0.5 से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि अवश्यंभावी है। तापमान में एक डिग्री की बढ़त का अर्थ है कि फसल में 360 किलो प्रति हेक्टेयर की कमी आ जाना। जलवायु परिवर्तन के चलते देश में खेती के लिहाज से 310 जिलों को संवेदनशील माना गया है। इनमें से 109 जिले बेहद संवेदनशील हैं, जहां आने वाले एक दशक में ही उपज घटने, पशु धन से लेकर मुर्गी पालन व मछली उत्पाद तक में कमी आने की आशंका है। तापमान बढ़ने से बरसात के चक्र में बदलाव, बेमौसम व असामान्य बारिश, तीखी गर्मी, लू, बाढ़ व सूखे की सीधी मार किसान पर पड़नी तय है। नाबार्ड के हाल के आंकड़े बताते हैं कि खेती पर निर्भर जीवकोपार्जन करने वालों की संख्या के साथ उनकी आय का दायरा भी सिमटता जा रहा है।

तापमान बढ़ने से जल-निधियों पर मंडरा रहे खतरे को हमारा समाज गत दो दशकों से झेल ही रहा है। *प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज* नामक जर्नल में छपे एक शोधपत्र के अनुसार, भारत को कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए यदि पोषण के स्तर को कायम रखना है, तो रागी, बाजरा और जई जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डाटा साइंस इंस्टीट्यूट ने यह अध्ययन किया है। इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर कैले डेविस ने भारत में जलवायु परिवर्तन के कृषि पर प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। उनके अनुसार, भारत में तापमान वृद्धि के कारण कृषि में उत्पादकता घट रही है और साथ ही, पोषक तत्व भी कम होते जा रहे हैं। भारत को यदि तापमान वृद्धि के बाद भी भविष्य के लिए पानी बचाना है और साथ ही, पोषण स्तर भी बढ़ाना है, तो गेहूं और चावल पर निर्भरता कम करनी होगी। इन दोनों फसलों को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और इनसे पूरा पोषण भी नहीं मिलता।

डॉक्टर कैले डेविस के अनुसार, चावल और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता इसलिए भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत उन देशों में शुमार है, जहां तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है और ऐसी स्थिति में उत्पादकता और पोषक तत्व, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः हमें बढ़ते खतरों से बचने के लिए ज्यादा सजग रहना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

व्यक्तित्व का विसर्जन

अध्यात्म में हमेशा समर्पण की बात की जाती है, लेकिन समर्पण शब्द सुनते ही एक तार्किक, शिक्षित मन तुरंत अपने चारों ओर दीवारें खड़ी करने लगता है। अध्यात्म में जब समर्पण शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ है, आप उसे समर्पित करते हैं, जो मिथ्या है। अभी तक आप जिस ढंग से जीते रहे हैं, वह सिर्फ मिथ्या है। जिसे आप 'मैं' कहते हैं, वह सिर्फ उन पहचानों का संग्रह है, जिसे आपने अपने जीवन में जमा किया है। यदि आप ईमानदारी से अपने मूल 'मैं' को देखें, तो आपके पास समर्पण के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। आपका मूल मैं हमेशा से है और रहेगा। यदि आप इस तथ्य को अनुभव करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि आपका आध्यात्मिक कार्य पूरा हो चुका। आप पहले ही समर्पण कर चुके हैं।

जो झूठी दीवारें आपने खड़ी की हैं, जब आप उन्हें नष्ट करते हैं, तो हर चीज एक हो जाती है। जब आप परम मुक्ति की तलाश में हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने समस्त मिथ्या को समर्पित करें। जब आप अपने समस्त मिथ्या को समर्पित कर देते हैं, तो सत्य घटित होता है। सत्य अभी आपके अनुभव में नहीं है। अपनी बहुरंगी अवधारणाओं से आपने खुद की एक दुनिया बना ली है। यह वास्तविक दुनिया नहीं है। यह सत्य नहीं है। अस्तित्व के साथ आदान-प्रदान और संपर्क के बिना आप यहां एक क्षण भी नहीं रह सकते। लेकिन आप यह विश्वास करते हैं कि आप खुद में पूर्ण हैं। आप जीवन में ऐसे पेश आते हैं, जैसे खुद के सीमित ज्ञान के अलावा आपका किसी चीज से कोई सरोकार ही नहीं है।

आध्यात्मिक प्रक्रिया इन झूठी सीमाओं को तोड़ने के संबंध में है। इस कार्य का किसी विशिष्ट प्रक्रिया या व्यक्ति के साथ किसी खास ढंग से होना जरूरी नहीं है। जो सत्य को जानने के लिए तैयार हैं, उन्हें हमेशा सहायता मिलती है। आध्यात्मिक गुरु ऐसा वातावरण तैयार करते हैं, जहां व्यक्ति के लिए अपने बंधनों से मुक्त होना अधिक आसान हो जाता है। जिन पहचानों को आपने जीवन भर ढोया है, उनको छोड़ना शून्य में छलांग लगाने जैसा है, यह डराने वाला भी है। जब आप एक ऐसी उपस्थिति महसूस करते हैं, जो आपसे बड़ी है, तो स्वयं को किनारे करना आसान हो जाता है।

जो व्यक्ति मुक्ति की तलाश में है, उसके लिए सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, अपनी समस्त दीवारों को नष्ट कर देना, जिसका अर्थ है, अपने व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना।

जब तक आप स्वयं को एक किनारे करने के योग्य नहीं हो जाते, सत्य को पाने की कोई संभावना नहीं है। जब आप अपनी सीमित पहचान को छोड़ देते हैं, तो आपके लिए स्वयं को शेष अस्तित्व से अलग करने की जरूरत नहीं रह जाती। जो व्यक्ति मुक्ति की तलाश में है, उसके लिए सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, अपनी समस्त दीवारों को नष्ट कर देना, जिसका अर्थ है, अपने व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना। यही समर्पण है, यही परम मुक्ति है, यही आजादी है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

हमारे छात्र विकसित भारत के अगुवा हैं। भारतीय नौजवानों की प्रतिभा, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, नेतृत्व और इनोवेशन 21वीं सदी में ज्ञान की अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के उभरने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 12 दिसंबर, 1949

गणतंत्र की तैयारियां

आज से ठीक डेढ़ मास पश्चात देश को 'स्वतन्त्र जनतंत्र' घोषित करने का जो महापर्व मनाया जाने वाला है, उसकी तैयारियां राजधानी में अभी से आरम्भ हो गई हैं। केन्द्रीय धारा-भवन के मस्तक पर पूरे २३ वर्ष से लगभग ६ मन का एक कांसे का ब्रिटिश राजमुकुट अशुभ गिद्ध की भांति बैठा हुआ था। हमारी दासता का यह कलुषित प्रतीक ५ दिसम्बर को उतार लिया गया और २६ जनवरी को उसके स्थान पर उस भव्य अशोक स्तम्भ की स्थापना होगी, जो देश की स्वतन्त्रता और पुनीत संस्कृति का परिचायक है।

हमारे देश के नेता इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि भव्य समारोहों से ही जनता के असंख्य कष्टों के निवारण की पूर्ति नहीं हो सकती। आज देश के समक्ष एक विकराल आर्थिक संकट पिशाच-जैसा मुंह बाये खड़ा है और उसके हनन के लिए चतुर्दिक प्रयत्न भी हो रहे हैं। किंतु यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है, जब देश के कर्णधारों के साथ उच्च पदाधिकारियों और सर्वसाधारण का भी पूर्ण सहयोग हो। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ७ दिसम्बर की रात्रि को दिल्ली रेडियो स्टेशन से एक राष्ट्रव्यापी संदेश प्रसारित करते हुए सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वे देश के समक्ष केवल योग्यतापूर्ण सेवाओं का ही नहीं, अपितु उच्च साधुता का भी आदर्श उपस्थित करें और अपने को साम्प्रदायिक, प्रांतीय तथा अन्य प्रकार के पक्षपातों से पूर्णतः मुक्त रखें। नेहरूजी ने कहा कि आज देश में अनेकानेक विनाशकारी शक्तियां सिर उठा रही हैं; संकीर्ण साम्प्रदायिकता, अवसरवादिता व चोरबाजारी के रूप में एक भीषण दूषण राष्ट्र के कोने-कोने में व्याप्त हो रहा है और कुछ सीमा तक उसने हमारे वाणिज्य और व्यवसाय को विषाक्त भी कर दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो कार्य आरम्भ किया था वह अभी अधूरा ही है और उसे पूर्ण करने के लिए हमें अथक परिश्रम करना है।

यही बात नेहरूजी पिछले दो दिनों से फर्रूखाबाद में दुहरा रहे हैं। ९ दिसम्बर को फर्रूखाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर होते देखना चाहते हैं, तो राष्ट्र के बच्चे-बच्चे को कठोर परिश्रम करना होगा।

अनुलोम-विलोम

शहीद भगत सिंह

पाकिस्तान की मूर्खता पर प्रलाप क्यों

साल 2018 में लाहौर की जिला अदालत ने अपने एक हुक्मनामे में पाकिस्तान की पंजाब हुकूमत से कहा था कि वह शादमान चौक का नाम भगत सिंह पर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। इस पर विरोधी पक्ष लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया और अब पंजाब सरकार ने अपनी आखिरी दलील में यह कहा है कि वह ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि 'भगत सिंह कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक अपराधी थे और आज की परिभाषा में वह एक आतंकवादी थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी का कत्ल किया था और इस जुर्म के लिए उन्हें और उसके साथियों को फांसी की सजा दी गई थी।'

पंजाब हुकूमत की इस दलील पर भारत में काफी नाराजगी जताई जा रही है, जो स्वाभाविक भी है। भगत सिंह हमारे महानायक थे, हैं और रहेंगे। इसलिए पाकिस्तानी करतूत पर प्रलाप करने की भी कोई जरूरत नहीं। अब जो मुल्क अपने नोबेल विज्ञानी का सम्मान नहीं करता, अपने राष्ट्र-नायकों को सलाखों के पीछे धकेलने में वक्त नहीं लगाता, अपने ही बलोचिस्तानी व कश्मीरी नागरिकों के साथ गुलामों सा सुलूक करता है; जिसकी बुनियाद में ही नफरत और हसद है, उससे यह उम्मीद करना कि वह भगत सिंह के जज्बे को सलाम करेगा, मासूमियत ही है। पाकिस्तान एक एहसान-फरामोश कौम है। जिस अमेरिका की खैरात और टुकड़ों पर वह वर्षों पलता रहा, उसी के सबसे बड़े गुनहगार को उसने वर्षों तक अपने एबटाबाद में पनाह दे रखी थी। यह मुल्क आज ही नहीं, आजादी के बाद से ही अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। यह गलत इतिहास पढ़ाकर अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहा है, इसलिए भगत सिंह को उसके प्रमाणपत्र की जरूरत ही नहीं है।

भगत सिंह के प्रति यदि सच्ची श्रद्धा दिखानी है, तो उनके संघर्ष और सोच को हिन्दुस्तान के कोने-कोने में फैलाइए। मगर क्या यहां ऐसा होगा? उनकी सोच सांप्रदायिकता के खिलाफ थी। वह एक ऐसा हिन्दुस्तान चाहते थे, जिसमें मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां किसी गरीब को भूखे पेट न सोना पड़े, समाज में आर्थिक विषमता की खाई गहरी न हो। मगर भगत सिंह की प्रासंगिकता को यहां उभारने के बजाय पाकिस्तान से उन्हें सम्मान देने की अपेक्षा की जा रही है। यह केवल और केवल अपनी ऊर्जा का अपव्यय है। भगत सिंह को तो भीख में जान की माफी भी नहीं चाहिए थी, तो उनके सम्मान के लिए रिरियाने का कोई अर्थ नहीं।

यशोवर्द्धन सिंह चौहान, टिप्पणीकार

यह सरासर हमारे शहीदों का अपमान

शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे महानायक हैं, जिनका योगदान भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत हर उस देश और समाज के लिए उनका योगदान प्रेरणादायी होना चाहिए, जो अपनी सच्ची स्वतंत्रता के सपने संजोता है। उनके विचार, उनका बलिदान, और न्याय के प्रति उनकी दृढ़ता विश्व भर के लोगों को प्रेरित करती है। ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति पाकिस्तान का दुर्भावनापूर्ण रवैया न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह उसकी असंवेदनशीलता और ऐतिहासिक तथ्यों से अनभिज्ञता को भी दर्शाता है।

पाकिस्तान द्वारा भगत सिंह को अपराधी मानना और उनके बलिदान को अपमानित करना यह दिखाता है कि उसकी सोच कितनी सांप्रदायिक और पक्षपातपूर्ण है। यह केवल एक महान शहीद की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उस इतिहास के साथ भी खिलवाड़ है, जो भारत और पाकिस्तान, दोनों के साझा संघर्ष का हिस्सा रहा है। भगत सिंह ने जो बलिदान दिया, वह केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि वह उन अधिकारों और न्याय के लिए था, जिनको मानव समाज का आधार होना चाहिए।

इस्लामाबाद का रवैया सवाल खड़े करता है कि क्या पाकिस्तान अपने उन मूल्यों को भी भूल चुका है, जो कायदे-आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें सौंपे थे। जिन्ना ने संकीर्ण सोच वाले पाकिस्तान के सपने नहीं देखे थे। ऐसे में, पाकिस्तान की ताजा हरकत यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत के प्रति नफरत बनाए रखने का एक राजनीतिक प्रयास है या फिर अपनी ऐतिहासिक कमजोरियों को छिपाने का रास्ता? भारत को यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। भगत सिंह के प्रति ऐसा रवैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ही नहीं, बल्कि उन आदर्शों का भी अपमान है, जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी।

पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर कभी सुनहरे भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व किसी भूगोल की सीमा में नहीं बंधते; वह एक विचारधारा हैं। उनका तिरस्कार एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन उच्च आदर्शों का अपमान है, जो मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। शहीदों के सम्मान की रक्षा हरेक समाज और देश की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनके प्रति सम्मान जताना केवल इतिहास का आदर करना नहीं है, बल्कि यह एक सभ्य और जागरूक समाज की पहचान भी है।

अवनीश कुमार गुप्ता, टिप्पणीकार

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 दिसंबर, 2024

दैनिक जागरण

संवेदनाओं से मुक्त ज्ञान अहंकार के लिए द्वार खोल देता है

कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल

राज कुमार सिंह

यदि राहुल और प्रियंका अलग-अलग सत्ता केंद्र बने तो कमजोर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी, जो पहले से ही सहयोगियों के निशाने पर है

प्रियंका गांधी वाड्रा की भी संसदीय पारी का आगाज हो गया, पर इसी दौरान कांग्रेस की नियति को लेकर नए सिरे से सवाल उठ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी दशकों नारा लगाते रहे: अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका, मगर वह केरल की वायनाड सीट से संसद पहुंचीं। वायनाड में उपचुनाव की नौबत इसलिए आई कि इस बार रायबरेली और वायनाड, दो सीटों से जीते राहुल ने पारिवारिक सीट रायबरेली रखने का फैसला किया। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने से पहले सोनिया गांधी रायबरेली से ही लोकसभा चुनाव जीतती रहीं। उनसे पहले पति राजीव गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी रायबरेली से लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। सोनिया गांधी द्वारा इस बार संसद जाने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुने जाने के बाद अटकलें थीं कि राहुल वायनाड और अपनी पुरानी सीट अमेठी से लड़ेंगे, जबकि प्रियंका रायबरेली से अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत करेंगी, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। परिवार और पार्टी के निष्ठावान किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से स्मृति इरानी के विरुद्ध चुनाव में उतारा, जबकि राहुल के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित रायबरेली को चुना। कांग्रेस का दांव सफल भी रहा। रायबरेली से राहुल तो जीत ही गए, किशोरी लाल ने भी अमेठी से स्मृति इरानी को हरा कर सबको चौंका दिया। राहुल और किशोरी लाल, दोनों के चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आई थीं।

जब राहुल ने वायनाड छोड़ने का एलान किया तभी उपचुनाव में प्रियंका के प्रत्याशी होने का फैसला हो गया था। राहुल ने कहा था कि वायनाड के मतदाताओं को उनकी कमी महसूस न हो, इसलिए वहां से होने वाले उपचुनाव में बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। बेशक वायनाड से प्रियंका की जीत में किसी को संदेह नहीं था, लेकिन भाई राहुल से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने चौंकाया। प्रियंका चार लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती हैं। उनका मुकाबला सत्तारूढ़ एलडीएफ प्रत्याशी से हुआ, जबकि भाजपा की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि प्रियंका गांधी की संसदीय पारी का आगाज भले ही अभी हुआ है, लेकिन वह राजनीति में नई नहीं हैं। खुद प्रियंका गांधी ने बताया कि वह 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने 1989 में 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। सभी जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी में वह मां और भाई के लिए अतीत में भी चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक कामकाज देखती रही हैं। प्रियंका की संसदीय राजनीति का आगाज ऐसे समय हुआ है, जब छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में पुनरुत्थान के संकेत मिलने के बाद कांग्रेस फिर पस्तहाल नजर आ रही है। हाथ में आती दिख रही हरियाणा की सत्ता फिसल गई, तो जम्मू-कश्मीर में मित्र दल नेशनल कांफ्रेंस की बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस मात्र छह सीटों पर सिमट गई। फिर नवंबर में महाराष्ट्र में चुनावी पराभव का नया कीर्तिमान बनाया तो झारखंड में भी कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाने में नाकाम रही।

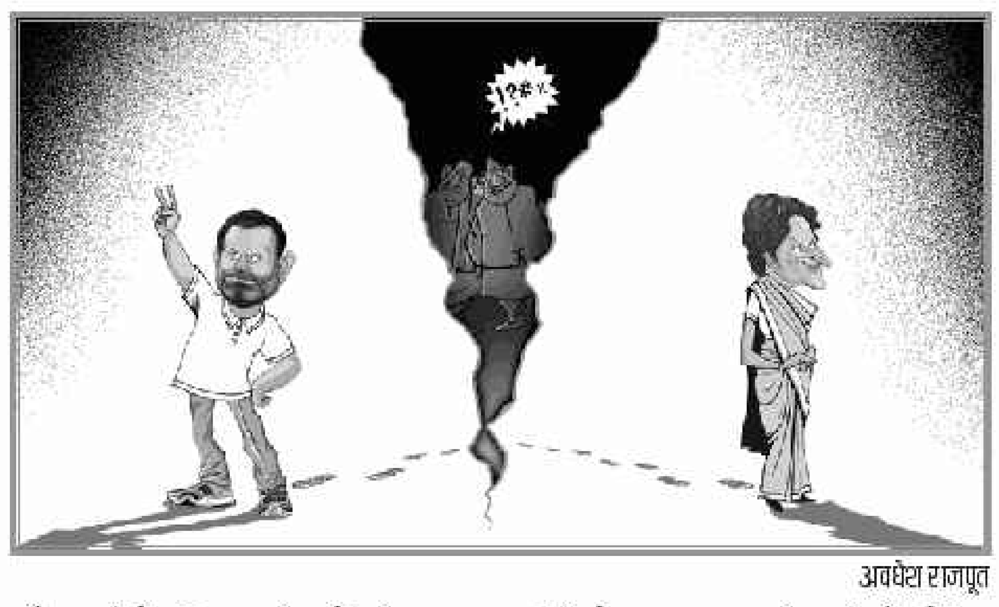

अवधेश राजपूत

भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस के लगातार लचर प्रदर्शन और उसके बावजूद आत्मकेंद्रित अहंकारी व्यवहार के चलते अब गठबंधन में भी उसके विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं। घटक दलों के नेता गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की पैरवी कर रहे हैं। जून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी मित्र दल ही सवाल उठाने लगे हैं। बेशक प्रियंका गांधी बेहतर वक्ता मानी जाती हैं, लेकिन उनके साथ ही गांधी-नेहरू परिवार के तीनों सदस्यों के संसद में आ जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा के आक्रमण को जो तेज धार मिलेगी, उससे बचाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल अनुत्तरित ही है कि कांग्रेस आलाकमान या कहें कि खुद परिवार ने यह रास्ता क्यों चुना? आखिर प्रियंका राजनीति में तो थी हीं। सालों पहले ही सीधे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई जा चुकी थीं। वह उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े राज्य की प्रभारी थीं। हालांकि स्टार प्रचारक होने के बावजूद वह कांग्रेस को बड़ी चुनावी सफलता नहीं दिलवा पाईं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने चर्चित नारा दिया था कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं।' कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे, पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 402 में से मात्र दो विधानसभा सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी ढाई प्रतिशत के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन से सुधरती दिखी, पर हाल के नौ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उसके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। अब परिवार के तीनों ही सदस्य संसद में पहुंच जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा का आक्रमण तो और तेज होगा ही, कांग्रेस में राहुल के समानांतर एक और सत्ता केंद्र बनने का खतरा भी रहेगा। ध्यान रहे कि पंजाब में कांग्रेस के पराभव का बड़ा कारण बने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का समर्थक बताया जाता रहा है। उन्हीं की जिद के चलते पंजाब में पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया और फिर मुख्यमंत्री। इस उठापटक की अंतिम परिणति यह हुई कि मतदाताओं ने कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल करते हुए आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश दे दिया। कांग्रेस शासित हिमाचल में भी प्रियंका का दखल रहता है। यदि राहुल और प्रियंका एक-दूसरे के पूरक की भूमिका निभाएंगे तो कांग्रेस की मजबूती में मददगार होंगे, लेकिन यदि वे दो अलग-अलग सत्ता केंद्र बनकर प्रतिद्वंद्वी बन गए तो कमजोर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।

प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा भी बीच-बीच में चुनाव लड़कर समाज और देश-सेवा की इच्छा जताते रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन के बाद अब संसद में भी प्रियंका की एंट्री से राबर्ट वाड्रा की राजनीतिक भूमिका भी बढ़ेगी क्या? उनके विरुद्ध कई मुकदमे लंबित हैं। पत्नी के सांसद बन जाने के बाद उन मुकदमों की गति और नियति देखना भी दिलचस्प होगा, जिसका राजनीतिक प्रभाव कांग्रेस पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

कलह बढ़ाने वाली पहल

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए, उससे यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्षी दल उन मुद्दों को लेकर एकमत नहीं, जिन्हें कांग्रेस तूल देना चाहती है। विपक्ष अपने प्रस्ताव को लेकर कितना भी गंभीर हो, इसके आसार नहीं कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा, क्योंकि सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी बहुमत चाहिए और वह उसके पास है नहीं। निःसंदेह विपक्ष इस यथार्थ से अपरिचित नहीं हो सकता, लेकिन शायद उसका उद्देश्य सभापति को हटाना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि राज्यसभा सभापति के रवैये के चलते वह सदन में अपनी बात नहीं कह पा रहा है। पता नहीं, वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये यह संदेश दे पाएगा या नहीं, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि संसदीय इतिहास में पहली बार सभापति को हटाने की पहल की जा रही है। यह पहल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास एवं कटुता को तो प्रकट करती ही है, उनके बीच की संवादहीनता को भी बयान करती है। यदि विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर अड़ता है तो वह पारित तो नहीं ही होगा, लेकिन उसके नतीजे में सत्तापक्ष और विपक्ष के रिश्ते और अधिक कड़वे अवश्य हो जाएंगे। इसका दुष्प्रभाव संसद के आगामी सत्रों में भी दिख सकता है और राष्ट्रीय महत्व के कई जरूरी काम अटक सकते हैं।

यदि विपक्ष यह समझ रहा है कि वह राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कोई राजनीतिक लाभ हासिल कर लेगा तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जनता देख रही है कि विपक्षी दल सदन में अलग-अलग मुद्दों को अहमियत देकर हंगामा कर रहे हैं। आम तौर पर विपक्ष को सभापति का रवैया रास नहीं ही आता। इसे लेकर वह शिकायत तो करता है, लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर न तो पद की गरिमा गिराता है और न ही राजनीतिक कलह बढ़ाने का काम करता है। आज जो विपक्ष यह काम कर रहा है, उसे यह पता होना चाहिए कि अतीत में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के रवैये को लेकर भाजपा को कितनी शिकायत रहती थी? हामिद अंसारी तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी राज्यसभा के सभापति थे, लेकिन उसने संयम बरता और एक सीमा से आगे नहीं गई और वह भी तब, जब उसे उच्च सदन में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में समस्या आ रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की हद तक नहीं जाता और संसद की गरिमा गिराने का काम नहीं करता। प्रश्न यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता, जैसी कि भरी-पूरी संभावना भी है तो विपक्ष क्या करेगा?

होम स्टे को प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने के दृष्टिगत होम स्टे को प्रोत्साहित करने की नीति पर उत्तराखंड के साथ ही केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है। नीति आयोग की टीम उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, केरल एवं गोवा की होम स्टे नीति का अध्ययन कर रही है। निकट भविष्य में आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देश में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए केंद्र नई नीति अथवा कार्यक्रम घोषित कर सकता है। यह स्थिति राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक होगी। पर्यटन की उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यटन, तीर्थाटन की दृष्टि से राज्य सरकार सुविधाएं भी विकसित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों की आवासीय सुविधा के दृष्टिगत होम स्टे की पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार अनुदान राशि देती है। साथ ही उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण कर उनके प्रमोशन में भी मदद करती है। शर्त यही है कि होम स्टे संचालक वहीं निवास करेगा। साथ ही होम स्टे में ठहरने वालों को राज्य की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया जाएगा। वर्ष 2018 में योजना के शुरू होने से अब तक राज्य में 5,240 होम स्टे बन चुके हैं।

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे की पहल की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी पूर्व में सराहना कर चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार को इस बात को लेकर भी सजग रहना होगा कि होम स्टे का संचालन नियमों के दायरे में ही हो। होटल संस्कृति की छाया से यह दूर रहे। स्थानीय ग्रामीण ही होम स्टे का संचालन करें। यदि ऐसा होता है तो होम स्टे रोजगार का अच्छा माध्यम होने के साथ ही पहाड़ से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने में प्रभावी हो सकता है। ग्रामीण विकास को गति देने में भी होम स्टे सहायक हो सकता है। ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

झूठे आरोप लगाने की खतरनाक सुविधा

ऋतु सारस्वत

जितनी पीड़ादायक दुष्कर्म की घटना होती है, उतना ही किसी का दुष्कर्म के झूठे आरोपों से गुजरना भी

बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूरज प्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य के मामले से जुड़ी दुष्कर्म की एक एफआइआर खारिज करते हुए कहा कि 'जिस प्रविधान के तहत एफआइआर दर्ज की गई है, वह महिलाओं के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे पुरुष को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।' दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के बीच ही दिल्ली की एक अन्य अदालत का निर्णय भी दुष्कर्म के झूठे आरोपों की परत खोलता दिखाई देता है। जिला न्यायालय उत्तरी दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 2019 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के कथित मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और पाया कि शिकायतकर्ता उसके साथ सहमति से संबंध में थी। निर्दोष होते हुए भी छह साल जेल में व्यतीत करना उस व्यवस्थागत असंवेदनशीलता को उजागर करता है, जहां बिना तथ्यों की पुष्टि किए पुरुष को अपराधी स्वीकार कर लिया जाता है।

इसमें किंचित संदेह नहीं कि दुष्कर्म एक ऐसी पीड़ा है, जिससे उबर पाना सहज नहीं, क्योंकि यह जितने शारीरिक घाव देती है, उससे कहीं अधिक जीवनपर्यंत मिलने वाली मानसिक पीड़ा परेशान करती है। इसलिए न्यायालय और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है, परंतु इस गंभीरता के भाव ने उस तार्किकता और संवेदनशीलता को विलोपित कर दिया है, जहां न्याय और अपराध के बीच पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता। महिला के 'कथन' को अंतिम सत्य मान लिए जाने की प्रवृत्ति ने पुरुषों के लिए न्याय प्रक्रिया को बहुत जटिल कर दिया है। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है जब न्यायालय के दरवाजे से जेल की दीवारों के बीच अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए वकीलों तक पहुंच न हो और इसका एक उदाहरण 'विष्णु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' का मामला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 28 जनवरी 2021 का फैसला तब चर्चा का विषय बन गया था, जब निर्दोष होने के बावजूद भी विष्णु को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल में गुजारने पड़े। न्याय की लड़ाई में विष्णु का सब कुछ बिक गया, परंतु जब न्याय मिला तब तक उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। ऐसे न जाने कितने विष्णु न्याय के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, परंतु उनकी चीखें समाज और प्रशासन की उन कठोर धारणाओं के बीच दब जाती हैं, जहां पुरुष को सदैव से ही शोषक माना गया है।

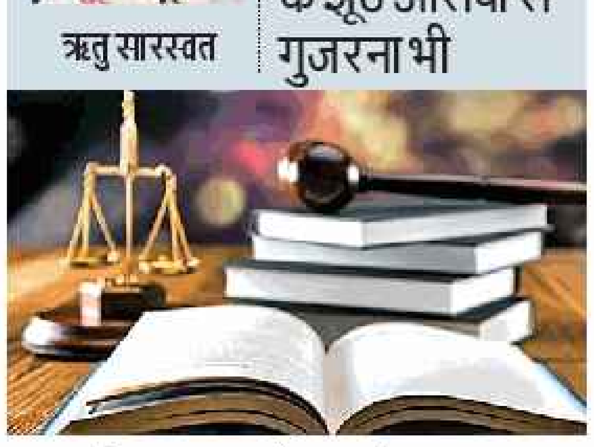

बढ़ रहा महिला सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग। फाइल

दिल्ली की एक अदालत में न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने 'राज्य बनाम राजू भट्ट' मुकदमे में निर्णय देते हुए कहा था, 'कोई भी पुरुष के सम्मान और गरिमा की बात नहीं करता। हर कोई महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के लिए संघर्ष कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, जिनका कोई भी महिला दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन ऐसी महिलाओं से पुरुषों के बचाव के लिए कानून कहां हैं? शायद अब समय आ गया है कि ऐसे मामलों के भुक्तभोगी पुरुषों के बचाव के लिए कानून बनाए जाएं।' समस्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए कानून में नहीं है। समस्या उस कानूनी ढांचे में है जहां महिलाएं बेखौफ झूठे आरोप लगाती हैं, क्योंकि वे भलीभांति जानती हैं कि उनके झूठे आरोपों को न्याय की संकरी गलियां लंबी अवधि तक सुरक्षित रखेंगी और दोष मुक्त होने तक आरोपित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुका होगा। इसी कारण झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं की जीत होती है। बीते दशकों में ऐसे मामले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, जहां झूठे आरोप लगाने पर महिला को सजा मिली हो। अपवादस्वरूप मई 2024 में बरेली की अदालत ने एक महिला को झूठी गवाही और झूठे दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने महिला को 4 साल 6 महीने और 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई, जो आरोपित द्वारा जेल में बिताए गए समय के बराबर थी। अदालत ने कहा कि 'अपने अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुलिस और अदालत का माध्यम के रूप में उपयोग करना अत्यधिक आपत्तिजनक है।' यदि इतनी कठोरता झूठे आरोप लगाने वाली हर महिला के हिस्से में आए तो निश्चित ही झूठे दुष्कर्म के आरोप में कमी आएगी। जितनी पीड़ादायक दुष्कर्म की घटना होती है, उतना ही पीड़ादायक दुष्कर्म के झूठे आरोपों से गुजरना भी।

अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'विमलेश अग्निहोत्री और अन्य बनाम राज्य एवं अन्य' मामले पर निर्णय देते हुए कहा था, 'अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों से संबंधित झूठे दावों और आरोपों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इस तरह के मुकदमे अनैतिक वादकारियों द्वारा इस उम्मीद में लगाए जाते हैं कि दूसरा पक्ष डर या शर्म से उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगा। जब तक गलत काम करने वालों को उनके कार्यों के परिणामों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तब तक इस तरह के तुच्छ और झूठे मुकदमों को रोकना मुश्किल होगा।' जान डेविस ने अपनी पुस्तक 'फाल्स एक्यूजेशंस आफ रेप: लिंचिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी' में उन मिथकों का वैज्ञानिक खंडन प्रस्तुत किया है कि महिलाएं दुष्कर्म के बारे में झूठ नहीं बोलती हैं। डेविस ने आंकड़ों के आधार पर अपने विस्तृत शोध में यह रेखांकित किया है कि दुष्कर्म के झूठे आरोपों से पुरुष का पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक है कि दुष्कर्म जैसे आरोपों के समय पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था तार्किक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए, अन्यथा समाज निर्दोषों की अंतहीन पीड़ा को मूक होकर देखता रहेगा और यह न्याय की हार होगी।

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मानव में ईश्वर

हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही है कि प्रायः ईश्वर की मानव से इतर किसी अन्य रूप में कल्पना कर पाना न तो हमारी बुद्धि की सीमा में है और न ही वह हमारे मन के अनुकूल है। यदि एक चींटी में इतनी बुद्धि हो कि वह ईश्वर की कल्पना करे तो वह ईश्वर को एक बहुत बड़ी चींटी के रूप में ही सोच सकती है। यही अवस्था हमारी है। ब्रह्म सर्वव्यापी, निराकार एवं निर्गुण है, यह जानते हुए भी मन को साकार में ही आधार मिलता है। समस्त मूर्तियां एवं चित्र इसी अवलंबन के द्योतक हैं। विचित्र है कि हम ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव में स्थित ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाते।

जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण हुआ तो उसके भीतर के ईश्वरीय तत्व की दीप्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष सभी सिर झुकाने को बाध्य हो गए। राम, कृष्ण और बुद्ध जैसी ज्योतिर्मय आत्माओं का जब आविर्भाव होता है, तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार में सक्षम होते हैं। जबकि ईश्वर हर देह में हमारे आसपास ही विचरण कर रहे होते हैं। ऐसा मानिए कि एक लालटेन है, जिसके कांच पर कालिख अधिक है तो लौ का प्रकाश कम दिख रहा है। वहीं अवतार या संत धवल तन-मन लेकर जन्मे हैं। अन्यथा अंतर कुछ भी नहीं। मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मैं पीड़ितों की देह में ईसा मसीह के शरीर को ही स्पर्श कर रही हूं।

मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की मलिनता आड़े आ ही जाती है। प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा, जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुत्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने वश में हो सकता है। स्मरण रहे कि यदि आप लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का न समय होगा और न आधार।

ट्विंकल तोमर सिंह

महिलाओं के सम्मान की नई पहल

डा. मोनिका शर्मा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेते हुए अपने नाम के साथ मां का नाम भी जोड़ा

बीते दिनों महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। उस समारोह में एक नई परंपरा देखने को मिली जो समग्र समाज को सार्थक संदेश देने वाली है। कहने को सहज, किंतु मानवीय अनुभूतियों के धरातल पर विशेष कही जा सकने वाली यह शुरुआत स्त्रियों के सम्मान के मायने समझाती है। स्त्रियों की उस भागीदारी का स्मरण कराती है, जिसे आमतौर पर भुला दिया जाता है। यह पहल घर-परिवार को संभालने से लेकर अपने बच्चों को काबिल और जिम्मेदार नागरिक बनाने तक, महिलाओं की संवेदनाओं से पूरित श्रमशील भूमिका को रेखांकित करती है। ध्यातव्य है कि इस नई पहल के अंतर्गत मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले देवेंद्र फडणवीस ने शपथ लेते हुए अपने नाम के साथ मां का नाम भी जोड़ा। साथ ही उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़कर ही शपथ ली। कुछ समाजों एवं संस्कृतियों में अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखने की तो एक पुरानी एवं स्थापित परंपरा रही है।

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए भी मंच से 'देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस' के नाम से संबोधित किया। ज्ञात हो कि उनकी मां का नाम सरिता है, जो पहली बार उनके संबोधन में लिखित या फिर मौखिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है। निःसंदेह, आधिकारिक रूप से अपने नाम में पिता के नाम के साथ अपनी माता के नाम को भी जोड़ना एक सकारात्मक पहल है। गौरतलब है कि इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने स्त्री शक्ति की अहम भूमिका रही है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली माझी लाडकी बहिन जैसी योजना का इसमें स्पष्ट प्रभाव नजर आया। नतीजतन महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक भी पहुंचीं।

महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी व्यापक बदलाव लाने वाली है। महिला मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी जीत के पीछे महत्वपूर्ण कारण बन सकती है तो उनकी दूसरी भूमिकाओं को समझने और मान देने का परिवेश बनना भी स्वाभाविक है। उल्लेखनीय यह भी है कि हमारे यहां मां का नाम जोड़ने को लेकर न्यायिक निर्णय भी आ चुके हैं। साल 2024 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक महत्व का मुद्दा बताते हुए विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों और डिग्रियों पर मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला सुनाया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी सरकारी कागजातों पर बच्चे के नाम के बाद पहले माता, फिर पिता का नाम और सरनेम लिखने का निर्णय लिया गया था। ऐसे में पिता के उपनाम वाली की इस परंपरा में मां का नाम जोड़ने की पहल कई मोर्चों पर सराहनीय है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अपना रवैया बदले कांग्रेस

'कांग्रेस को चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में उचित ही लिखा गया है कि यदि आइएनडीआइए में कांग्रेस के नेतृत्व का दावा कमजोर होता है तो उसकी राजनीतिक जमीन और सिकुड़ती जाएगी। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस गठबंधन के अधिकांश घटक दल वही हैं, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर ही अपना विस्तार किया। फिलहाल ममता बनर्जी ने उसके नेतृत्व पर दावा किया है, जिसके लिए बची-खुची एनसीपी के मुखिया शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव का रुख-रवैया है जो कांग्रेस आलाकमान के खासे करीबी माने जाते हैं और उन्होंने हर मौके पर गांधी परिवार का साथ दिया है। ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं और इसका दोष वह किसी अन्य पर मढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि इन परिस्थितियों की निर्मिति के लिए वही सबसे अधिक जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में 'अपेक्षा से अधिक सफलता' कांग्रेस पचा नहीं पाई और उसके बाद जो आवश्यक रीति-नीति होनी चाहिए थी, उसे अपना नहीं पाई। खासतौर से महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने से कांग्रेस के कायाकल्प की जो उम्मीद जगी थी उसकी लौ बहुत जल्द ही धुंधली पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों से साफ है कि गति सुधरने के बजाय उसकी दुर्गति ही अधिक हुई है। इसी तरह हरियाणा में अपेक्षाकृत अनुकूल राजनीतिक परिवेश के बावजूद वह भाजपा की दस वर्षों की राज्य सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान को भुनाने में नाकाम रही। झारखंड और जम्मू-कश्मीर में भी उसकी राजनीतिक जमीन सिकुड़ी है और केवल विजयी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से वह सत्तारूढ़ खेमे का हिस्सा बनी हुई है। स्पष्ट है कि सहयोगी दल कांग्रेस के पराभव को स्पष्ट रूप से देखते हुए ही उसके साथ राजनीतिक सौदेबाजी के जरिये दबाव बनाने में जुटे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस ही दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने में अक्षम दिखाई पड़ रही है। यदि उसने अपना रवैया नहीं बदला तो भविष्य में उसे और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

केशव तिवारी, आजमगढ़

मेलबाक्स

स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता

विचारों की स्वतंत्रता केवल बोलने का अधिकार नहीं, यह समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता है। हालांकि, आज इसका स्वरूप एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया है। हर मुद्दा, चाहे वह सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक वह केवल अनावश्यक बहस का कारण बन रहा है। असल समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय संवाद की प्रक्रिया आरोप-प्रत्यारोप में उलझ जाती है। गांवों और कस्बों में लोग अब भी बुनियादी मुद्दों पर चर्चा से बचते हैं, क्योंकि वहां खुलकर विचार रखना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा लगता है। पंचायत या नगर निगम स्तर पर शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा करना प्राथमिकता नहीं रह गई है। यह प्रवृत्ति समस्या को जड़ से सुलझाने के बजाय उसे और बढ़ावा देती है। समस्या का समाधान संवाद के स्वरूप को बदलने में है। हमें ऐसे मंच बनाने होंगे, जहां हर वर्ग को अपनी बात रखने का अवसर मिले। स्कूलों और कालेजों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों, जो केवल ज्ञानवर्धन तक सीमित न रहें, बल्कि छात्रों को समाज के मुद्दों पर खुलकर विचार रखने की प्रेरणा दें। तकनीक का उपयोग भी इस दिशा में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इंटरनेट मीडिया जैसे माध्यमों का उपयोग केवल बहस के लिए न होकर समाधान केंद्रित संवाद के लिए हो। संवाद की आजादी का असली उद्देश्य है-समझ, सहमति और सामूहिक समाधान। यह तभी संभव होगा, जब समाज पूर्वाग्रहों से हटकर खुले विचारों को अपनाने की हिम्मत दिखाए। सार्थक संवाद से ही किसी प्रगतिशील समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) गुरुवार, 12 दिसंबर, 2024 : मार्गशीर्ष शुक्ल - 12 वि. 2081

संवेदनाओं से मुक्त ज्ञान अहंकार के लिए द्वार खोल देता है

कलह बढ़ाने वाली पहल

राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए, उससे यह स्पष्ट है कि वे इस मामले में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्षी दल उन मुद्दों को लेकर एकमत नहीं, जिन्हें कांग्रेस तूल देना चाहती है। विपक्ष अपने प्रस्ताव को लेकर कितना भी गंभीर हो, इसके आसार नहीं कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा, क्योंकि सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा के साथ लोकसभा में भी बहुमत चाहिए और वह उसके पास है नहीं। निःसंदेह विपक्ष इस यथार्थ से अपरिचित नहीं हो सकता, लेकिन शायद उसका उद्देश्य सभापति को हटाना नहीं, बल्कि यह संदेश देना है कि राज्यसभा सभापति के रवैये के चलते वह सदन में अपनी बात नहीं कह पा रहा है। पता नहीं, वह अविश्वास प्रस्ताव के जरिये यह संदेश दे पाएगा या नहीं, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि संसदीय इतिहास में पहली बार सभापति को हटाने की पहल की जा रही है। यह पहल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास एवं कटुता को तो प्रकट करती ही है, उनके बीच की संवादहीनता को भी बयान करती है। यदि विपक्ष राज्यसभा सभापति के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर अड़ता है तो वह पारित तो नहीं ही होगा, लेकिन उसके नतीजे में सत्तापक्ष और विपक्ष के रिश्ते और अधिक कड़वे अवश्य हो जाएंगे। इसका दुष्प्रभाव संसद के आगामी सत्रों में भी दिख सकता है और राष्ट्रीय महत्व के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। यदि विपक्ष यह समझ रहा है कि वह राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कोई राजनीतिक लाभ हासिल कर लेगा तो ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि जनता देख रही है कि विपक्षी दल सदन में अलग-अलग मुद्दों को अहमियत देकर हंगामा कर रहे हैं। आम तौर पर विपक्ष को सभापति का रवैया रास नहीं आता। इसे लेकर वह शिकायत तो करता है, लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर न तो पद की गरिमा गिराता है और न ही राजनीतिक कलह बढ़ाने का काम करता है। आज जो विपक्ष यह काम कर रहा है, उसे यह पता होना चाहिए कि अतीत में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के रवैये को लेकर भाजपा को कितनी शिकायत रहती थी? हामिद अंसारी तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी राज्यसभा के सभापति थे, लेकिन उसने संयम बरता और एक सीमा से आगे नहीं गई और वह भी तब, जब उसे उच्च सदन में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में समस्या आ रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की हद तक नहीं जाता और संसद की गरिमा गिराने का काम नहीं करता। प्रश्न यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता, जैसी कि भरी-पूरी संभावना भी है तो विपक्ष क्या करेगा?

सुधार की उम्मीद

यह अच्छा है कि राज्य सरकार ने अस्पतालों के आकलन का निर्णय लिया है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। निरीक्षण के दौरान अलग-अलग कार्यों के लिए अंक तो दिए जाएंगे ही, रोगियों के साथ अस्पताल कर्मियों के बर्ताव पर भी नंबर मिलेंगे। बेशक बीते दिनों में सरकारी अस्पतालों में काफी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मेडिकल कालेजों के अलावा सदर अस्पतालों में भी जरूरी जांच की व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की अनदेखी या लापरवाही की वजह से समय-समय पर कुछ घटनाएं हो जाती हैं। अक्सर अनदेखी या उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर डाक्टर और अस्पतालकर्मियों से तीमारदार भिड़ जाते हैं और नौबत मारपीट तक पहुंच जाती है। पिछले दिनों दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद स्वजन ने जमकर हंगामा किया था। आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरती गई। अस्पताल सरकारी हो या निजी, संवेदनशील स्थल है। यहां की व्यवस्था यदि दुरुस्त नहीं होगी तो जानलेवा घटनाएं होने के आसार बने रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवाओं के नहीं मिलने और गंदगी की शिकायत आम है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार ने मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं, साफ-सफाई, प्रबंधन, मरीजों के भोजन जैसे बिंदुओं पर आकलन का निर्णय लिया है। उद्देश्य यह भी है कि इन बिंदुओं का पालन हो ताकि मरीज से लेकर डाक्टर और नर्स संक्रमण से सुरक्षित रहें।

> राज्य सरकार ने अस्पतालों के आकलन का जो निर्णय लिया है, उससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

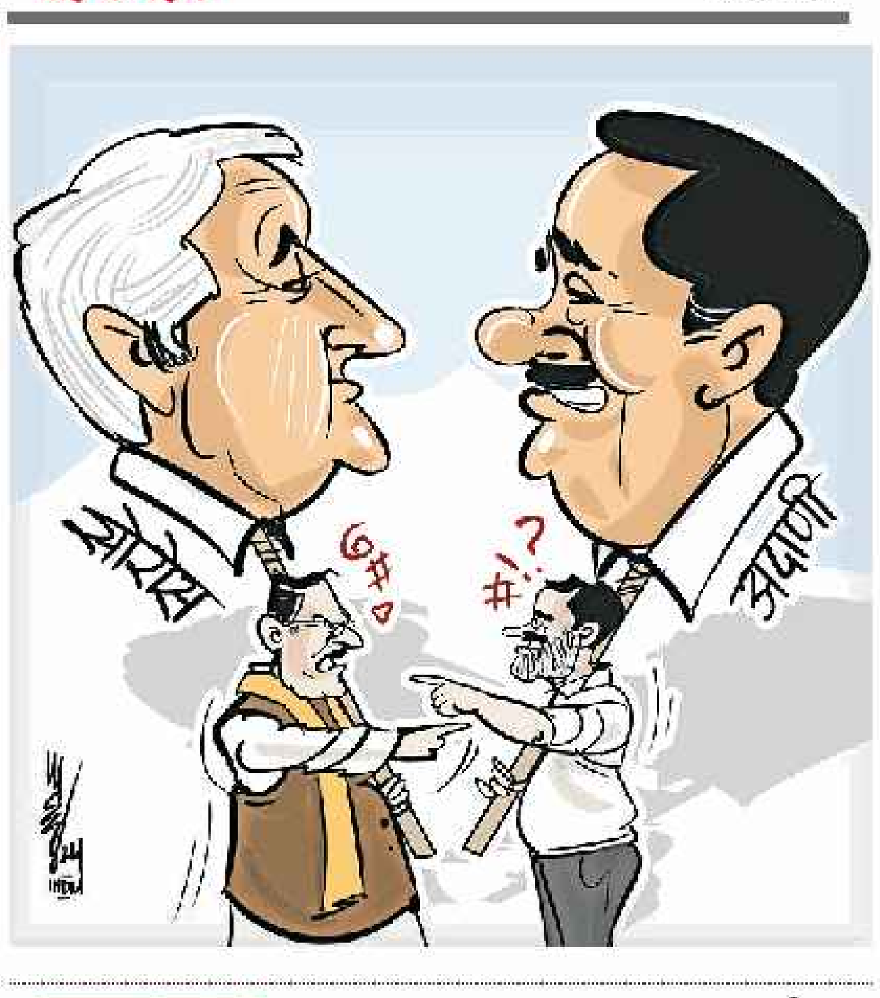

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रोहित शर्मा को मध्यक्रम में खेलने के बजाय ओपनिंग करनी चाहिए?

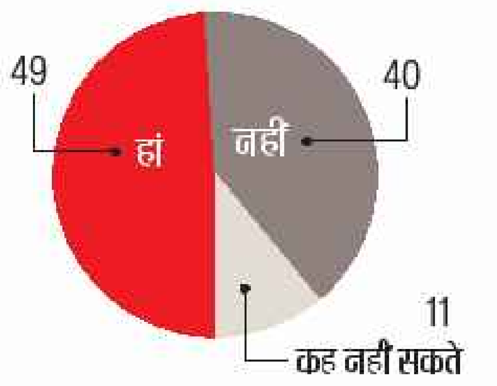

आज का सवाल
क्या महिला संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कांग्रेस के भविष्य पर नए सवाल

राज कुमार सिंह

यदि राहुल और प्रियंका अलग-अलग सत्ता केंद्र बने तो कमजोर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी, जो पहले से ही सहयोगियों के निशाने पर है

प्रियंका गांधी वाड्रा की भी संसदीय पारी का आगाज हो गया, पर इसी दौरान कांग्रेस की नियति को लेकर नए सिरे से सवाल उठ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी दशकों नारा लगाते रहे: अमेठी का डंका, बेटी प्रियंका, मगर वह केरल की वायनाड सीट से संसद पहुंचीं। वायनाड में उपचुनाव की नौबत इसलिए आई कि इस बार रायबरेली और वायनाड, दो सीटों से जीते राहुल ने पारिवारिक सीट रायबरेली रखने का फैसला किया। राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने से पहले सोनिया गांधी रायबरेली से ही लोकसभा चुनाव जीतती रहीं। उनसे पहले पति राजीव गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी रायबरेली से लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। सोनिया गांधी द्वारा इस बार संसद जाने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुने जाने के बाद अटकलें थीं कि राहुल वायनाड और अपनी पुरानी सीट अमेठी से लड़ेंगे, जबकि प्रियंका रायबरेली से अपनी संसदीय राजनीति की शुरुआत करेंगी, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाने वाला निर्णय लिया। परिवार और पार्टी के निष्ठावान किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से स्मृति इरानी के विरुद्ध चुनाव में उतारा, जबकि राहुल के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित रायबरेली को चुना। कांग्रेस का दांव सफल भी रहा। रायबरेली से राहुल तो जीत ही गए, किशोरी लाल ने भी अमेठी से स्मृति इरानी को हरा कर सबको चौंका दिया। राहुल और किशोरी लाल, दोनों के चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान प्रियंका गांधी ही संभालती नजर आई थीं।

जब राहुल ने वायनाड छोड़ने का एलान किया तभी उपचुनाव में प्रियंका के प्रत्याशी होने का फैसला हो गया था। राहुल ने कहा था कि वायनाड के मतदाताओं को उनकी कमी महसूस न हो, इसलिए वहां से होने वाले उपचुनाव में बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। बेशक वायनाड से प्रियंका की जीत में किसी को संदेह नहीं था, लेकिन भाई राहुल से भी ज्यादा अंतर से जीत हासिल कर उन्होंने चौंकाया। प्रियंका चार लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीती हैं। उनका मुकाबला सत्तारूढ़ एलडीएफ प्रत्याशी से हुआ, जबकि भाजपा की उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहीं। हालांकि प्रियंका गांधी की संसदीय पारी का आगाज भले ही अभी हुआ है, लेकिन वह राजनीति में नई नहीं हैं। खुद प्रियंका गांधी ने बताया कि वह 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने 1989 में 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता राजीव गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया था। सभी जानते हैं कि रायबरेली और अमेठी में वह मां और भाई के लिए अतीत में भी चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक कामकाज देखती रही हैं। प्रियंका की संसदीय राजनीति का आगाज ऐसे समय हुआ है, जब छह महीने पहले लोकसभा चुनाव में पुनरुत्थान के संकेत मिलने के बाद कांग्रेस फिर पस्तहाल नजर आ रही है। अक्टूबर में हाथ में आती दिख रही हरियाणा की सत्ता फिसल गई, तो जम्मू-कश्मीर में मित्र दल नेशनल कांफ्रेंस की बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस मात्र छह सीटों पर सिमट गई। फिर नवंबर में महाराष्ट्र में चुनावी पराभव का नया कीर्तिमान बनाया तो झारखंड में अनुकूल माहौल के बावजूद कांग्रेस सीटें बढ़ाने में नाकाम रही।

भाजपा से सीधे मुकाबले में कांग्रेस के लगातार लचर प्रदर्शन और उसके बावजूद आत्मकेंद्रित अहंकारी व्यवहार के चलते अब गठबंधन में भी उसके विरुद्ध स्वर मुखर होने लगे हैं। घटक दलों के नेता गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को देने की पैरवी कर रहे हैं। जून में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी मित्र दल ही सवाल उठाने लगे हैं। बेशक प्रियंका गांधी बेहतर वक्ता मानी जाती हैं, लेकिन उनके साथ ही गांधी-नेहरू परिवार के तीनों सदस्यों के संसद में आ जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा के आक्रमण को जो तेज धार मिलेगी, उससे बचाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में यह स्वाभाविक सवाल अनुत्तरित ही है कि कांग्रेस आलाकमान या कहें कि खुद परिवार ने यह रास्ता क्यों चुना? आखिर प्रियंका राजनीति में तो थी हीं। सालों पहले ही सीधे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनाई जा चुकी थीं। वह उत्तर प्रदेश सरीखे बड़े राज्य की प्रभारी थीं। हालांकि स्टार प्रचारक होने के बावजूद वह कांग्रेस को बड़ी चुनावी सफलता नहीं दिलवा पाईं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने चर्चित नारा दिया था कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं।' कांग्रेस ने बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारे, पर जोरदार प्रचार अभियान के बावजूद कांग्रेस 402 में से मात्र दो विधानसभा सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस का मत प्रतिशत भी ढाई प्रतिशत के आसपास रहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन से सुधरती दिखी, पर हाल के नौ विधानसभा उपचुनाव में सपा ने उसके लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी। अब परिवार के तीनों ही सदस्य संसद में पहुंच जाने से वंशवाद के मुद्दे पर भाजपा का आक्रमण तो और तेज होगा ही, कांग्रेस में राहुल के समानांतर एक और सत्ता केंद्र बनने का खतरा भी रहेगा। ध्यान रहे कि पंजाब में कांग्रेस के पराभव का बड़ा कारण बने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का समर्थक बताया जाता रहा है। उन्हीं की जिद के चलते पंजाब में पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया और फिर मुख्यमंत्री। इस उठापटक की अंतिम परिणति यह हुई कि मतदाताओं ने कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल करते हुए आम आदमी पार्टी को प्रचंड जनादेश दे दिया। कांग्रेस शासित हिमाचल में भी प्रियंका का दखल रहता है। यदि राहुल और प्रियंका एक-दूसरे के पूरक की भूमिका निभाएंगे तो कांग्रेस की मजबूती में मददगार होंगे, लेकिन यदि वे दो अलग-अलग सत्ता केंद्र बनकर प्रतिद्वंद्वी बन गए तो कमजोर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी।

प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा भी बीच-बीच में चुनाव लड़कर समाज और देश-सेवा की इच्छा जताते रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संगठन के बाद अब संसद में भी प्रियंका की एंट्री से राबर्ट वाड्रा की राजनीतिक भूमिका भी बढ़ेगी क्या? उनके विरुद्ध कई मुकदमे लंबित हैं। पत्नी के सांसद बन जाने के बाद उन मुकदमों की गति और नियति देखना भी दिलचस्प होगा, जिसका राजनीतिक प्रभाव कांग्रेस पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा।

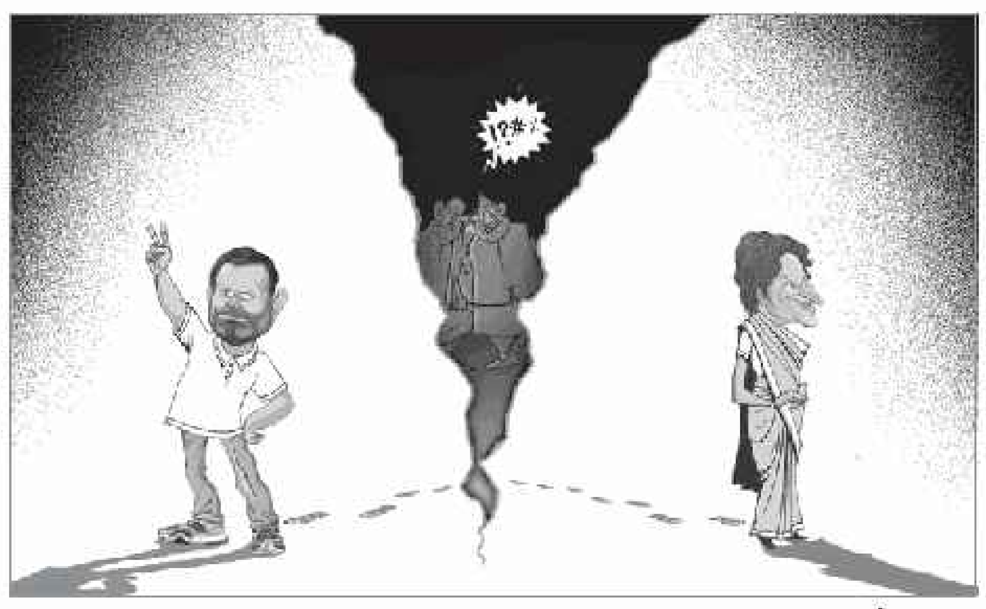

अवधेश राजपूत

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

झूठे आरोप लगाने की खतरनाक सुविधा

ऋतु सारस्वत

जितनी पीड़ादायक दुष्कर्म की घटना होती है, उतना ही किसी का दुष्कर्म के झूठे आरोपों से गुजरना भी

बीते दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने सूरज प्रकाश बनाम राज्य एवं अन्य के मामले से जुड़ी दुष्कर्म की एक एफआइआर खारिज करते हुए कहा कि 'जिस प्रविधान के तहत एफआइआर दर्ज की गई है, वह महिलाओं के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि कुछ लोग इसे पुरुष को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।' दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के बीच ही दिल्ली की एक अन्य अदालत का निर्णय भी दुष्कर्म के झूठे आरोपों की परत खोलता दिखाई देता है। जिला न्यायालय उत्तरी दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर ने 2019 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के कथित मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और पाया कि शिकायतकर्ता उसके साथ सहमति से संबंध में थी। निर्दोष होते हुए भी छह साल जेल में व्यतीत करना उस व्यवस्थागत असंवेदनशीलता को उजागर करता है, जहां बिना तथ्यों की पुष्टि किए पुरुष को अपराधी स्वीकार कर लिया जाता है।

इसमें किंचित संदेह नहीं कि दुष्कर्म एक ऐसी पीड़ा है, जिससे उबर पाना सहज नहीं, क्योंकि यह जितने शारीरिक घाव देती है, उससे कहीं अधिक जीवनपर्यंत मिलने वाली मानसिक पीड़ा परेशान करती है। इसलिए न्यायालय और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेता है, परंतु इस गंभीरता के भाव ने उस तार्किकता और संवेदनशीलता को विलोपित कर दिया है, जहां न्याय और अपराध के बीच पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता। महिला के 'कथन' को अंतिम सत्य मान लिए जाने की प्रवृत्ति ने पुरुषों के लिए न्याय प्रक्रिया को बहुत जटिल कर दिया है। यह स्थिति तब और अधिक गंभीर हो जाती है जब न्यायालय के दरवाजे से जेल की दीवारों के बीच अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए वकीलों तक पहुंच न हो और इसका एक उदाहरण 'विष्णु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' का मामला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 28 जनवरी 2021 का फैसला तब चर्चा का विषय बन गया था, जब निर्दोष होने के बावजूद भी विष्णु को दुष्कर्म के आरोप में 20 साल जेल में गुजारने पड़े। न्याय की लड़ाई में विष्णु का सब कुछ बिक गया, परंतु जब न्याय मिला तब तक उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। ऐसे न जाने कितने विष्णु न्याय के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, परंतु उनकी चीखें समाज और प्रशासन की उन कठोर धारणाओं के बीच दब जाती हैं, जहां पुरुष को सदैव से ही शोषक माना गया है।

दिल्ली की एक अदालत में न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने 'राज्य बनाम राजू भट्ट' मुकदमे में निर्णय देते हुए कहा था, 'कोई भी पुरुष के सम्मान और गरिमा की बात नहीं करता। हर कोई महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा के लिए संघर्ष कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं, जिनका कोई भी महिला दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन ऐसी महिलाओं से पुरुषों के बचाव के लिए कानून कहां हैं? शायद अब समय आ गया है कि ऐसे मामलों के भुक्तभोगी पुरुषों के बचाव के लिए कानून बनाए जाएं।' समस्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए कानून में नहीं है। समस्या उस कानूनी ढांचे में है जहां महिलाएं बेखौफ झूठे आरोप लगाती हैं, क्योंकि वे भलीभांति जानती हैं कि उनके झूठे आरोपों को न्याय की संकरी गलियां लंबी अवधि तक सुरक्षित रखेंगी और दोष मुक्त होने तक आरोपित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुका होगा। इसी कारण झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं की जीत होती है। बीते दशकों में ऐसे मामले अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, जहां झूठे आरोप लगाने पर महिला को सजा मिली हो। अपवादस्वरूप मई 2024 में बरेली की अदालत ने एक महिला को झूठी गवाही और झूठे दुष्कर्म के आरोप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने महिला को 4 साल 6 महीने और 8 दिन के कारावास की सजा सुनाई, जो आरोपित द्वारा जेल में बिताए गए समय के बराबर थी। अदालत ने कहा कि 'अपने अवैध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पुलिस और अदालत का माध्यम के रूप में उपयोग करना अत्यधिक आपत्तिजनक है।' यदि इतनी कठोरता झूठे आरोप लगाने वाली हर महिला के हिस्से में आए तो निश्चित ही झूठे दुष्कर्म के मिथ्या आरोप में कमी आएगी। जितनी पीड़ादायक दुष्कर्म की घटना होती है, उतना ही पीड़ादायक दुष्कर्म के झूठे आरोपों से गुजरना भी।

अगस्त 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'बिमलेश अग्निहोत्री और अन्य बनाम राज्य एवं अन्य' मामले पर निर्णय देते हुए कहा था, 'अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामलों से संबंधित झूठे दावों और आरोपों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। इस तरह के मुकदमे अनैतिक वादकारियों द्वारा इस उम्मीद में लगाए जाते हैं कि दूसरा पक्ष डर या शर्म से उनकी मांगों को स्वीकार कर लेगा। जब तक गलत काम करने वालों को उनके कार्यों के परिणामों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तब तक इस तरह के तुच्छ और झूठे मुकदमों को रोकना मुश्किल होगा।' जान डेविस ने अपनी पुस्तक 'फाल्स एक्यूजेशंस आफ रेपः लिंचिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी' में उन मिथकों का वैज्ञानिक खंडन प्रस्तुत किया है कि महिलाएं दुष्कर्म के बारे में झूठ नहीं बोलती हैं। डेविस ने आंकड़ों के आधार पर अपने विस्तृत शोध में यह रेखांकित किया है कि दुष्कर्म के झूठे आरोपों से पुरुष का पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। यह आवश्यक है कि दुष्कर्म जैसे आरोपों के समय पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था तार्किक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए, अन्यथा समाज निर्दोषों की अंतहीन पीड़ा को मूक होकर देखता रहेगा और यह न्याय की हार होगी।

बढ़ रहा महिला सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग ● फाइल

(लेखिका समाजशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मानव में ईश्वर

हम ईश्वर की आराधना मानवीय स्वरूप में सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका सहज कारण यही है कि प्रायः ईश्वर की मानव से इतर किसी अन्य रूप में कल्पना कर पाना न तो हमारी बुद्धि की सीमा में है और न ही वह हमारे मन के अनुकूल है। यदि एक चींटी में इतनी बुद्धि हो कि वह ईश्वर की कल्पना करे तो वह ईश्वर को एक बहुत बड़ी चींटी के रूप में ही सोच सकती है। यही अवस्था हमारी है। ब्रह्म सर्वव्यापी, निराकार एवं निर्गुण है, यह जानते हुए भी मन को साकार में ही आधार मिलता है। समस्त मूर्तियां एवं चित्र इसी अवलंबन के द्योतक हैं। क्या विरोधाभास है कि हम ईश्वर को मानव रूप में पूजना तो चाहते हैं, परंतु मानव में स्थित ईश्वर की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता।

मानव इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी अवतार या संत का धरती पर अवतरण हुआ तो उसके भीतर के ईश्वरीय तत्व की दीप्ति इतनी प्रबल थी कि उसके समक्ष सभी सिर झुकाने को बाध्य हो गए। राम, कृष्ण से लेकर बुद्ध भी देश-काल, सीमा से परे हैं। इन ज्योतिर्मय आत्माओं का जब आविर्भाव होता है, तभी हम ईश्वरीय अंश के साक्षात्कार में सक्षम होते हैं। जबकि ईश्वर हर देह में हमारे आसपास ही विचरण कर रहे होते हैं। ऐसा मानिए कि एक लालटेन है, जिसके कांच पर कालिख अधिक है तो लौ का प्रकाश कम दिख रहा है। वहीं अवतार या संत धवल तन-मन लेकर जन्मे हैं। अन्यथा अंतर कुछ भी नहीं। मदर टेरेसा ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मैं पीड़ितों की देह में ईसा मसीह के शरीर को ही स्पर्श कर रही हूं।

मानव देह में ईश्वर को देखना आसान नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की मलिनता या कालिख आड़े आ ही जाती है। प्रेम करना कठिन हो सकता है, किंतु घृणा, जलन, क्रोध, तिरस्कार, दुत्कार, दूसरों को हीन समझने के भाव का त्याग अपने वश में हो सकता है। स्मरण रहे कि यदि आप लोगों का सिर्फ मूल्यांकन ही करते रहते हैं तो आपके पास उनसे प्रेम करने का न समय होगा और न आधार।

ट्विंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

अपना रवैया बदले कांग्रेस

'कांग्रेस को चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में उचित ही लिखा गया है कि यदि आइएनडीआइए में कांग्रेस के नेतृत्व का दावा कमजोर होता है तो उसकी राजनीतिक जमीन और सिकुड़ती जाएगी। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस गठबंधन के अधिकांश घटक दल वही हैं, जिन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर ही अपना विस्तार किया। फिलहाल ममता बनर्जी ने उसके नेतृत्व पर दावा किया है, जिसके लिए बची-खुची एनसीपी के मुखिया शरद पवार से लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव का रुख-रवैया है जो कांग्रेस आलाकमान के खासे करीबी माने जाते हैं और उन्होंने हर मौके पर गांधी परिवार का साथ दिया है। ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं और इसका दोष वह किसी अन्य पर मढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि इन परिस्थितियों की निर्मिति के लिए वही सबसे अधिक जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में 'अपेक्षा से अधिक सफलता' कांग्रेस पचा नहीं पाई और उसके बाद जो आवश्यक रीति-नीति होनी चाहिए थी, उसे अपना नहीं पाई। खासतौर से महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने से कांग्रेस के कायाकल्प की जो उम्मीद जगी थी उसकी लौ बहुत जल्द ही धुंधली पड़ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों से साफ है कि गति सुधरने के बजाय उसकी दुर्गति ही अधिक हुई है। इसी तरह हरियाणा में अपेक्षाकृत अनुकूल राजनीतिक परिवेश के बावजूद वह भाजपा की दस वर्षों की राज्य सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी रुझान को भुनाने में नाकाम रही। झारखंड और जम्मू-कश्मीर में भी उसकी राजनीतिक जमीन सिकुड़ी है और केवल विजयी गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से वह सत्तारूढ़ खेमे का हिस्सा बनी हुई है। स्पष्ट है कि सहयोगी दल कांग्रेस के पराभव को स्पष्ट रूप से देखते हुए ही उसके साथ राजनीतिक सौदेबाजी के जरिये दबाव बनाने में जुटे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस ही दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पाने में अक्षम दिखाई पड़ रही है। यदि उसने अपना रवैया नहीं बदला तो भविष्य में उसे और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

केशव तिवारी, आजमगढ़

उपयुक्त है ईवीएम का प्रयोग

आलेख 'ईवीएम पर खीझ निकालने की बीमारी' पढ़ा। भारत अमेरिका नहीं हैं और न ही वहां जैसी राष्ट्रपति प्रणाली। ऐसे में ईवीएम को लेकर अन्य देशों से उसकी तुलना करना अविवेकपूर्ण है। ईवीएम से चुनाव उपरांत अलग- अलग परिणाम आते रहते हैं। ऐसे में हारने के बाद ईवीएम पर खीझ निकालना कहीं से भी उचित नहीं हैं। इस तकनीकी युग में संभव हो तो मतदान प्रक्रिया और परिणाम और भी आसान करने के बारे में पहल होनी चाहिए। अगर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो इस इलेक्ट्रानिक और तकनीकी युग में कोई भी सुधार या और अधिक तकनीक का प्रयोग कर ईवीएम को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता हैं। चुनाव के मामले में पुरातनपंथी हो जाना कहीं से उचित नहीं है। ईवीएम का उपयोग पर्यावरण हित में भी है।

विश्वसेनजीत मिश्र, शिवहर, बिहार

पाक की निंदा आवश्यक

विवेक काटजू द्वारा लिखित आलेख 'भगत सिंह का अपमान करता पाकिस्तान' पढ़ा। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए 23 वर्ष की अल्प आयु में सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रारंभ से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी भी भारत के नायकों का सम्मान नहीं किया, लेकिन उन्हें हमारे नायकों का अपमान करने का भी कोई हक नहीं है। लाहौर की अदालत में भगत सिंह को अपराधी कहना पाकिस्तान की गिरी हुई मानसिकता को उजागर करता है। भगत सिंह ने अपना आखिरी वक्त लाहौर जेल में बिताया था, उसी जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आज उस जेल का नामोनिशान मिट चुका है, लेकिन वह स्थान आज भी पाकिस्तान में शादमान चौक के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में कार्यरत एक संगठन उस चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर करने के लिए गत बीस वर्षों से संघर्ष कर रहा है। आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की आबादी 23 प्रतिशत थी, जो आज घटकर 2.5 प्रतिशत पर आ चुकी है। यह उनपर हो रहे अत्याचार, पलायन व जबरन मतांतरण की पुष्टि करता है। देश के हर नागरिक को भगत सिंह के अपमान के लिए पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए। भारत सरकार को अपने राष्ट्रनायकों के अनादर का कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। भगत सिंह के जीवन से कई पीढ़ियां प्रेरित होती आई हैं, और भविष्य में भी होती रहेंगी।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

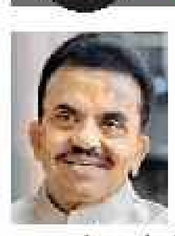

दहेज विरोधी कानून महिलाओं को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसकी वजह से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में इस पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर दिया। इसे स्वयंसिद्ध सुबूत माना जाना चाहिए।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

सोचिए वह मनुष्य कौन सी मनोस्थिति में रहा होगा, जो आत्महत्या से पहले करीब डेढ़ घंटे का एक लंबा वीडियो रिकार्ड करता है और पूरे वीडियो के दौरान उसमें किसी भी तरह की भावनाओं का कोई प्रवाह नहीं दिखता। असल में अतुल सुभाष बहुत पहले ही मर चुका था।
अज्ञानी@MhaAgyaani

विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए ने लोकसभा चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा था। न ही नियमित परस्पर विचार-विमर्श के लिए कोई समिति या उस जैसा कोई मंच बनाया था। न साझा झंडा था और न ही कोई सचिवालय और न कोई संयोजक। विपक्षी एकता के इस मंच को कोई संस्थागत रूप प्रदान नहीं किया गया था। इसके गठन में सक्रिय रहे नीतीश कुमार ऐसी ही कुछ बातों को लेकर विरोधस्वरूप इससे अलग हो गए थे।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

ओछी टिप्पणियां बनीं लालू की पहचान,
लेकिन नया बिहार अब उन्हें चुका है जान।
उन्हें चुका है जान मसखरी वाला नेता,
जो नौकरियां बांट जमीनें तक ले लेता!
लालू जी अब भूल जाइए बीती घड़ियां,
सहता नहीं बिहार आज ओछी टिप्पणियां।
- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 238

****

वही व्यक्ति सफल नेता बनता है, जो पहले खुद को विकसित करता है, बाद में दूसरों को आगे बढ़ाता है। -जैक वेल्च

शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिख ही रहा था, लेकिन अब विपक्ष द्वारा राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश ने इसे एक अनचाहा मोड़ दे दिया है। पिछले कुछ समय से संसद में जिस ढंग से काम-काज हुआ है, उससे आम जनता में निराशा ही फैली है।

हंगामे से हल नहीं

संसद का शीतकालीन सत्र सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच गहमागहमी के चलते हंगामे की भेंट चढ़ता दिख ही रहा था कि अब राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैया रखने और सत्ता पक्ष की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर सरकार व विपक्ष के बीच तल्खी को एक अलग स्तर पर पहुंचा दिया है। गौरतलब है कि राज्यसभा के 72 साल के संसदीय इतिहास में यह पहली ही बार है, जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है, जब विपक्ष ने राज्यसभा के सभापति को घेरने की कोशिश की हो। कुछ समय पहले विपक्षी नेताओं ने सदन से बाहर उनकी मिमिक्री करते हुए वीडियो भी बनाए थे और अब इसी कड़ी में अविश्वास प्रस्ताव की पेशकश उनकी राजनीति को ही दिखाती है। सवाल यह है कि राज्यसभा का सभापति, जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है और एक सांविधानिक पद है, के साथ विपक्ष का इस तरह का व्यवहार क्या संसदीय गरिमा के अनुकूल है। संसद में काम करने का यह तरीका नहीं हो सकता। लोकतंत्र में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ऐसे आचरण से जनता का उन पर से ही भरोसा उठता है। चुनावी राजनीति और राजनीतिक एजेंडा होना एक बात है, लेकिन जनप्रतिनिधियों से कुछ शुचिता का ख्याल रखने की अपेक्षा तो रहती ही है। अपनी बात को रखने का भी एक तरीका होता है। स्वस्थ बहसों के बजाय सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही अगर विपक्ष ने अपना मकसद बना लिया हो, तो यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष के पास राज्यसभा में करीब 92 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के पास 119 सांसद हैं। ऐसे में, धनखड़ को हटाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात यह है कि बीस दिसंबर को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र में बमुश्किल नौ दिन ही बचे हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए चौदह

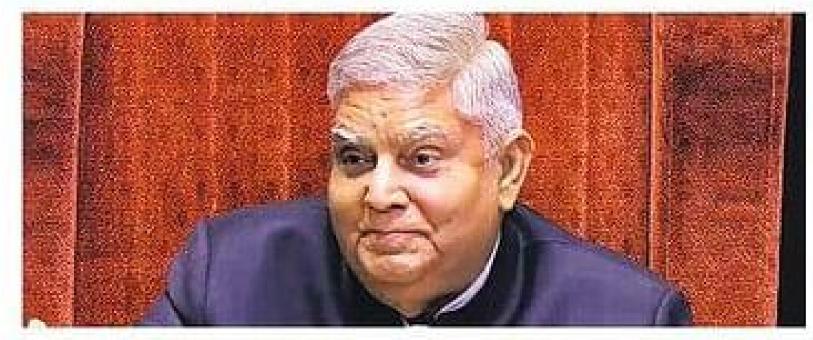

दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। ऐसे में, प्रस्ताव के वर्तमान सत्र में आने की संभावना नहीं है। फिर इस हंगामे का क्या मतलब? सरकारी निर्णयों को अविश्वास की दृष्टि से देखना विपक्ष की आदत हो सकती है, लेकिन उसे समझना होगा कि ध्यान आकर्षित करने की राजनीति से संसदीय कार्य नहीं हो सकते। दूसरी बात, अविश्वास की राजनीति का अगर ठोस धरातल न हो, तो यह अर्थहीन हो जाती है। यह समझते हुए कि हंगामे से हल नहीं निकलते, अगर विपक्ष खिल्ली उड़ाने और समय गुजारने की राजनीति के बजाय गंभीर और तथ्याधारित राजनीति करे, तो संसद की उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, विमर्श का स्तर ऊंचा होगा और सरकार को भी बेहतर व समावेशी निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

ट्रंप से सबक क्यों नहीं लेते

अमेरिकी राजनीति में ट्रंप ने हार को जीत में बदलने का सबसे शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ, भारत में बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से अप्रासंगिक हो रहे लोग चुनावी प्रक्रिया में दोष निकालते रहते हैं। लगातार हारों के बावजूद खुद को आत्मविश्वासी दिखाने वाले ट्रंप से सबक क्यों नहीं लेते?

सावधानी से तैयार किए गए भ्रम भी हार के साथ ढह जाते हैं। राजनीति में इस तरह के विघटन (अचानक आत्मविश्वास में कमी और बिखरी हुई किरचों का दमनकारी फैलाव) को स्वीकार करना मुश्किल है, जब तक कि आप मैदान में उदासीन भटकाव के लिए धैर्यवान न हों। हार अक्सर उन लोगों को छोटा कर देती है, जिन्होंने खुद को वास्तविकता को चुनौती देने वाले नायकों के रूप में बड़ा कर लिया है। दयनीय बात यह है कि अक्सर गिरे हुए लोग खंडहरों से उठने के लिए संघर्ष करते हैं, और उन्हें अपने ऊपर मंडराते हुए डार्क डेनियर के दर्शन होते हैं।

अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप ने हार को जीत में बदलने का सबसे शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने 2020 में नकार दिया था, जब वह राष्ट्रपति जो बाइडन से चुनाव हार गए थे। चुनाव में धांधली का डर अमेरिकी राजनीति में नाराज दक्षिणपंथियों के लिए इतना उत्तेजक बन गया कि वर्ष 2024 में शिकायत की भावना बदला लेने में बदल गई।

एस प्रसन्नराजन
संपादक, ओपेन मैगजीन

पीड़ितों के निर्वाचन क्षेत्र में हारने वाले की शहीद के रूप में छवि सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन गई। आखिरकार उन्हें जीत का अपना पल मिल गया। अब देखिए कि भारत में कौन चुनाव में धांधली की शिकायत कर रहा है। इनका ट्रंप से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव के विपरीत, वे भारत की बदली हुई राजनीतिक व्यवस्था में तेजी से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। वंशवादी संबंधों और पितृसत्ता की व्यवस्था पर बने पुराने गढ़ अब भारत की नई राजनीतिक ऊर्जा और इसकी सांस्कृतिक सामग्री का सामना नहीं कर सकते।

चुनावी धांधली के बारे में शिकायतें एक ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक बने रहने के कमजोर प्रयास हैं, जो तेजी से अपनी पुरानी पवित्रता को खो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में हार के प्रबंधन के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए और हारने वाला अब भी

विजेता के आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा है। आइए, चुनाव में धांधली को लेकर दुखी शरद पवार के बजाय हार के दार्शनिक युवराज के बारे में बात करते हैं। हारना और फिर भी विजेता की मुद्रा बनाए रखना राहुल गांधी की खासियत है। अगर आप चुनाव के बाद उनके नाराजगी भरे संरचनात्मक विश्लेषणों को पढ़ें, तो आप बुरी तरह हारने की भारी वास्तविकता को अपनी अंतरात्मा की जीत के सुखद एहसास में बदलने के उनके प्रयास को नहीं भूलेंगे। ऐसा लगता है कि उनके लिए राजनीति अब भी आत्म-साक्षात्कार की एक लंबी यात्रा है।

हर हार में अपनी पहचान साबित करने की इस प्रवृत्ति को और क्या समझा सकता है: एक राजनेता, जो अपने समाजशास्त्र के अनुकूल भारत की तलाश में है, न कि भारत को जीतने की जल्दी में। जब राजनीति एक अस्तित्वगत पहेली होती है, जिसे आप हमेशा सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, तो जीत और हार सापेक्ष होती हैं। जो चीज निरपेक्ष रहती है, वह है अपने अपनाए गए मार्ग के प्रति आपका विश्वास, चाहे वह आपको लगातार विफल ही क्यों न करे।

राहुल गांधी ने एक ऐसा भारत बनाया है, जिसमें पहचान और सामाजिक न्याय की घिसी-पिटी बयानबाजी से कच्चा माल मिलता है, जो उस भारत से बहुत दूर है, जो उन्हें नकारता है। शायद वह भी उस स्थिति से पीड़ित हैं, जो अन्य जगहों पर उदारवादियों को परेशान कर रही है: एक राजनीतिक अभियान, जो अमेरिकी लेखक मार्क लीला के अनुसार मसीहावाद बन गया है। पहचान की राजनीति के मोह में फंसे उदारवादियों को आईना दिखाते हुए उन्होंने लिखा: 'वे हार रहे हैं, क्योंकि वे उन गुफाओं में चले गए हैं, जो उन्होंने कभी एक बड़े पहाड़ के किनारे खुद के लिए बनाई थीं।' उनका मसीहावादी मिशन विफल होने के लिए अभिशप्त था, क्योंकि, जैसा कि उन्होंने कहा, 'मसीहावाद का मतलब सत्ता के सामने सच बोलना है। राजनीति का मतलब है सच्चाई की रक्षा के लिए सत्ता पर काबिज होना।'

राहुल गांधी सत्ता की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई के अपने संस्करण का बचाव कर रहे हैं। और चुनावी राजनीति में हार रहे हैं। वह बुरी तरह से हार रहे हैं, क्योंकि वह एक ऐसे भारत के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा है, भले ही उन्होंने सराहनीय ढंग से भारत जोड़ो यात्रा की हो, और वह इसे मोदी के खिलाफ अभियान समझ रहे हैं।

अगर किसी कारण के दुश्मन की पहचान करना नकारात्मक है, तो हर राजनीतिक अभियान कुछ हद तक नकारात्मक होता है, लेकिन लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक पर अपने पूरे राजनीतिक अस्तित्व का निर्माण करना उनकी दुनिया और मोदी को पसंद करने वाले भारत के बीच बढ़ती दूरी को समझने में उनकी विफलता को दर्शाता है। सत्ता उन्हीं लोगों को मिलती है, जो समझते हैं कि यह राजनीति का मूल कारण है। यह ऐसे समय में हमें लोकतंत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि की ओर ले जाता है, जब व्यवस्था पर ही तानाशाहों के प्रति सहज आज्ञाकारिता के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं।

भारत में, मोदी पर व्यवस्था को झुकाने का आरोप उसी राजनीतिक वर्ग द्वारा लगाया जा रहा है, जिसे इससे नकार दिया गया है। वे एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तर्क गढ़ने में असमर्थ साबित हुए हैं, जिसने चुनावी जीत को अपनी नैतिक प्रणाली का मूल मंत्र बना लिया है। सत्ता जिनके लिए कोई सफाई या क्षमा याचना नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव के लिए एक स्थायी संघर्ष है, जिसमें वह विश्वास करते हैं।

सत्ता उन लोगों के लिए एक नैतिक स्थिति है, जो लोगों की आकांक्षाओं पर अपनी राजनीति की मीनार गढ़ते हैं। सत्ता के खिलाफ उग्रतापूर्वक दुष्प्रचार करने वालों के पास इसे जीतने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। भारतीय राजनीति में एक ही व्यक्ति है, जो 'सत्य की रक्षा के लिए सत्ता हथियाता है।' जीतना उसका लक्ष्य है; और रोना दूसरों का पेशा है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

रॉबर्ट ग्रीन

जीवन में जो भी होता है, उसे हमारा रवैया निर्धारित करता है। विलियम जेम्स कहते हैं, 'मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह तथ्य है कि इन्सान अपने मानसिक रवैये में परिवर्तन लाकर खुद के जीवन में बदलाव ला सकता है।'

न कुछ के भीतर से भी अवसर पैदा कर सकते हैं

दुनिया को देखने का, अपने आसपास की घटनाओं और गतिविधियों की व्याख्या करने का, हम सबका एक खास ढंग है। यह हमारा रवैया है, और जीवन में हमारे साथ जो कुछ होता है, यह उसे निर्धारित करता है। अगर हमारा रवैया मूलतः डर का है, तो हम हर परिस्थिति में नकारात्मक चीजें ही देखते हैं। हम जोखिम उठाना बंद कर देते हैं, गलतियों का दोष दूसरे के मत्थे मढ़ते हैं और उनसे सीख लेने में विफल रहते हैं। अगर हम विद्वेष और संदेह महसूस करते हैं, तो हम अपनी उपस्थिति में दूसरों को भी वैसी ही भावनाएं महसूस करने के लिए बाध्य करते हैं। जिन परिस्थितियों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही परिस्थितियां पैदा कर हम अपने कॅरिअर और संबंधों पर कुठाराघात करते हैं। लेकिन मनुष्य का रवैया लचीला होता है। अपने रवैये को अधिक सकारात्मक, उदार और सहिष्णु बनाकर हम एक भिन्न गतिशीलता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम विपत्तियों से सीख सकते हैं, न कुछ के भीतर से भी अवसर पैदा कर सकते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हमें अपनी इच्छा शक्ति का पता लगाना चाहिए और इसका भी कि वह हमें कितनी दूर तक ले जा सकती है। विलियम जेम्स का कथन है, 'मेरी पीढ़ी की सबसे महान खोज यह तथ्य है कि इन्सान अपने मानसिक रवैये में परिवर्तन लाकर खुद के जीवन में बदलाव ला सकता है।'

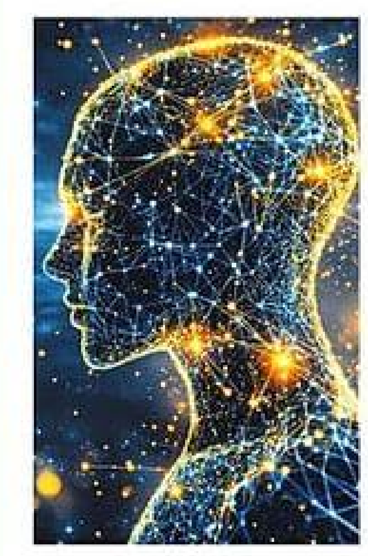

दरअसल, हम इन्सानों को ऐसा सोचना अच्छा लगता है कि हमें दुनिया का वास्तविक ज्ञान है। यह मानकर चलते हैं कि हम रोजमर्रा में जो भी अनुभव करते हैं, वह वास्तविकता है, जोकि हर किसी के लिए कमोबेश एक जैसी है। लेकिन यह एक भ्रम है। कोई भी दो व्यक्ति दुनिया को एक ढंग से नहीं देखते। हम जो अनुभव करते हैं, वह वास्तविकता का हमारा निजी रूप होता है, वह रूप जोकि हमारा गढ़ा हुआ होता है। इन्सान के रवैये को लेकर स्विट्जरलैंड के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग कहते हैं, 'रवैया हमारे चित्त की एक खास ढंग से क्रिया या प्रतिक्रिया करने की तत्परता है...रवैये के होने का मतलब किसी निश्चित चीज के लिए तैयार होना है, भले ही वह चीज अवचेतन हो; क्योंकि रवैया किसी निश्चित चीज की दिशा में तयशुदा प्रवृत्ति के होने का पर्याय है।' रवैयों की कई किस्में और मिश्रण होते हैं : जिन्हें हम नकारात्मक या संकीर्ण, सकारात्मक या विस्तीर्ण कहते हैं। नकारात्मक रवैये में भय, तो सकारात्मक में निर्भीकता प्रमुख होती है। रवैये के निश्चित संकेत तब मिलते हैं, जब हम विपरीत परिस्थितियों और प्रतिरोधों का सामना करते हैं, जैसे ही आप अपने रवैये की बनावट को, उसके नकारात्मक या सकारात्मक झुकाव को ठीक से समझ लेते हैं, वैसे ही आप में उसे बदलने की और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति आ जाती है। रवैये की भूमिका के प्रति सचेत होने के साथ ही, परिस्थितियों को बदलने की उसकी सर्वोच्च शक्ति में भी विश्वास करना चाहिए।

('द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर' के अनूदित अंश)

रवैये को नियंत्रित करें

सूत्र

शरीर और दिमाग एक हैं, और विचार भौतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। लोग निरी आकांक्षा और इच्छाशक्ति के बल पर अपनी बीमारी से जल्दी उबर सकते हैं। अगर आप ठान लें, तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके प्रति लोगों के व्यवहार का स्रोत अपने रवैये में देखिए, जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं।

दूसरा पहलू

शोध के अनुसार, जो लोग अच्छा पढ़ते हैं, उनका दिमाग भी अलग होता है। मस्तिष्क के समग्र विकास के लिए पढ़ना जरूरी है।

एक अच्छी किताब लें और पढ़ना शुरू करें

मनोरंजन के लिए पढ़ने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। ब्रिटेन के पचास फीसदी वयस्क नियमित नहीं पढ़ते। *द रीडिंग* एजेंसी के शोध के मुताबिक 16 से 24 वर्ष की अवस्था के वयस्कों में चार में से एक ने कहा कि वे कभी पाठक नहीं रहे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या लोग लिखे यानी टेक्स्ट के बजाय वीडियो को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? आखिर अच्छे पाठकों के मस्तिष्क की संरचना किस तरह की होती है?

न्यूरोइमेज में प्रकाशित मेरे एक नए अध्ययन में इसका पता चला है। मैंने एक हजार से ज्यादा प्रतिभागियों के डाटा का विश्लेषण किया, तो पाया कि अलग-अलग क्षमताओं वाले पाठकों के मस्तिष्क की संरचनाएं भिन्न-भिन्न थीं। जो लोग पढ़ने में अच्छे थे, उनके बाएं गोलार्ध में मस्तिष्क की संरचना अलग थी। दिमाग के इस हिस्से में अर्थपूर्ण जानकारियां एकत्रित व वर्गीकृत होती हैं। अब मान लीजिए कि 'पैर' शब्द का अर्थ पता लगाना हो, तो दिमाग का यही बायां हिस्सा इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को इकट्ठा करके पैर का अर्थ समझने का प्रयास करता है। दिमाग के इसी बाएं गोलार्ध का ऊपरी हिस्सा हेशल्स गाइरस कहलाता है, जो दिमाग की बाहरी परत का निर्माण करता है। दिमाग के दाएं हिस्से की तुलना में पढ़ने की कला का संबंध दिमाग के इन्हीं बाएं हिस्सों से होता है। चूंकि दिमाग के ये हिस्से ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए पढ़ने और शब्दों को समझने में भी इन्हीं की भूमिका ज्यादा होती है।

माइकेल रॉल

मस्तिष्क लचीला होता है और यह तब परिवर्तित होता है, जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या फिर पहले से हासिल कौशल का अभ्यास करते हैं।

यह विचारणीय है कि पढ़ने के कौशल को यदि हमने कम प्राथमिकता दी, तो एक प्रजाति के रूप में हमारा क्या होगा? इससे आसपास की दुनिया की व्याख्या करने और दूसरे के मन को समझने की क्षमता कम हो जाएगी।

स्पष्ट है, मस्तिष्क की संरचना हमें पढ़ाई के कौशल के बारे में बेहतर बता सकती है। खास बात यह है कि हमारा मस्तिष्क लचीला होता है और जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या फिर पहले से हासिल कौशल का अभ्यास करते हैं, तो इसमें बदलाव आते हैं। अगर आप कोई रचनात्मक कला सीखते हैं, तो इससे आपके दिमाग के दाएं हिस्से का विकास ज्यादा बेहतर ढंग से होता है। लेकिन अगर आप अपने हेशल को समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, तो एक अच्छी किताब लें और पढ़ना शुरू करें। अंत में, यह विचारणीय है कि पढ़ने के कौशल को यदि हमने कम प्राथमिकता दी, तो एक प्रजाति के रूप में हमारा क्या होगा? इससे आसपास की दुनिया की व्याख्या करने और दूसरे के मन को समझने की क्षमता कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें, तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ना न केवल खुद के लिए, बल्कि समाज के लिए भी बहुत जरूरी है।

(-द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

स्टार्टअप

केंद्र सरकार की मदद से देश भर में 1,52,139 स्टार्टअप चल रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।

महाराष्ट्र	27,014
कर्नाटक	16,093
दिल्ली	15,645
उत्तर प्रदेश	14,429
गुजरात	12,540

आंकड़े केंद्र सरकार से संबद्ध अग्रणी राज्यों के, स्टार्टअप के | स्रोत : MoC&I

भक्त कूर्मदास हाथ-पैर नहीं होने की वजह से पंढरपुर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने एक श्रद्धालु के हाथों चिट्ठी भिजवा दी। भगवान खुद चलकर उन्हें दर्शन देने के लिए आए।

कूर्मदास की भक्ति

भक्त कूर्मदास ज्ञानदेव और नामदेव के समकालीन थे और पैठण में रहते थे। उनके जन्म से ही हाथ-पैर नहीं थे। एक दिन उन्होंने हरिकथा में पंढरपुर की आषाणी-कार्तिकी एकादशी की यात्रा के माहात्म्य के बारे में सुना। उन्होंने पंढरपुर जाने का निश्चय कर लिया और पेट के बल घिसटते हुए पंढरपुर की ओर चल दिए।

कूर्मदास एक दिन में एक कोस से ज्यादा नहीं घिसट पाते थे। चार महीने में वह पैठण से लहुल नामक स्थान पर पहुंच गए, लेकिन अगले दिन कार्तिकी एकादशी थी। पंढरपुर वहां से सात कोस दूर था। कूर्मदास लाचार थे। उन्होंने कहा, 'क्या इस अभागे को भगवान के कल दर्शन नहीं होंगे? मैं कल तक वहां नहीं पहुंच सकता, क्या भगवान यहां तक नहीं आ सकते?' यह सोचकर उन्होंने पंढरपुर जा रहे एक श्रद्धालु से चिट्ठी लिखवाई, 'हे भगवान यह बेहाथ-पैर का आपका दास यहां पड़ा है, यह कल तक आपके पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए आप ही दया करके यहां आवें और मुझे दर्शन दें।' उस श्रद्धालु ने पंढरपुर पहुंचकर वह चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दी। इधर, लहुल में कूर्मदास रो-रोकर भगवान को पुकार रहे थे, 'हे भगवन! कब दर्शन दोगे, अभी तक क्यों नहीं आए, मैं तो आपका हूं न?' बताया जाता है कि करुण पुकार सुनकर पंढरीनाथ श्री विट्ठल ज्ञानदेव, नामदेव और सांवता माली, इन तीनों के साथ कूर्मदास के सामने आकर खड़े हो गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 16 अक्तूबर, 1962

नेफा जैसी कार्रवाई लद्दाख में भी की जाए : नानाजी

नेफा जैसी कार्यवाही लद्दाख में भी करने की मांग

जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख का भाषण

जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख ने प्रधानमंत्री नेहरू के उस वक्तव्य का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने चीनियों को खदेड़ने का सेना को आदेश दिया। नानाजी ने कहा कि लद्दाख में भी नेफा जैसी कार्रवाई होनी चाहिए।

प्राकृतिक खेती में ही भविष्य है

प्राकृतिक खेती से होने वाली फसलें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इससे मृदा के स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, जो सतत विकास के विचार के अनुकूल है।

भारत डोगरा | कृषि

देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे समाचार आ रहे हैं कि अनेक किसान प्राकृतिक खेती को अपनाकर पहले जितना ही उत्पादन कर रहे हैं (अथवा कहीं-कहीं इसे बढ़ा भी रहे हैं)। फर्क यह है कि उनका उत्पादन स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं अधिक बेहतर है और समुचित प्रयास करने पर इसके लिए बेहतर कीमत भी मिल रही है। दरअसल, बेहतर व्यय क्षमता वाले अनेक परिवारों में स्वास्थ्य के अनुकूल खाद्यों के लिए रुझान भी बढ़ रहा है और वे इसके लिए एक सीमा तक बेहतर कीमत भी देने के लिए तैयार हैं।

बड़े शहरों के कुछ मेलों और फूड फेस्टीवल आदि में दोगुनी से भी अधिक कीमत पर ऑर्गेनिक उत्पाद आसानी से बिक जाते हैं। यदि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का संबंध ऐसे उपभोक्ताओं से हो जाए, तो निश्चय ही उनकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकती है। विश्व के खाद्य बाजार में भी अपेक्षाकृत धनी देशों में प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए अधिक मांग है

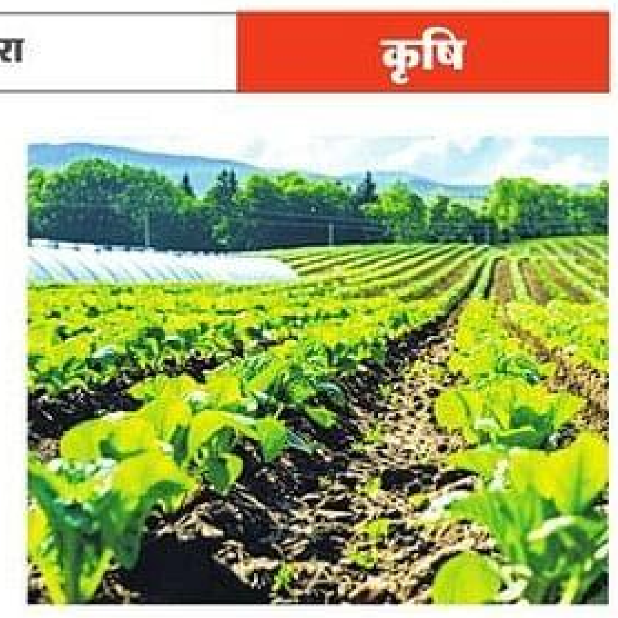

और वहां से इसके लिए अच्छी कीमत प्राप्त हो सकती है। वहां स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम खाद्य की परिभाषा एक ओर तो यह है कि इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशक आदि का उपयोग न हो, लेकिन साथ में यह भी है कि फसलें जीएम फसलों से मुक्त कृषि व्यवस्था में उगाई जाएं।

अतः यदि कोई भी देश इस तरह के खाद्यों के उत्पादन में आगे बढ़ता है, तो भविष्य में निश्चय ही उसके उत्पादों के लिए बेहतर कीमत विश्व स्तर पर मिल सकती है। यह अलग बात है कि अनेक शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह नहीं चाहती हैं व उनकी नीतियां व दबाव इससे विपरीत दिशा में हैं। संभवतः यही कारण है कि अनेक विकासशील देशों में प्राकृतिक खेती को उतना महत्व व समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जितनी जरूरत है। इसके बावजूद अनेक किसान व विशेषकर महिला किसान, इसे अपने स्तर पर अपनाते जा रहे हैं और इससे प्रसन्न व संतुष्ट हैं।

देश के अनेक दूर-दूराज के गांवों के ऐसे कई परिवारों और विशेषकर महिलाओं ने बातचीत होने पर बताया कि आमदनी जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, पर फिलहाल उन्हें इस उपलब्धि से बहुत संतुष्टि है कि उनके परिवार का स्वास्थ्य सुधर गया है व जो खर्च इलाज और दवा पर होता था, वह तो कम हो ही गया है। इसी तरह खेती भी पहले से बहुत सस्ती हो गई है। उन्होंने कहा कि जब खर्च कम हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो यह भी तो प्रगति ही है और बहुत टिकाऊ प्रगति है।

अनेक वैज्ञानिक अपनी ओर से इस सरल तर्क में यह जोड़ते हैं कि जो प्राकृतिक खेती विशेष तौर पर भारत के अनेक किसान अपना रहे हैं, वह जलवायु बदलाव के समय में विशेष तौर पर उपयुक्त है। जलवायु बदलाव का सामना करने के प्रायः दो पक्ष बताए जाते हैं, ग्रीनहाउस गैसों को कम करना व जलवायु बदलाव को सहने की क्षमता में वृद्धि करना। प्राकृतिक खेती में अधिक पेड़ों की उपस्थिति के माध्यम से और मिट्टी-संरक्षण कर उसकी कार्बन सोखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। रासायनिक खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि कम होने से जीवाश्म ईंधन का दबाव कम होता है। खेती सस्ती होने और नकदी खर्च कम होने से जलवायु बदलाव के मौसमी उतार-चढ़ाव सहने की क्षमता बढ़ती है। अतः जलवायु बदलाव कम करने व अनुकूलन के लिए देश और वैश्विक स्तर पर जो बजट उपलब्ध है, वह यदि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की सहायता के रूप में व्यय किया जाए, तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी।

प्राकृतिक खेती के प्रसार से गोवंश रक्षा की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, विशेषकर गोबर और गोमूत्र के बेहतर तथा वैज्ञानिक आधार के उपयोग की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। अतः गोशालाओं को अधिक सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनके संचालन में कोई भ्रष्टाचार न हो। साथ में यह भी जरूरी है कि सरकार उस तकनीक पर रोक लगाए, जिसके अंतर्गत केवल बछिया का जन्म होता है और बछड़े के जन्म की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

इस तकनीक का नाम सेक्स सॉर्टिड सीमेन तकनीक है और इसे तेजी से फैलाया जा रहा है। इसका संतुलित गोवंश विकास पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि संतुलित विकास के लिए किसी भी प्रजाति में नर व मादा दोनों आवश्यक हैं। अतः इस प्रकृति-विरोधी तकनीक पर रोक लगाकर प्राकृतिक खेती को और मजबूत किया जा सकता है।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

वैश्विक मापदंडों पर खरी उतर रहीं भारतीय प्रतिभाएं

भारतीय प्रतिभाएं दुनिया भर में लोहा मनवा रही हैं। हाल ही जारी की गई इंडिया स्किल रिपोर्ट इस दृष्टि से और सुखद संकेत दे रही है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 में 55 प्रतिशत भारतीय स्नातकों को वैश्विक स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है। यह आंकड़ा वर्ष 2024 के मुकाबले 4 फीसदी ज्यादा है। इंजीनियरिंग, एमबीए और एमसीए के छात्रों की मांग दुनियाभर में बढ़ी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व दिल्ली जैसे राज्य रोजगार योग्य प्रतिभाओं के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं।

प्रतिभाओं के मामले में भारत के बढ़ते कदम दुनिया को न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की मेहनत और सामर्थ्य का परिचय भी दे रहे हैं। अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन में भी भारतवंशी काश पटेल, विवेक रामास्वामी, तुलसी गबार्ड और जय भट्टाचार्य के बाद अब हरमीत ढिल्लों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अमरीकी कानून विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। यह अमरीकी प्रशासन और राजनीति में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को बता रहा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट भी बताती है कि वैश्विक कार्यबल की मांग को पूरा करने में भारत की भूमिका तेजी से बढ़ी है। साथ ही यह भी कि भारतीय युवाओं की कार्यक्षमता वैश्विक मापदंडों पर खरी उतर रही है। ऐसा भी नहीं है कि भारतीय युवा सिर्फ विदेश में ही जाकर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं बल्कि देश में भी सफलता की नई ऊंचाई छू रहे हैं। वर्ष 2024 के पहले 9 माह के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि अमरीका जाने वाले छात्रों की संख्या में करीब 38 फीसदी की कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण है कि अब देश में अवसर बढ़े हैं और भारतीय युवा देश में ही सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। स्टार्टअप और टेक कंपनियों की सफलता दुनिया को भारतीय प्रतिभा से परिचय करा रही है। इसके बावजूद अब हमें विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए दुनिया की बदलती जरूरतों और उनके निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। इसमें सर्वाधिक प्रभावी भूमिका युवाओं की होगी।

उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ना होगा। शोध और नवाचार के नए रास्ते तलाशने होंगे ताकि देश के युवा वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकें। वैश्विक स्तर पर सफलता से हमारी पहचान होगी तो निश्चित रूप में युवाओं के साथ हमारी संस्कृति और परंपराएं भी दुनिया में कोने-कोने में पहुंचेंगी। यह सफलताएं और परंपराएं निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित करेंगी।

चीन-नेपाल की दोस्ती : बीआरआइ के 'नए फ्रेमवर्क' को स्वीकारना भारत के लिए अखरने वाली बात होनी चाहिए

क्या चीन के सपनों में खो रहा नेपाल का भविष्य?

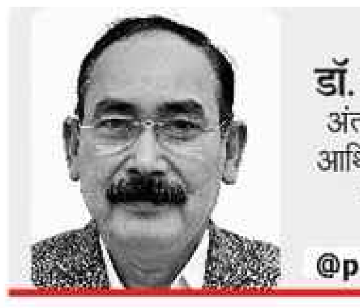

डॉ. रहीस सिंह
अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक मामलों के जानकार
@patrika.com

प्रधानमंत्री ओली नेपाल के हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं या चीन से बड़े-बड़े वादे कर देश पर भारी कर्ज लाद देने का बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या नेपाल सरकार की आंखों पर चीनी रंग का इतना गहरा चश्मा चढ़ा हुआ है कि उसे श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के उदाहरण नहीं दिख रहे?

नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने चौथी बार पद ग्रहण के बाद अपनी पहली कूटनीतिक यात्रा के लिए नई दिल्ली की बजाय बीजिंग को चुनकर एक संदेश देने की कोशिश की है। यद्यपि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। वर्ष 2008 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रचंड ने अपनी पहली कूटनीतिक यात्रा के लिए बीजिंग को ही प्राथमिकता दी थी। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमएल) का झुकाव चीन की तरफ रहा है, इसलिए ओली का यह निर्णय अनापेक्षित नहीं है। परन्तु राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआइ) के 'नए फ्रेमवर्क' को स्वीकारना भारत के लिए अखरने वाली बात होनी चाहिए।

सवाल यह उठता है कि 'बीआरआइ' के जरिए ओली नेपाल के हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं या चीन से बड़े-बड़े वादे कर देश पर भारी कर्ज लादने का बंदोबस्त कर रहे हैं? क्या ओली की आंखों पर चीनी रंग का इतना गहरा चश्मा चढ़ा हुआ है कि उन्हें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के उदाहरण नहीं दिख रहे? नेपाल की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि चीन बीआरआइ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल होने का उद्देश्य है ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है ताकि नेपाल को बिजनेस और कनेक्टिविटी के एक रीजनल सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके। तात्पर्य यह कि चीन, नेपाल को एक बहुत बड़ा सपना दिखा रहा है कि वह बीआरआइ के जरिए नेपाल की एशिया के दूसरे देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा जिससे उसका आर्थिक रूपांतरण (ट्रांसफार्मेशन) हो सके। प्रधानमंत्री ओली भी चीन की भाषा ही बोल रहे हैं। वे भी बीआरआइ को नेपाल के लिए गेम चेंजर बता रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई भी यही है? अगर बीआरआइ की माइक्रो और मैक्रो, दोनों ही स्तर पर आकलन किया जाए तो आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि यह नेपाल के विकास को कौन सी दिशा देगा और उसकी विदेश नीति को किधर ले जाएगा। ऐतिहासिक रूप से भारत से कनेक्ट नेपाल के विषय में जवाहर लाल नेहरू ने संसद में भाषण देते कहा था- '... यहां तक कि एक बच्चा भी जानता है कि भारत से होकर गुजरे बिना कोई नेपाल नहीं पहुंच सकता। इसलिए किसी अन्य देश के साथ नेपाल के उतने घनिष्ठ संबंध नहीं हो सकते जितने हमारे साथ। हम चाहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र भारत व नेपाल के बीच स्थापित घनिष्ठ भौगोलिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकारे।' परन्तु अब यह सत्य नेपथ्य में जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि नेपाल अब उन प्रवेश द्वारों का निर्माण करने की कोशिश में है जिससे कि भारत से गुजरे बिना ही कोई भी नेपाल पहुंच सके।

नेपाल भले ही इसे भारत पर निर्भरता को कम करने जैसा तर्क दे परंतु चीन इसके जरिए वहां भारतीय हितों को काउंटर करने में ही सफल नहीं हो रहा है बल्कि भारत-नेपाल सीमाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर ले जा रहा है। हालांकि नेपाल की यह खिसकन उसी समय शुरू हो गई थी जब नेपाली सत्ता पर माओवाद ने कब्जा करने में सफलता पा ली थी। हालांकि अभी तक वह पूरी तरह से चीनी 'ऋण जाल' (डेट ट्रैप) में नहीं फंसा था। परंतु अब चीन बीआरआइ प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 'एड एंड इन्वेस्टमेंट' की बात कर रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि चीनी 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' (ऋण-जाल कूटनीति) का अगला शिकार वही होगा। दुनिया जानती है कि जो भी देश उसका कर्ज चुकाने में नाकाम होता है, उसकी रणनीतिक संपत्ति (स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी) चीन अपने कब्जे में ले लेता है। श्रीलंका के हंबनटोटा, पाकिस्तान ग्वादर और मालदीव सहित ऐसे कई उदाहरण हैं जो चीनी डेट ट्रैप की कहानी बयां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नेपाल भी इन एशियाई देशों की राह चलेगा या बचकर निकलेगा? हालांकि बचने की संभावनाएं न के बराबर हैं।

चीन द्वारा विकासशील और अल्पविकसित देशों में किए जा रहे निवेश और दिए जा रहे ऋण 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' का हिस्सा हैं। इसके तहत वह दो तरह से देता है। एक-छुपा हुआ ऋण (हिडेन डेट) और दूसरा-सीधे तौर पर दिए जाने वाला ऋण (डायरेक्ट डेट)। ध्यान रहे कि चीनी कर्ज का एक बड़ा हिस्सा छुपे हुए ऋण (हिडेन क्रेडिट्स) के रूप में होता है जिसे वह अलग-अलग चीनी इकाइयों से देता है। कर्ज वापस न देने पर चीन वहां अपना हक जताता है। ध्यान रहे कि नेपाल की चीन से बीआरआइ प्रोजेक्ट को लेकर 2017 से बातचीत चल रही थी। नेपाल इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की जगह अनुदान (ग्रांट) की मांग कर रहा था। लेकिन चीनी पक्ष ने 'नए फ्रेमवर्क' में 'ग्रांट' को जगह नहीं दी बल्कि उसके स्थान पर 'एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस' शब्द स्थापित कर दिया और प्रधानमंत्री ओली ने इसे ही स्वीकार कर लिया। सामान्यतया यह फ्रेमवर्क तीन वर्ष तक मान्य रहेगा लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द नहीं करता है तो यह आगे भी जारी रहेगा। वैसे नेपाल के वश में भी यह नहीं है कि वह इसे रद्द कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि अब नेपाल में चीनी रेनमिनबी (चीनी मुद्रा) और मंडारिन (चीनी भाषा) नेपाल को नई दिशा देने का काम करेंगी। एक नेपाली थिंक टैंक का मानना है कि नए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होना चिंता का विषय नहीं है लेकिन अब चीनी अध्यापक नेपाल में मंडारिन सिखाने आएंगे। यानी चिंता का असल विषय यह है कि मंडारिन नेपाल में वही कार्य करेगी जो औपनिवेशिक काल में भारत में अंग्रेजी ने किया था। वैसे यह सिलसिला चीन पहले ही शुरू कर चुका है, लेकिन अब यह रणनीतिक स्तर पर क्रियान्वित हो सकता है।

नेपाली थिंक टैंक-'सेंटर फॉर सोशल इन्क्लूजन एंड फेडरलिज्म' का कहना है कि बीआरआइ महज 'इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' नहीं है, यह पश्चिम के दबदबे वाले 'वर्ल्ड ऑर्डर' को चुनौती देने वाला प्रोजेक्ट भी है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। चीन बीजिंग और शंघाई में ऐसी वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कर रहा है जो 'सॉफ्ट पावर गेम' में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। जैसे-जैसे वह इसमें आगे बढ़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय बाजारों को आच्छादित करेगी और उसकी सेना हिन्द-प्रशांत के रणनीतिक हितों को। फिलहाल देखना यह है कि चीन रेनमिनबी-मंडारिन द्वारा भारत-नेपाल के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कनेक्ट (अयोध्या-जनकपुर, लुम्बिनी-कुशीनगर) को किस सीमा तक प्रभावित करता है।

फैक्ट फ्रंट

वूड थ्रश

वूड थ्रश, उत्तरी अमरीका के घने जंगलों में पाया जाने वाला पक्षी है, जिसे सबसे सुंदर गाने वाले पक्षियों में शामिल किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हिलोसिचला मस्टेलिना है। इसकी पीठ और सिर का रंग भूरा होता है, जबकि इसके पेट और छाती पर हल्की सफेद धारियां होती हैं। इसके पंखों पर भी छोटे सफेद धब्बे होते हैं। वूड थ्रश के गीत प्रजनन मौसम में विशेष रूप से सुनाई देते हैं। नर वूड थ्रश, अपने प्रतिद्वंद्वी के गीत का उत्तर अलग-अलग तरह के गीतों से देते हैं। इसकी आवाज जंगलों में दूर से ही सुनी जा सकती है, खासकर रात के समय। यह पक्षी मुख्य रूप से कीड़े, फल और छोटे शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहता है। वूड थ्रश को उन पक्षियों की येलो वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है, जो विलुप्त होने के ज्यादा करीब हैं।

प्रसंगवश

माफिया पर अंकुश ही रोक पाएगा बजरी का अवैध खनन

सरकार माफिया पर अंकुश की कोई नई शुरुआत करती है तो बजरी माफिया दो कदम आगे नजर आते हैं।

बजरी माफिया पर अंकुश लगाने के सरकारी स्तर पर तमाम प्रयास मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। हालत यह है कि सरकार इन माफिया पर अंकुश के लिए कोई नई शुरुआत करती है तो बजरी के अवैध खनन व परिवहन में जुटे माफिया दो कदम आगे निकलते नजर आते हैं। सरकार ने बजरी ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू की तो ये माफिया नीलामी न होने देने पर तुले हैं। एक तरफ जनता को सस्ती बजरी की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही तो दूसरी तरफ बजरी माफिया लगातार पनपते जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही हर जिले में बजरी खनन के छोटे-छोटे ब्लॉक बनाकर उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। दूसरे लोग नीलामी से दूर रहे, इस मकसद से ये माफिया अपने ही लोगों के जरिए बढ़-चढ़ कर बोली की रकम लगा रहे हैं। ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नीलामी में शामिल ही नहीं हो। इतना ही नहीं माफिया से जुड़े ये लोग कई मामलों में तो अमानत राशि तक जमा नहीं करा रहे। जाहिर है नीलामी प्रक्रिया अटक गई तो बाजार में बजरी की मांग पूरी करने के लिए अवैध कारोबारियों की चांदी हो जाएगी। नीलामी नहीं होने के पीछे एक मुख्य कारण बीसलपुर से डिसिल्टिंग (गाद निकालना) के नाम पर हो रहे बजरी व ग्रेवल खनन को भी माना जा रहा है।

सरकार ने हाल ही एक कम्पनी को 20 साल के लिए बीसलपुर बांध की डि-सिल्टिंग कार्य का ठेका दिया है। बीसलपुर क्षेत्र से जुड़े पंडेर कस्बे (जहाजपुर) के पास बनास नदी से रोजाना सैकड़ों डंपर व ट्रेलर बजरी के निकाले जा रहे हैं। इससे सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। जहाजपुर से यह बजरी भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, देवली, टोंक के साथ पड़ोसी राज्यों में भेजी जा रही है। राजनेताओं व नौकरशाहों की शह से अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। खान विभाग से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि बजरी नीलामी के लिए अमानत राशि 40 लाख से बढ़ाकर कम से कम एक करोड़ रुपए करना चाहिए। साथ ही एक ही जिले में एक साथ 15 से 20 ब्लॉक की निविदाएं निकालनी चाहिए। किसी भी बजरी या खनन माफिया को एक साथ सभी ब्लॉक में नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बड़ी रकम का इंतजाम करना होगा। अन्य औपचारिकताएं होंगी सो अलग। इसके अलावा जिन ब्लॉक की नीलामी निरस्त होती है तो उसे तुरंत सात दिन में पुनः निविदाएं निकालनी चाहिए। इससे बजरी माफिया पर अंकुश लग सकेगा।

- अनिल सिंह चौहान
anil.chauhan@in.patrika.com

समाज का हित : स्वस्थ भारत के लक्ष्य का स्तंभ है 'तंबाकू-मुक्त भारत'

तंबाकू उत्पादों और कार्बोनेटेड पेय पर 'सिन टैक्स' से कई फायदे

गोपाल कृष्ण अग्रवाल
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ
@patrika.com

देशभर में टैक्स में एकरूपता लाने और जटिलता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने सात साल पहले ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था लागू की थी। सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को संघीय भावना से संचालित करने का उदाहरण भी बनाया है। इसी क्रम में छह राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के समूह (जीओएम) को करों की दरों पर नए सिरे से विचार करने का जिम्मा दिया गया। इनकी सिफारिश पर अब जल्द ही जीएसटी परिषद में विचार किया जाएगा। यह ऐसा मौका है जब उन जरूरी चीजों की जीएसटी दरों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है जिनका उपयोग रोजाना की जिंदगी में जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ हमें लोक कल्याण के कामों के लिए राजस्व भी सुनिश्चित करना है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन चीजों पर कर बढ़ाया जाए जिनका उपयोग समाज और उपयोग करने वाले के भी हित में नहीं है। 'स्वस्थ भारत' का जो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य केंद्र सरकार ने सामने रखा है, 'तंबाकू-मुक्त भारत' उसका एक प्रमुख स्तंभ है। इसके तहत लगातार उपाय करते हुए तंबाकू का उपयोग क्रमिक रूप से सीमित करते जाना है।

2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की 28.6 प्रतिशत वयस्क आबादी तंबाकू का उपयोग कर रही है। इसकी वजह से सालाना 13 लाख मौतें हो रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। तंबाकू हमारी सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) पर एक प्रतिशत से ज्यादा का बोझ अकेले डाल रहा है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की सदस्य डॉ. शमिका रवि की हाल की रिपोर्ट 'चेंजेज इन इंडियाज फूड कंजम्पशन एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस' बताती है कि तंबाकू जैसे आदत पैदा करने वाले पदार्थों पर प्रति परिवार खर्च पिछले एक दशक में बढ़ा है। यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। दुनियाभर के अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए करों को बढ़ाना बहुत प्रभावी और उपयोगी कदम है। तंबाकू उत्पादों पर चार तरह के कर लगते रहे हैं। जीएसटी, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कंपंसेशन सेस। जीएसटी व्यवस्था के शुरू होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को जीएसटी में समाहित कर दिया गया था। 2019-20 के बजट में इस बहुत कम दर पर दुबारा शुरू किया गया। लेकिन यह दर इतनी कम है कि सिगरेट पर कुल टैक्स में उत्पाद शुल्क का हिस्सा पहले जहां 54% था, अब सिर्फ 8% रह गया है। इसी तरह बीड़ी पर 17% से घट कर 1% और चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर 59% से घट कर 11% हो गया।

जीएसटी लागू होने के पहले जहां राज्य और केंद्र सरकारें बजट में तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाती रहती थीं, जीएसटी लागू होने के बाद एक तो तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ोतरी थम गई और दूसरी तरफ क्रमिक रूप से प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती रही। इस तरह तंबाकू उत्पाद खरीदना लोगों के लिए ज्यादा आसान होता गया। कई अध्ययन बताते हैं कि दूसरे उपभोक्ता उत्पादों के मुकाबले तंबाकू उत्पादों की मूल्य बढ़ोतरी कम हुई है। यह बात सही है कि कारोबारी सुगमता के लिए टैक्स स्लैब सीमित रहें, लेकिन नुकसानदेह चीजों यानी 'सिन गुड्स' के लिए अलग से एक दर बनाया जाना बहुत उपयोगी है। जहां दूसरी दरें सैकड़ों तरह की चीजों पर लागू होती हैं, 'सिन गुड्स' पर लगने वाली विशेष दर कुछ सीमित तरह के नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के लिए ही लागू होगी। ऐसे प्रगतिशील और समाज उपयोगी कदम हमारी अर्थव्यवस्था को प्रगति की राह पर ले जाएंगे और संतुलित विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे।

धरती का इंद्रधनुष : अद्‌भुत रंगों से सजे पहाड़

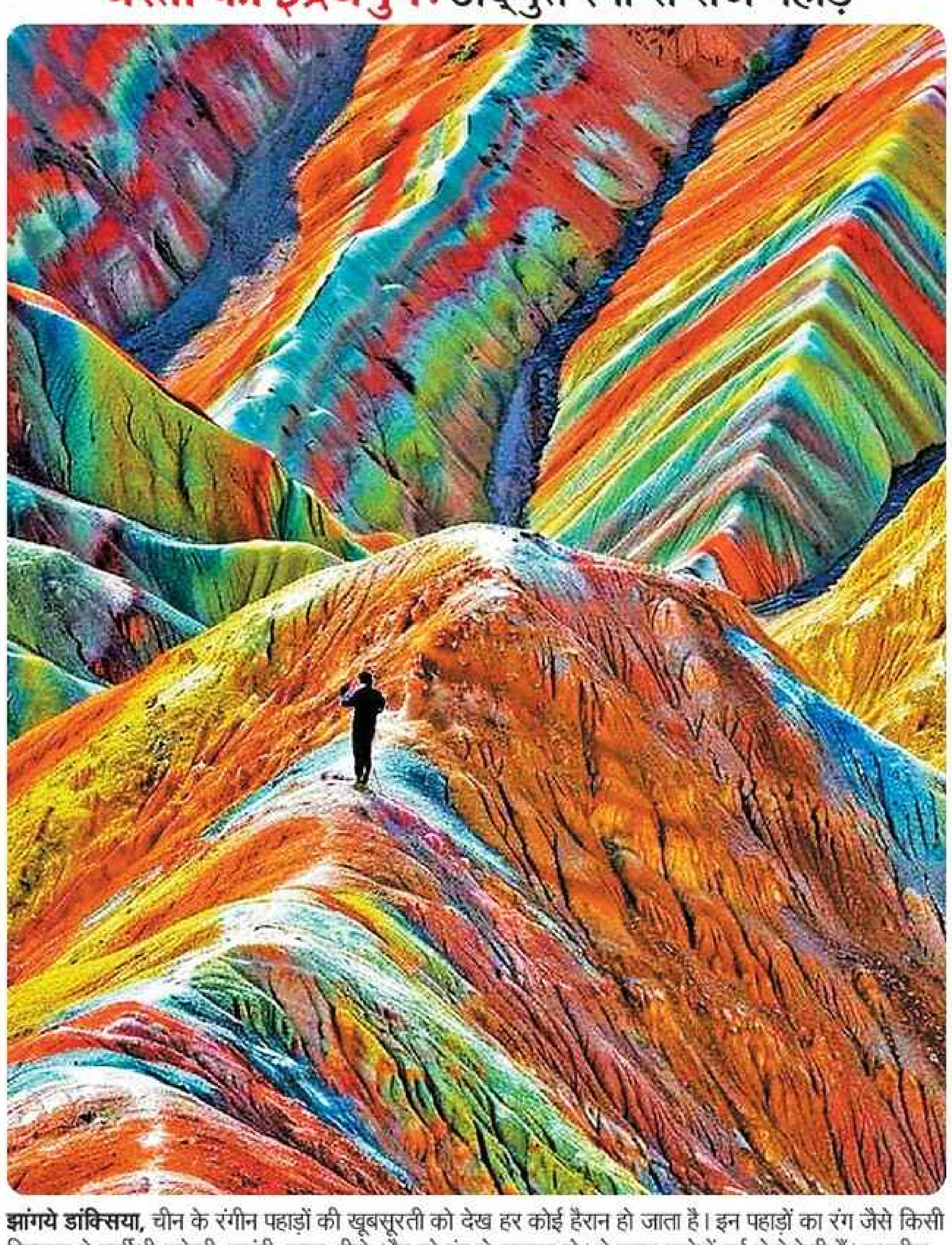

झांगये डांक्सिया, चीन के रंगीन पहाड़ों की खूबसूरती को देख हर कोई हैरान हो जाता है। इन पहाड़ों का रंग जैसे किसी चित्रकार ने बर्फीली सफेदी, नारंगी, लाल, पीले और हरे रंग से सजाया हो। ये पहाड़ करोड़ों वर्ष से ऐसे ही हैं। स्थानीय लोग इसे धरती का इंद्रधनुष मानते हैं। 2009 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल किया गया था।

चिंता : सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मानव जीवन के अंत जैसी व्यक्तिगत चाहतों पर प्रभावी बंधन कैसे लग पाएगा

इच्छामृत्यु के अधिकार पर कानून बनाने की ओर बढ़ती दुनिया

शादी हमीद
स्तंभकार तथा फुलर सेमिनरी (कैलिफोर्निया) में शोध प्राध्यापक, 'द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी' सहित कई पुस्तकों के लेखक
द वाशिंगटन पोस्ट
से विशेष अनुबंध के तहत

अमरीका में इच्छामृत्यु केवल उदारवादी माने जाते 11 राज्यों में कानूनी है। यह एक महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। यहां धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं के चलते ऐसे कदमों का विरोध होता है।

मैंने हाल ही मृत्यु के बारे में बहुत सोचा। किसी विकृत दृष्टि से नहीं, बल्कि इस नजरिये से कि मृत्यु और इसका सामना करने का हमारा तरीका हमारे समाज में हमारी असलियत के बारे में क्या बताता है। क्या मरने का अधिकार है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसका पुष्ट अधिकार प्रदान करे? 29 नवंबर को ब्रिटिश सांसदों ने पार्लियामेंट में बहस के बाद लाइलाज बीमारियों के मामलों में इच्छामृत्यु को वैध बनाने के लिए मतदान किया। इच्छामृत्यु को वैध बनाने के मामले में ब्रिटेन अन्य अंग्रेजीभाषी और यूरोपीय देशों की तुलना में अपेक्षाकृत देर आयद है। लेकिन अब तक के अनुभव और इस नीति के दायरे को लेकर बढ़ती चिंताओं से उदारवाद की क्षमता पर सवाल खड़े होते हैं कि यह मानव जीवन के अंत जैसी व्यक्तिगत चाहतों पर प्रभावी बंधन कैसे लगा पाएगा।

2001 में इसकी शुरुआत करने वाला नीदरलैंड्स उदाहरण है कि उदार लोकतंत्र किस दिशा में जा रहे हैं। वहां आरंभ में केवल असाध्य रोग पीड़ितों के लिए सीमित यह कदम अब और आगे बढ़ गया है। मानसिक विकार, डिमेंशिया और यहां तक कि पूर्ण जीवन लब्धि से संतुष्ट बुजुर्गों के मामलों में भी इच्छामृत्यु दी जा रही है। इच्छामृत्यु के दायरे के विस्तार की इच्छा किसी सुसंगत नैतिक ढांचे पर आधारित नहीं, अपितु अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वाभाविक रूप से बेहतर मानने के प्रबल मनोभाव से प्रेरित दिखती है। बेल्जियम नाबालिगों को भी इच्छामृत्यु की अनुमति देता है। स्विट्जरलैंड 'आत्महत्या पर्यटन' का गंतव्य बन गया है। जर्मनी ने 'स्वनिर्धारित मृत्यु' के मौलिक अधिकार को कानूनी मान्यता दे दी है। सबसे ज्यादा तो कनाडा चौंकाता है, जिसने 'मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग' (मेड) के तहत लगभग 45,000 नागरिकों को अपना जीवन समाप्त करने में मदद की है। यह कार्यक्रम धीरे-धीरे मानकों में ढील और सार्वजनिक उदासीनता का प्रतीक बन गया है। सरकार की अपनी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इसमें हर साल लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हम पश्चिमी दुनिया में देख रहे हैं कि इस बढ़ती हुई पसंद की तार्किक परिणति क्या है। कनाडा में 'मेड' का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पर्याप्त आवास या चिकित्सा देखभाल न मिल पाने पर नागरिक विकल्प के रूप में 'मेड' के लिए आवेदन कर रहे हैं।

यह भयावह लग सकता है, लेकिन वास्तविकता है। उस समाज ने जहां टोरंटो के कुख्यात ठुंसे हुए आवासीय इलाके में एक अपार्टमेंट खोजने की तुलना में मरना आसान हो, अपने समाज होने का मूलभूत अर्थ खो दिया है। एक व्यक्ति ने इसे इस तरह कहा, 'मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मैं बेघर होने से मरना ज्यादा पसंद करूंगा।' एक सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत कनाडाई नागरिकों ने चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में समर्थ न होने को इच्छामृत्यु के लिए पर्याप्त कारण माना है। दरअसल, हम परंपरागत रूप से जीवन और मृत्यु जैसे प्रश्नों का अर्थ बताने वाली अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक बनावट से दूर चले गए हैं और उसकी जगह उठाकर हमने व्यक्तिगत पसंद और सहमति का नीरस विचार रख दिया है। अमरीका में इच्छामृत्यु केवल उदारवादी माने जाते 11 राज्यों में कानूनी है। यह एक महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। यहां धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं के चलते ऐसे कदमों का विरोध होता है। लेकिन कैलिफोर्निया में 'एंड ऑफ लाइफ ऑप्शन एक्ट' के तहत इच्छामृत्यु के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और 2022 में इसमें 63% की वृद्धि दर्ज की गई।

उदारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी बाहरी खतरे नहीं, बल्कि इसके आंतरिक विरोधाभास हैं। यह मुद्दा किसी एक देश तक सीमित नहीं है। अगर हमने मानव समृद्धि को केवल विकल्पों तक सीमित कर दिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। परिवर्तन अच्छा होता है, लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन अनपेक्षित व अनचाही आपदाएं ला सकता है।

आपकी बात

हरित क्रांति की आवश्यकता है

भारत में अत्यधिक प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग है। जिस प्रकार उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अब ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी हरित क्रांति की दिशा में प्रयास हो। - **लता अग्रवाल,** चित्तौड़गढ़

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) की ओर बढ़ने के लिए सरकार किस तरह के प्रयास करे?' ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/vL8Fr

इसे स्कैन करें

आज का सवाल

देश में बढ़ती रिश्वतखोरी को कैसे रोका जा सकता है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

चिंतन

आशान्वित होना ठीक पर आर्थिक चुनौती है बड़ी

सरकार नए बजट की तैयारी में है, लेकिन चालू वित्त की दूसरी तिमाही में जीडीपी दर गिरने के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती बढ़ गई है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2024 के ग्रैंड फिनाले में भाग लेने वाले युवा अन्वेषकों (इनोवेटरों) से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत लक्ष्य, भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। पीएम ने टेक पावर और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की नई ताकत के रूप में उद्धृत किया है और साइबर खतरे से निपटने की चुनौती को अहम बताया है। आशान्वित होना अच्छी बात है, लेकिन आंकड़े अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की गवाही नहीं दे रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ धीमी हो गई है। इसके चलते रिजर्व बैंक के साथ ग्लोबल एजेंसियां भी भारत के जीडीपी अनुमान को घटाने लगी हैं। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने निजी निवेश तथा आवास मांग में उम्मीद से कम वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को भी 7.2 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में सात तिमाहियों के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई थी, जबकि आरबीआई ने स्वयं इसके सात प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया था। केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति का अनुमान भी बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया था। भारत उच्च खाद्य महंगाई का सामना कर रहा है, रिजर्व बैंक के मौद्रिक उपायों के बावजूद खाने-पीने की चीजों की कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं। आज ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कार्यभार संभाला है और कहा है कि आरबीआई चुनौतियों से निपटने को सतर्क और सजग बना रहेगा, केंद्रीय बैंक नीतिगत मोर्चे पर स्थिरता को बनाए रखेगा। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल में मौद्रिक उपायों को देखें तो नए गवर्नर के लिए महंगाई, एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) और बैंकिंग व वित्तीय सिस्टम में स्थिरता बनाए रखना कठिन होगा। अभी जब दुनिया में अनेक स्तर पर वित्तीय सुस्ती व अस्थिरता है, ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रोथ की पटरी पर दौड़ाना और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर रखना आसान नहीं है। भारत के निर्यात में गिरावट है, चीन से व्यापार घाटा सौ अरब डॉलर का है, राजकोषीय घाटा भी लक्ष्य से आगे है, सार्वजनिक निवेश में कमी दर्ज की गई है, निजी निवेश व एफडीआई प्रवाह में कमी है, सरकारी खजाने पर रेवड़ियों का वित्तीय बोझ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार पर सवाल खड़ा कर चुका है। ऐसे में जहां सरकार के लिए अर्थव्यवस्था की गति को बूस्ट करना चुनौती है, वहीं रिजर्व बैंक के लिए वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। पूर्व राजस्व सचिव से आरबीआई के नए गवर्नर बने संजय मल्होत्रा के लिए चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी होगी। बजट की तैयारी में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय उद्योग जगत के वाणिज्यिक विचारों को अर्थव्यवस्था, राष्ट्र की आर्थिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक जरूरतों के साथ मिलाने की जरूरत है। वित्त मंत्री का भारतीय उद्योग जगत को साफ संदेश है कि देश के औद्योगिक व रोजगार सृजन के लक्ष्यों के साथ कदम मिलाकर चलें। अर्थव्यवस्था को लेकर आशान्वित होना ठीक पर जमीनी चुनौती बड़ी है।

लैंगिक विभेद की नई लकीर

बेंगलुरु मामला
डा. मोनिका शर्मा

> अतुल के शब्द असल में शादीशुदा जिंदगी की दमघोटू परिस्थितियों से लेकर कानूनी व्यवस्था के रुख और करीबी रिश्तों में भी स्थान बना चुकी हद दर्जे की स्वार्थी सोच का लेखा जोखा हैं। कैसी विडम्बना है कि मौजूदा समय सबसे चर्चित क्षेत्र में कार्यरत एक आत्मनिर्भर युवा ने यह कहते हुए जिंदगी से मुंह मोड़ लिया कि उसके पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। दुनिया से जा चुके युवा चेहरे ने उन लोगों को ख़ुदकुशी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिनका साथ किसी भी तरह के बिखराव में संबल दे सकता था। ज्ञात हो कि अतुल ने पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर को अपनी जान देने की वजह बताते हुए न्यायिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है।

बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र के इंजीनियर की आत्महत्या का मामला वैवाहिक सम्बन्धों की उलझन और क्षणिक आक्रोश के चलते जान दे देने की घटना भर नहीं है। 34 साल के अतुल सुभाष ने जीवन से हारने से पहले बाकायदा एक घंटे बीस मिनट का वीडियो और 24 पृष्ठों का पत्र लिखकर अपनी बातें कही हैं। अतुल ने समग्र समाज के लिए बहुत से प्रश्न भी छोड़े हैं। पारिवारिक व्यवस्था में उलझते मन-जीवन की हकीकत बयान की है। कानूनी और प्रशासनिक मोर्चे पर मौजूद खामियों को सामने रखा है। मौखिक हों या लिखित, अतुल के शब्द असल में शादीशुदा जिंदगी की दमघोटू परिस्थितियों से लेकर कानूनी व्यवस्था के रुख और करीबी रिश्तों में भी स्थान बना चुकी हद दर्जे की स्वार्थी सोच का लेखा जोखा हैं। कैसी विडम्बना है कि मौजूदा समय सबसे चर्चित क्षेत्र में कार्यरत एक आत्मनिर्भर युवा ने यह कहते हुए जिंदगी से मुंह मोड़ लिया कि उसके पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है।

दुनिया से जा चुके युवा चेहरे ने उन लोगों को ख़ुदकुशी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिनका साथ किसी भी तरह के बिखराव में संबल दे सकता था। ज्ञात हो कि अतुल ने पत्नी, सास, साले और चचेरे ससुर को अपनी जान देने की वजह बताते हुए न्यायिक व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए पत्र में लिखा है कि मामले को रफा-दफा करने के लिए उससे 5 लाख रुपये मांगे गए। साथ ही यह भी लिख छोड़ा है कि पत्नी और सास ने आत्महत्या कर लेने को लेकर भी तानेबाजी की। हर ओर से निराश प्रतीत होते अतुल के कमरे से 'जस्टिस इज ड्यू' यानी 'न्याय बाकी है' लिखी एक तख्ती मिली। आत्महत्या की इस घटना का सबसे चिंतनीय पक्ष यह है कि दुनिया से जाने वाला इंसान एक सजग व्यक्ति था। देश की कानूनी व्यवस्था से लेकर अपने पीछे रह गए परिजनों की चिंता तक, बहुत कुछ उसकी बातों में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखे पत्र में देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों और पुरुषों के विरुद्ध झूठे मामले दर्ज कराने के चलन की बात की है। अपनी पत्नी की ओर से दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय से अनुरोध किया है कि इन झूठे मामलों में मेरे माता-पिता और भाई को परेशान करना बंद किया जाए।

बिखरे वैवाहिक संबंध को लेकर कहा है कि पत्नी को हर महीने 40 हजार रुपये संरक्षण राशि देता हूं, लेकिन अब बच्चे को पालने के लिए 2-4 लाख रुपये प्रतिमाह और मांगा जा रहा है। साथ ही मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने दिया जाता है और न बात करने दिया जाता है। इतना ही नहीं, पत्नी ने इस मामले का निपटारा करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपये और फिर 3 करोड़ रुपये की मांग की। इस मांग के विषय में पारिवारिक न्यायालय की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अब तक लगी 120 तारीखों में उसे उसके माता-पिता को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। विचारणीय है कि बेंगलुरु की यह घटना हो या ऐसा ही कोई अन्य मामला। पुरुषों की मुश्किलों की सुनवाई कम ही होती है। खासकर भावनात्मक पक्ष को समझने का व्यवहार आज भी

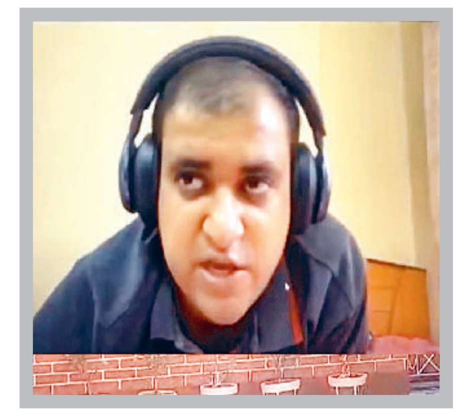

नदारद है। वैवाहिक सम्बन्धों में बिखराव के बाद खेले जाने वाले आरोपों-प्रत्यारोपों के खेल में आज भी समाज पुरुषों को पीड़ित मानने को तैयार नहीं होता। कभी-कभी तो अपने ही परिवार का साथ और सहानुभूति भी नहीं मिलती। इतना ही नहीं, भारतीय कानून भी महिलाओं के पक्ष में ही हैं। ऐसे में कहीं सुनवाई न होने की स्थिति पुरुषों को भी मन की टूटन की ओर धकेलती है।

आम परिवार अब बेटों के वैवाहिक रिश्तों को लेकर भी डरे-सहमे से रहने लगे हैं। हालिया बरसों में हमारे यहां पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते आंकड़े निराशा, असहयोग और अकेलेपन के ऐसे ही हालातों से मिलवाते हैं, जो किसी विमर्श का हिस्सा नहीं बनते। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) के मुताबिक 20 से 24 वर्ष की उम्र के वयस्कों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या से जीवन गंवाने की संभावना पांच गुना अधिक है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ की पिछले साल आई रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच भारतीय पुरुषों में आत्महत्या के मामलों में एक तिहाई से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। 7 वर्षों के इन आंकड़ों में विवाहित पुरुषों के मामले में स्थिति और भी चिंतनीय रही। यह कटु सच है कि बीते कुछ बरसों में समाज में लैंगिक विभेद की नई लकीर खींच गई है। वैवाहिक दुष्कर्म, दहेज की मांग और घरेलू हिंसा जैसे कानूनों का सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा दुरुपयोग पारिवारिक बिखराव का कारण बन रहा है। आए दिन कानूनों के बेजा इस्तेमाल के वाकये सामने आ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि समानता और सम्मान के मोर्चे पर महिलाओं को लेकर आया हर बदलाव सकारात्मक नहीं है। हम स्त्री-पुरुष एक भेद से परे मानवीय पहलुओं पर बराबरी का परिवेश नहीं बना पाये। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बने न्यायिक प्रावधानों के अनुचित इस्तेमाल से असंवेदशीलता, असहजता और असहयोगी बर्ताव के रूप में नई तरह का असंतुलन सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। इसकी चर्चा न्यायिक निर्णयों में होती रही है। बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट ने पहले प्रेम और फिर 4 वर्ष तक करीबी मेल-जोल के बाद वैवाहिक रिश्ते में मात्र एक दिन साथ रहने वाली महिला की ओर से पति पर दुष्कर्म का केस लगाने पर मामले को कानून के दुरुपयोग का उदाहरण बताया था। कुछ समय पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने भी एक निर्णय सुनाते हुए कहा था कि पति या पति के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाकर आपराधिक केस दर्ज करवाना भी क्रूरता के समान है। ऐसे में समझना आवश्यक है कि कामकाजी मुश्किलों के साथ ही घरेलू परिवेश में भी अब पुरुषों के लिए हालात सहज नहीं रहे। पुरुष वर्ग में भी निराशा और अवसाद जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। वैवाहिक सम्बन्धों की उलझनें तो जीवन पर ही भारी पड़ रही हैं। मानसिक-मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर पुरुषों की बिखरती मनोदशा को देखते हुए ही देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने को लेकर भी बहस छिड़ चुकी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारतीय पुरुषों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे संबंधी परेशानियों के साथ पारिवारिक समस्याएं सबसे प्रमुख कारक हैं। ऐसे में स्त्री-पुरुष के भेद से परे सकारात्मक बदलाव ही परिवार का तानाबान सहेज सकेंगे। जीवनभर के साथ में निबाह न हो तो सहजता और संवेदनशीलता से अलगाव का मार्ग चुन लेना चाहिए। बता दें कि अतुल सुभाष ने 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी की और दंपति का 4 साल का एक बेटा है। हालांकि, वैवाहिक विवाद इस हद तक बढ़ गए कि वे अलग रहने लगे। उनकी पत्नी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उनके खिलाफ नौ मामले दर्ज किए थे।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार व स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

गीता उत्सव
अरविंद जयतिलक

जीवन का प्रकाशपुंज गीता

आज गीता जयंती है। पांच हजार वर्ष पूर्व आज ही के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने अपने परम मित्र व भक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। उस समय अर्जुन मोहग्रस्थ थे और सत्य की रक्षा के लिए अपने बंधु-बांधवों से युद्ध करने में हिचक रहे थे। गीता के रूप में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के मुख से निकला यह उपदेश किसी जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमा से आबद्ध नहीं है। बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। पाश्चात्य जगत में विश्व साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित नहीं हुआ है जितना कि भगवद्गीता। भगवद्गीता ज्ञान का अथाह सागर है। जीवन का प्रकाशपूंज व दर्शन है। शोक और करुणा से निवृत होने का सम्यक मार्ग है। भारत की महान धार्मिक संस्कृति और उसके मूल्यों को समझने का ऐतिहासिक-साहित्यिक साक्ष्य है। इतिहास भी है और ज्ञान-कर्म दर्शन भी। समाजशास्त्र और विज्ञान भी। लोक-परलोक दोनों का आध्यात्मिक मूल्य भी। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण संसार को सत्य का बोध कराया। ब्रहमपुराण के अनुसार द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने उपदेश दिया। गीता का उपदेश मोह का नाश करने वाला है। इसीलिए एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। युद्ध में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने आयुध रख दिए थे, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें नश्वर भौतिक शरीर और नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर को समझाकर युद्ध के लिए तैयार किया। फल की आशा किए बिना कर्म का संदेश दिया। श्रीकृष्ण के उपदेश से अर्जुन का संकल्प जाग्रत हुआ। कर्तव्य का बोध हुआ। ईश्वर से आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कुरुक्षेत्र में अधर्मी कौरवों को पराजित किया। सत्य और मानवता की जीत हुई। अन्याय पराजित हुआ। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से जगत को समझाया कि निष्काम कर्म भावना में ही जगत का कल्याण है। श्रीकृष्ण का उपदेश ही गीता का अमृत वचन है।

श्रीकृष्ण ने गीता में धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य और न्याय-अन्याय को भलीभांति परिभाषित किया है। उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्रों को अधर्मी, पापी और अन्यायी तथा पाडुं पुत्रों को पुण्यात्मा कहा है। उन्होंने संसार के लिए क्या ग्राहय और क्या त्याज्य है उसे भलीभांति समझाया। श्रीकृष्ण के उपदेश ज्ञान, भक्ति और कर्म का सागर है। भारतीय चिंतन और धर्म का निचोड़ है। समस्त संसार और मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। संसार की समस्त शुभता गीता में ही निहित है। गीता का उपदेश जगत कल्याण का सात्विक मार्ग और परा ज्ञान का कुंड है। श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन रुपी जीव को धर्म, समाज, राष्ट्र, राजनीति और कुटनीति की शिक्षा दी। प्रजा के प्रति शासक के आचरण-व्यवहार और कर्म के ज्ञान को उद्घाटित किया। गीता में संसार को संदेश है कि दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, अश्वथामा जैसे अहंकारी और अत्याचारी जीव राष्ट्र-राज्य के लिए शुभ नहीं होते। वे सत्ता और ऐश्वर्य के लोभी होते हैं। श्रीकृष्ण ने ऐसे लोगों को संसार के लिए विनाशक कहा है। उदाहरण देते हुए समझाया है कि विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वालों को अधम और आततायी कहा है। उन्होंने गीता में समाज को प्रजावत्सल शासक चुनने का संदेश दिया है। शास्त्रीय दृष्टि से महाभारत एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, गीता जिसका एक छोटा सा अंश है।

यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक मूल्यों का संवाहक है बल्कि वैदिक परंपरा और चिंतन का सारतत्व भी है। महान दार्शनिक श्री अरविंदो ने कहा है कि भगवद्गीता एक धर्मग्रंथ व एक ग्रंथ न होकर एक जीवन शैली है, जो हर उम्र के लोगों को अलग संदेश और हर सभ्यता को अलग अर्थ समझाती है। डा. राधाकृष्णन् के अनुसार यह धर्मग्रंथ कम, मनोविज्ञान, ब्रहमविद्या और योग का ग्रंथ ज्यादा है। भाषा के तौर पर यह काव्य है लेकिन विषय के तौर पर अध्यात्म है। निर्वाण व मुक्ति का मार्ग है तो विश्लेषण व विवेचन के तौर पर जीवन जीने का संयमित मार्ग है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि ज्ञानयोग से बुद्धि, कर्मयोग से इच्छा और भक्तियोग से भाव स्थिर होते हैं। यानी गीता कर्म संस्कार को परिमार्जित करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। विश्व के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि भगवद्गीता को पढ़कर मुझे ज्ञान हुआ कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ और जीवन को किस तरह जीया जाना चाहिए। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि जब मुझे कोई परेशानी घेर लेती है तो मैं गीता के पन्नों को पलटता हूं। गीता ज्ञान का सागर और जीवन रूपी महाभारत में विजय का मार्ग भी है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन का मात्र अनुभव करें

संकलित
दर्शन

अकसर हम यह सोचते हैं कि जिसने जीवन में अधिक कठिनाइयों का सामना किया है, वह जल्दी समझदार बन जाता है। कितना सही है यह सोच। वस्तुतः जीवन में कठिन कुछ नहीं होता है। जीवन में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। फिर चाहे आप उसका अनुभव एक कठिनाई के रूप में करें या आनंद के रूप में। यह चुनने का अधिकार आपका अपना है। अगर आप समझदार हैं तो आप हर परिस्थिति को एक आनंदमय प्रक्रिया में बदल देंगे। अगर आप समझदार नहीं हैं, तो आप अपने लिए हर परिस्थिति को कठिनाई बना लेंगे। अगर आप जानते हैं कि अपने दिमाग में चल रही बेतुकी बातों को कैसे महत्व ना दें, अगर आप अपने दिमाग में चल रहे मनोवैज्ञानिक बकवास में उलझे नहीं, तो आप निश्चित रूप से जल्दी समझदार बन जाएंगे।जीवन सिर्फ परिस्थिति है। 'दुखद' परिस्थिति या 'सुखद' परिस्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप आसान परिस्थिति चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है। हम आपको एक पिंजरे में बंद कर सकते हैं और जितना आप खा सकते हैं, उससे अधिक भोजन आपको दे सकते हैं। आप बस पिंजरे में रहिए। हम इसका खयाल रखेंगे कि आप सभी चीजों से पूरी तरह सुरक्षित हों। कोई खतरा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आपको परिवार, बीवी-बच्चों का खयाल नहीं रखना है, रोजी-रोटी नहीं कमानी, कुछ नहीं करना है। कोई भी परेशानी नहीं। सारी बातों का खयाल रखा जाएगा। आप बस उस पिंजरे में रहिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या इससे आपको सुख मिलेगा? नहीं।

स्वयं के धर्म की चिंता

संकलित
प्रेरणा

एक आदमी तालाब के किनारे बैठ कर कुछ सोच रहा था। तभी उसने पानी में किसी के डूबने की आवाज सुनी और उसने तालाब की तरफ देखा तो उसे एक बिच्छू तालाब में डूबता दिखाई दिया। अचानक ही वह आदमी उठा और तालाब में कूद गया। उस बिच्छु को बचाने के लिए उसने उसे पकड़ लिया और तालाब के बाहर लाने लगा। इससे घबराकर बिच्छू ने उस आदमी को डंक मारा। आदमी का हाथ खून से भर गया वो जोर-जोर से चिल्लाने लगा, उसका हाथ खुल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। आदमी फिर उसके पीछे गया। उसने बिच्छु को पकड़ा। लेकिन बिच्छू ने फिर से उसे काट लिया। यह बार-बार होता रहा। यह पूरी घटना दूर बैठा एक आदमी देख रहा था। वो उस आदमी के पास आया और बोला - अरे भाई ! वह बिच्छू तुम्हे बार-बार काट रहा है। तुम उसे बचाना चाहते हो, वो तुम्हे ही डंक मार रहा है। तुम उसे जाने क्यूँ नहीं देते? मर रहा हैं अपनी मौत, तुम क्यूँ अपना खून बहा रहे हो? तब उस आदमी ने उत्तर दिया - भाई ! डंक मरना तो बिच्छू की प्रकृति है। वह वही कर रहा है लेकिन मैं एक मनुष्य हूँ, और मेरा धर्म है दूसरों की सेवा करना और मुसीबत में उनका साथ देना। अतः बिच्छू अपना धर्म निभा रहा हैं और मैं मेरा।

अंतर्मन

आज की पाती

महंगाई के समाधान के लिए सरकार गंभीर नहीं

अगर देश में कोई भी खाने की चीज, वो भी गरीब से गरीब के लिए भी रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हो, महंगी हो जाए तो सरकारों को उसकी कीमत कम करने के उपाय प्राथमिक आधार पर करने चाहिए। विकास के वादे और दावे तब तक खोखले माने जा सकते हैं, जब तक देश में पैदा होने वाली चीजें महंगी होंगी। अब तो सरकारों को प्याज की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कुंभकर्णी नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में इसकी कीमतें 100 रुपए के आसपास हो गई थी। वैसे प्याज की कीमतें इससे पहले भी बढ़ती थी और इस पर खूब राजनीति भी होती आई है। प्याज पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन महंगाई के समाधान के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने आज तक गंभीरता नहीं दिखाई। – *संजय पाठक, रायगढ़*

ट्रेंड

सार-संग्रह जारी किया

महाकवि सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं का एक सार-संग्रह जारी करने का गौरव प्राप्त हुआ। समृद्ध भारत और प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए उनका दृष्टिकोण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

विश्वास खो चुकी कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी है। बहुत साफ दिख गया है कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पर अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए उपराष्ट्रपति के विरुध्द यह प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है
-डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता

भारत में निर्माण करें

चीन, अमेरिका और जर्मनी ही ऐसे 3 देश हैं जिनका निर्यात प्रति वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। मैं आशावादी हूं कि 2030 तक भारत चौथे स्थान पर होगा। आइए भारत में विश्व के लिए निर्माण करें।
-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

ज्ञान का विकेंद्रीकरण

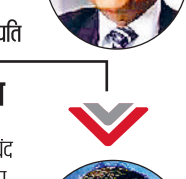

सबसे उन्नत ज्ञान-विज्ञान पर हमेशा चंद देश और व्यक्ति अपना आधिपत्य जमाए रहते हैं। दुनिया में न्याय, शांति, समानता और स्थायित्व के लिए ज्ञान का विकेंद्रीकरण, सार्वभौमिकरण और लोकतंत्रीकरण करना आवश्यक है।
-कैलाश सत्यार्थी, बाल अधिकार कार्यकर्ता

करंट अफेयर

उत्तरी गाजा में दो माह से नहीं पहुंच रही सहायता : संरा

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तरी गाजा में पिछले 66 दिनों से व्यापक पैमाने पर मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है। इजराइल ने छह अक्टूबर को उत्तरी गाजा में जमीनी कार्रवाई प्रांरभ की थी और इसके बाद से 65 हजार से 75 हजार फलस्तीनी नागरिक भोजन, पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य सेवा की पहुंच से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचओ) ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी गाजा में इजराइल ने बेत लाहिया, बेत हनून और जबालिया पर अपनी घेराबंदी जारी रखी है और वहां रहने वाले फलस्तीनियों को सहायता से वंचित रखा है। ओसीएचओ ने साथ ही कहा कि इजराइल ने बेत लाहिया के तीन स्कूलों से लगभग 5,500 लोगों को जबरन गाजा सिटी भेजा है। ओसीएचए ने कहा कि खाद्य संकट गहरा गया है तथा वर्तमान में गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र समर्थित केवल चार 'बेकरी' ही संचालित हो रही हैं। गाजा के लिए संयुक्त राष्ट्र की वरिष्ठ मानवीय और पुनर्निर्माण समन्वयक सिग्रिड काग ने मंगलवार दोपहर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को जानकारी देने के बाद बताया कि गाजा में लोग भीषण परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

ऑफ बीट

एक्जिमा में ब्लीच स्नान है एक सामान्य उपचार

ब्लीच को डायल्यूट करके उससे स्नान करना एक सामान्य उपचार है जिसका उपयोग डॉक्टर और नर्स अधिक गंभीर एक्जिमा वाले रोगियों के लिए करते हैं। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे अन्य उपचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं और यह स्नान सभी के लिए उपयुक्त भी नहीं हो सकते हैं। इस उपचार का उपयोग केवल त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए, जो सलाह दे सकता है कि क्या यह उचित है और व्यक्ति की स्थिति के अनुरूप ब्लीच को पानी मिलाकर पतला कर सकता है। तो यह कुछ एक्जिमा पीड़ितों के लिए क्यों और कैसे काम करता है। जब एक्जिमा बहुत सक्रिय होता है, तो त्वचा तरल पदार्थ से भर जाती है। बैक्टीरिया इस प्रकार के एक्जिमा में बसना और इसे संक्रमित करना पसंद करते हैं। इस प्रक्रिया को 'इम्पेटिगिनेशन' के रूप में जाना जाता है। जब यह प्रक्रिया एक्जिमा के बिना होती है, तो इसे इम्पेटिगो कहा जाता है। पानी और सोडियम हाइपोक्लोराइट (दूसरे शब्दों में, ब्लीच) का घोल कीटाणुओं को तेजी से मार देगा। और हम घावों पर किए गए अध्ययनों से जानते हैं कि घाव को साधारण रूप से धोने से बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।